

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2008/वैशाख 2, 1930

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 018

No. 65]

DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2008/VAISAKHA 2, 1930

[N. C. T. D. No. 018

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र	बाउंड्री के फिल्ड	बाउंड्री/क्षेत्र
(बीघा-बिस्वा)	नम्बर		(बीघा-बिस्वा)

झिलमिल ताहिरपुर 4-03

446/443 मिन(0-06), 381/302-299/1 मिन(0-03),
381/302-299/2 मिन (0-15), 381/302-299/3 मिन (1-15),
383/1 मिन (0-08), 383/2 मिन (0-16).राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,
ताराचन्द नाख, अतिरिक्त सचिवLAND AND BUILDING DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2008

No. F. 7(13)/02/L&B/LA/827.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of RUB and missing link of Road No. 58 and Widening of Road No. 64 (Phase-II). It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

सं. फा.7(13)/2002/भू.वभ./भू.अ./827.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा आर.यू.बी. के निर्माण, मिसिंग लिंक रोड नं. 58 एवं रोड नं. 64 को चौड़ा करने हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है। अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ 7(13)/2002/भू. व भ./भू.अ./8707 दिनांक 13-09-2007 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पूर्व) को भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पूर्व) के कार्यालय में किया जा सकता है।

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, in respect of the land notified U/s 4 of L.A. Act, 1894 vide Notification No. F. 7(13)/02/L&B/LA/8707 dated 13-09-2007 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7, of the said Act, the Land Acquisition Collector (North-East), Nand Nagari, Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North-East) Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Field Nos. of Boundaries	Boundaries/Area (Bigha-Biswa)
Jhilmil	4-03		
Tahirpur			
446/443 min (0-06), 381/302-299/1 min (0-03), 381/302-299/2 min (0-15), 381/302-299/3 min (1-15), 383/1 min (0-08), 383/2 min (0-16).			

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of N.C.T. of Delhi,
T.C. NAKH, Addl. Secy.

कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले,
माप तोल विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

सं. फा. 7(63)/एम.डब्ल्यू.एम./2000/145-155.—मानक बॉट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (1985 का 54) की धारा 5 की उप-धारा (1) के साथ पठित इसकी धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बॉट एवं माप के नियन्त्रक श्री डी.पी. द्विवेदी, को विधिक माप पद्धति का सहायक नियन्त्रक नियुक्त करते हैं।

श्री एस.पी. सिंह, नियन्त्रक विधिक माप पद्धति के रूप में नियुक्ति की उक्त धारा 5(1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. फा. 7(63)/एम.डब्ल्यू.एम./2000/2501-11 दिनांक 31-08-07 को रद्द करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर,
एस.एस. राठौर, संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त
(खाद्य एवं सम्भरण विभाग)

DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS AND WEIGHTS & MEASURES

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2008

No. F. 7(63)/MWM/2000/145-155.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985 (No. 54 of 1985) and read with Section 3(n) of said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri D.P. Dwivedi, as Controller (Weights and Measures) to be the Controller of Legal

Metrology for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi.

The Government's earlier notification No. F. 7(63)/4MWM/2000/2501-2511 dated 31-08-2007 appointing Sh. S.P. Singh as Controller of Legal Metrology is hereby cancelled.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
S.S. RATHORE, Jt. Secy. -cum-
Joint Commissioner (F. & S.)

गृह (पुलिस-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

सं. फा. 03/8/गृह पुलिस-1/स्थाप./237.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली पुलिस (भर्ती एवं नियुक्ति) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- (1) ये नियम दिल्ली पुलिस (भर्ती एवं नियुक्ति) (संशोधन) नियमावली, 2008 कहे जायेंगे।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 28 का संशोधन :- दिल्ली पुलिस (भर्ती एवं नियुक्ति) नियमावली, 1980 के नियम 28 में :-

- (1) आधार शीर्षक के लिए निम्नलिखित आधार शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
“भूतपूर्व सैनिकों की सूची तैयार करना।”
- (2) उप-नियम (1) में खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
“ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को जिन्हें केन्द्रीय राजस्व से वेतन प्रदान किया जाता है, नियुक्ति प्राधिकारी के स्वविवेक पर सिपाही के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है यदि उनके सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र में उनकी पिछली सेवा को अच्छा या उच्चतर श्रेणी का दर्शाया गया हो।”

बशर्ते कि :-

1. वे पिछली सेवा मुक्ति से दो वर्ष की अवधि के भीतर उपस्थित हुए हों,
2. वे स्वतंत्र रूप से भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक मानदंडों तथा आवश्यक स्थायी आदेशों द्वारा समय-समय पर पुलिस द्वारा यथा निर्धारित क्षमता/निपुणता को पूरा करते हों,
3. वे भर्ती के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, तथा
4. उन्हें आयु सीमा में छूट समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,
आर. एन. शर्मा, संयुक्त सचिव

HOME (POLICE/ESTT) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2008

No. F./03/8/2006/HP-I/Estt./237.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 28—In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, in rule 28—

- (i) for the shoulder heading, the following shoulder heading shall be substituted, namely :—
- (ii) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“Ex-servicemen who are paid from Central Revenues may be re-enlisted as constable at the discretion of the appointing authority if their discharge certificate shows previous service as good or of higher classification :

Provided that —

- (i) They present themselves within two years of previous discharge;
- (ii) They conform to the educational standard laid down for recruits from open market and such endurance/efficiency as prescribed by the Commissioner of Police from time to time by issuing necessary standing orders;
- (iii) They are medically fit for police service according to standards prescribed for recruits, and
- (iv) Age concession shall be allowed to them in accordance with the orders/instructions on the subject issued by the Central Government from time to time”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. N. SHARMA, Jt. Secy.

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 मार्च, 2008

सं. फा.17(14)/इंजीनियरिंग/डीईआरसी/2003-04/
151.—विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) की धारा 86(1)
की उप-धारा (ज) के साथ पठित धारा 181(2) की उप-धारा

(य त) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:

अध्याय-I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:

- 1.1 इन विनियमों का नाम “दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008” है, जिसे संक्षेप में ‘दिल्ली ग्रिड कोड’ (डीजीसी) कहा जा सकता है।
- 1.2 ये विनियम समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- 2.1 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) “अधिनियम” से तात्पर्य है, विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36), जिसमें उसके संशोधन भी शामिल हैं;
- (ख) “साधित्र” से तात्पर्य है, विद्युत साधित्र, जिनमें ऐसी सभी मशीनें, फिटिंग, उपसाधन और साधन भी शामिल हैं, जिनमें कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है;
- (ग) “स्वचालित वोल्टता रेगुलेटर” से तात्पर्य है जेनेरेटर टर्मिनल पर मापी जाने वाली उत्पादन यूनिटों की वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त सतत क्रियाशील स्वचालित अर्जन नियंत्रण प्रणाली;
- (घ) “ब्लैक स्टार्ट प्रक्रिया” से तात्पर्य है वह प्रक्रिया, जो आंशिक या संपूर्ण ब्लैक आउट से ग्रिड को उबारती है;
- (ङ) “आयोग” से तात्पर्य है, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग;
- (च) “कनेक्शन करार” से तात्पर्य है वह करार, जिसमें राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली को जोड़ने और/या का प्रयोग करने से संबंधित शर्तें तय की जाती हैं;
- (छ) “कनेक्शन प्वाइंट” से तात्पर्य है वह प्वाइंट जिस पर प्रयोक्ता का या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का संयंत्र और/या का साधित्र, राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली से जुड़ा होता है;
- (ज) “डीएफ/डीटी रिले” से तात्पर्य है वह रिले, जो उस समय कार्य करता है, जब प्रणाली की आवृत्ति के परिवर्तन की दर (निश्चित समय के बाद) निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ जाती है और लोड शेडिंग शुरू हो जाती है;
- (झ) “व्यवधान रिकार्डर” से तात्पर्य है वह युक्ति जो किसी घटना के दौरान प्रणाली के मापदंडों के प्री-स्लेक्टेड डिजिटल और एनालॉग मूल्यों के व्यवहार को रिकार्ड करने के लिए लगाई जाती है;

- (ज) "आंकड़े अर्जन प्रणाली" से तात्पर्य है वह युक्ति, जो किसी स्थान पर रिले/उपस्कर/प्रणाली मापदंडों के समय पर प्रचालन के क्रम को रिकार्ड करने के लिए लगाई जाती है;
- (ट) "बाधा नियंत्रण केंद्र (डीजीसी)" से तात्पर्य है वह कार्यालय और सहायक सुविधाएं, जो एसएलडीसी के साथ समन्वय स्थापित करने और डीजीसी में उल्लिखित कार्यों को करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित की जाती हैं;
- (ठ) "घटना" से तात्पर्य है, राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली में होने वाली गैर-अनुसूचित या अनियोजित घटना, जिसमें फाल्ट, घटना और ब्रेकडाउन भी शामिल हैं;
- (ड) "घटना लॉगर" से तात्पर्य है वह युक्ति, जो किसी घटना के दौरान किसी स्थान पर रिले/उपस्करों के समय पर प्रचालन के क्रम को रिकार्ड करने के लिए लगाई जाती है;
- (ढ) "फाल्ट लोकेटर" से तात्पर्य है वह युक्ति, जो उस दूरी के माप/पता लगाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के अंत में लगाई जाती है, जिस पर कोई घटना घटित हुई हो;
- (ण) "नम्य वैकल्पिक करंट ट्रांसमिशन (एफएसीटी)" से तात्पर्य है वे सुविधाएं, जिनसे ए. सी. लाइनों में होने वाले विद्युत प्रवाह को नियंत्रित किया जाएगा और लूप प्रवाह, लाइन लोडिंग आदि को नियंत्रित किया जाएगा;
- (त) "अधिकतम सतत रेटिंग" से तात्पर्य है उत्पादन यूनिट की सामान्य दर वाली पूर्ण लोड एम. डब्ल्यू उत्पादन क्षमता, जो निर्धारित शर्तों पर लगातार रखी जा सके;
- (थ) "प्रचालन" से तात्पर्य है प्रणाली के प्रचालन से संबंधित अनुसूचित और योजनाबद्ध कार्यवाई;
- (द) "एकल लाइन आरेख" से तात्पर्य उन आरेखों से है, जो एच. बी./ई. ए. वी. साधित्र के योजनाबद्ध तरीके को दर्शाते हैं और कनेक्शन प्वाइंट पर लगे ऐसे सभी बाह्य सर्किटों को दर्शाते हैं, जिसमें इनकी संख्या, नामावली और लेबलिंग का भी उल्लेख किया जाता है;
- (ध) "स्थान का सामान्य नक्शा" से तात्पर्य ऐसे नक्शों से है जो प्रत्येक कनेक्शन प्वाइंट के लिए तैयार किए जाते हैं, जिनमें विन्यास नक्शे, विद्युत विन्यास नक्शे, सामान्य परिरक्षण/नियंत्रण नक्शे और सामान्य सेवा नक्शे भी शामिल हैं;
- (न) "चक्रण रिजर्व" से तात्पर्य है 50 एचजेड की मानक दर आवृत्ति पर कुछ रिजर्व मार्जिन सहित उत्पादन क्षमता, जो एक प्रणाली में घटित होती है और आवृत्ति ड्राप के उत्तर में प्रेषण अनुदेशों या

तत्काल अनुदेशों के अल्पकालिक नोटिस के अनुसरण में बढ़े हुए उत्पादन पर लगाया जाता है;

- (प) "राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली" (एसटीएस) से तात्पर्य है राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) और/या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी (धारियों) द्वारा बनाई गई उनके स्वामित्व, उनके द्वारा प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रण प्रणाली राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत बिजली का ट्रांसमिशन;
- (फ) "स्टैटिक वीएआर कम्पेंसेटर" से तात्पर्य है उत्पादन रिएक्टिव बिजली के उत्पादन या अवशोषण के प्रयोजन के लिए तैयार की गई विद्युत सुविधा;
- (ब) "अंडर फ्रिक्वेंसी रिले" से तात्पर्य ऐसे रिले जो निर्धारित सीमा के नीचे प्रणाली की आवृत्ति के गिर जाने और लोड शेडिंग शुरू करने पर चालू होता है;
- (भ) "प्रयोक्ता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसमें राज्य के अंतर्गत आने वाले उत्पादन केंद्र, वितरण लाइसेंसधारी, राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली से सीधे जुड़े वितरण लाइसेंसधारीयों के उपभोक्ता शामिल हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें खुली पहुंच की सुविधा उपलब्ध है और जो डीजीसी के प्रत्येक खंड में विशेष रूप से चिह्नित एसटीएस से जुड़े हैं और/या उसका उपयोग कर रहे हैं;

2.2 इन विनियमों में जो शब्द या अभिव्यक्तियां दी गई हैं और जिन की परिभाषा नहीं दी गई है उनका वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम की धारा 79 के खंड (ज) के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्निर्दिष्ट अधिनियम और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में दिया गया है।

3. प्रस्तावना

3.1 दिल्ली ग्रिड कोड में दिए गए विनियम, मार्गदर्शी सिद्धांत और मानकों का विभिन्न एजेंसियों तथा एसटीएस के प्रतिभागियों द्वारा योजना बनाने, विकास करने, अनुरक्षण करने और एसटीएस का प्रचालन करने के लिए अनुपालन किया जाएगा। उत्तर क्षेत्र ग्रिड प्रणाली एक बहुत दक्ष, विश्वसनीय, किफायती और सुनिश्चित तरीके की प्रणाली है। वह बिजली के उत्पादन और आपूर्ति में भी स्वास्थ्य प्रतियोगिता की सुविधा प्रदान करती है।

4. लक्ष्य

4.1 डीजीसी एक ऐसा दस्तावेज है जो राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी (धारियों) और अन्य प्रयोगकर्ताओं के बीच सीमा नियंत्रित करता है और वह ऐसी सुविधाओं के प्रचालन के लिए भी प्रक्रिया निश्चित करता है जो एसटीएस द्वारा उपयोग में लाई जाती है। वह एसटीएस के विभिन्न प्रयोगकर्ताओं और राज्य लोड वितरण केंद्र के बीच अपेक्षित सूचनाओं तथा नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया के संबंध के बारे में सीमा रेखा तय करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीजीसी विस्तृत डिजाइन तैयार करने और उत्पादन, विद्युत केंद्र, आपूर्तिकर्ता तथा वितरण प्रणाली का प्रचालन करने से संबद्ध नहीं है, बशर्ते

कि उनकी ट्रांसमिशन प्रणाली की समग्र क्षमता की आवश्यकता सुनिश्चित हो।

4.2 डीजीसी कनेक्शनों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं और प्रचालन तथा एसटीएस के प्रयोग से संबंधित है जिसमें प्रचालन और ट्रांसमिशन प्रणाली के प्रयोग से संबंधित विद्युत लाइनों का प्रचालन और विद्युत संयंत्र जुड़े हुए हों। इसको इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह योजना विकास, अनुरक्षण और प्रचालन में सुविधा प्रदान करे ताकि ट्रांसमिशन और आपूर्ति, जिसमें राज्य में बिजली का व्यापार भी शामिल है, के लिए दक्ष, समन्वयक, सुनिश्चित, विश्वसनीय और किफायती प्रणाली की सुविधा हो सके।

5. विनियमों का कार्य-क्षेत्र और विस्तार

5.1 ये विनियम निम्नलिखित पर लागू हों :

- (क) एसएलडीसी;
- (ख) एसटीयू सहित राज्य के प्रत्येक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी;
- (ग) ऐसे प्रत्येक प्रयोक्ता जो एसटीएस से जुड़ा है और या उसका उपयोग करता है:

परंतु आयोग किसी भी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या प्रयोक्ता को रिलिव करने के बारे में निदेश जारी कर सकता है। ये निदेश वह स्वप्रेरणा से या ऐसे ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी अथवा प्रयोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर देता है जिसमें उन्होंने डीजीसी के कार्यान्वयन या उसके अनुपालन के दायित्व को पूरा करने के लिए निदेशों में नियत सीमा तक करने का उल्लेख किया हो।

5.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी (धारियों), जो एसटीएस के भाग हो और प्रयोक्ता, जिनका एसटीएस से संबंध हो इन विनियमों के अधिसूचना की तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक इन विनियमों के अधीन निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करेंगे :

- (क) विनियम 14 के अनुसार कनेक्शन करार निष्पादित करना;
- (ख) विनियम 16.2 और 16.3 के अनुसार सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराना;
- (ग) विनियम 17 के अनुसार संप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- (घ) विनियम 18 के अनुसार प्रणाली रिकार्डिंग उपकरण उपलब्ध करना;
- (ङ) विनियम 19.3.1 के अनुसार एकल लाइन आरेखों का विकास करना;
- (च) विनियम 19.4.2 के अनुसार स्थान के सामान्य नक्शों को तैयार करना; और
- (छ) विनियम 33 के अनुसार तैयार की गई मीटरिंग प्रक्रिया के अनुसार मीटर को लगाना और उसका प्रचालन करना।

5.3 इन विनियमों विनियम 22.9, विनियम 22.10, विनियम 22.11 और विनियम 22.12 में उल्लिखित फ्री गवर्नर ऐक्शन से संबंधित प्रावधानों के लागू होने की तारीख से आईजीसी के संगत प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

5.4 खुली पहुंच की सुविधा का लाभ उठाने वाले लोग, जो एसटीएस से जुड़े हैं और/या उसका उपयोग कर रहे हैं आयोग द्वारा अधिसूचित खुली पहुंच विनियमों की शर्तों का अनुपालन करेंगे।

6. दिल्ली ग्रिड कोड (डीजीसी) का प्रबंधन

6.1 आयोग द्वारा इस अधिनियम की धारा 86(1)(ज) के अनुसार यह सुनिश्चित करने के बाद डीजीसी को विनिर्दिष्ट किया गया है कि यह आईजीसी के अनुरूप है। डीजीसी में किसी भी संशोधन को केवल आयोग द्वारा ही विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

6.1.1 डीजीसी और इसके संशोधनों को आयोग द्वारा जारी विनियमों की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करके अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा।

6.1.2 डीजीसी में किसी संशोधन/आशोधन की मांग को और नीचे दिए गए विनियम 6.3 के अधीन रिपोर्ट में प्रस्तावित कठिनाइयों को हटाने का कार्य भी संयोजक, ग्रिड समन्वय समिति को भेजे जाएंगे ताकि उन पर आवधिक रूप से विचार किया जा सके, उन पर परामर्श दिया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके। प्रस्तावित ऐसे संशोधनों/आशोधनों को राज्य ग्रिड के सभी उपभोक्ताओं से राय प्राप्त होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

6.1.3 डीजीसी के किसी विवाद के मामले में या उसके निर्वचन से संबंधित किसी प्रश्न के बारे में उसे सचिव, आयोग को भेजा जाएगा और आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण अंतिम होगा और सभी संबंधित व्यक्तियों पर लागू होगा।

6.2 ग्रिड समन्वय समिति

6.2.1 इन विनियमों के अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा एक ग्रिड समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।

6.2.2 ग्रिड समन्वय समिति निम्नलिखित मामलों के लिए जिम्मेदार होगा, यथा--

- (क) इन विनियमों का कार्यान्वयन करना और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन तैयार की गई प्रक्रिया का अनुपालन करना।
- (ख) ऐसे मुद्दों का जायजा लेना और उनके उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना जो इन विनियमों के प्रावधानों और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन विकसित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के दौरान उठ सकते हैं;
- (ग) इस अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार डीजीसी की समीक्षा करना;
- (घ) यदि कोई बड़ी ग्रिड बाधा पैदा होती है तो उसके बाद उसका विश्लेषण करना;

- (ड) प्रयोक्ता द्वारा बताई गई समस्याओं का जांच करना; और
- (च) एसएलडीसी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ऐसे अपीलार्थियों के मामलों की जांच करना जो अनुचित कार्यों या मिलीभगत में शामिल हों;
- (छ) राज्य यूआई और राज्य रिएक्टिव एनर्जी के लेख के उस संपूर्ण विवरण की समीक्षा करना जो एसएलडीसी द्वारा इसकी वाणिज्यिक समिति (जीसीसी की एक उप समिति) के माध्यम से पटल पर रखा गया हो; और
- (ज) आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित ऐसे अन्य मामले ।

6.2.3 ग्रिड समन्वय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- (क) एसटीयू का एक सदस्य;
- (ख) एसएलडीसी का एक सदस्य;
- (ग) राज्य की उत्पादन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;
- (घ) बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;
- (ङ) एसटीयू से भिन्न राज्य में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;
- (च) राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;
- (छ) राज्य में विद्युत व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;
- (ज) उत्तर क्षेत्रीय लोड प्रेषण केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य; और
- (झ) आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति :

परंतु एसटीयू का सदस्य इस समिति का अध्यक्ष होगा :

परंतु यह भी कि अध्यक्ष एसएलडीसी से एक व्यक्ति को इस ग्रिड समन्वय समिति का संयोजक नामित करेगा :

परंतु यह भी कि एसटीयू, राज्य लोड प्रेषण केंद्रों के समन्वय से ग्रिड समन्वय समिति के कार्य चालन की सुविधा प्रदान करेगा और उसका प्रबंध करेगा :

परंतु यह भी कि यह समिति अपनी बैठकों को आयोजित करने और अन्य संबंधित मामलों के लिए अपने कारोबार के नियम स्वयं बनाएगा ।

6.2.4 ग्रिड समन्वय समिति के सदस्य इस प्रकार होंगे :-

- (क) एसटीयू का संबंधित निदेशक, जो एसटीयू के प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों को देखने के लिए जिम्मेदार हो, उपर्युक्त विनियम 6.2.3 के खंड (क) में उल्लिखित सदस्य होगा;
- (ख) उपर्युक्त विनियम 6.2.3 के खंड (क) में उल्लिखित सदस्य एसएलडीसी का मुखिया होगा;

- (ग) उपर्युक्त विनियम 6.2.3 के खंड (ग), (ड), (छ) और (ज) में उल्लिखित सदस्य उनके संबंधित संगठनों द्वारा नामित किए जाएंगे, जो राज्य के ऐसे सभी संगठनों में से बारी-बारी से ऐसे संगठनों द्वारा चुने जाएंगे। बारी-बारी से चुने गए ऐसे प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष होगा :

परंतु उपर्युक्त समिति में प्रत्येक संगठन द्वारा नामित सदस्य अपने-अपने संगठनों में विशिष्ट पदधारित होंगे ।

6.3 ग्रिड समन्वय समिति द्वारा ग्रिड कोड की समीक्षा

6.3.1 ग्रिड समन्वय समिति द्वारा 12 महीनों में कम से कम एक बार डीजीसी की समीक्षा की जाएगी ।

6.3.2 ऐसी समीक्षा पूरी होने के बाद ग्रिड समन्वय समिति एसटीयू को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित के बारे में सूचनाएं दी जाएंगी:-

- (क) समीक्षा का परिणाम; और
- (ख) डीजीसी के संशोधन का कोई प्रस्ताव ।

6.3.3 एसटीयू, विनियम 6.3.2 में उल्लिखित रिपोर्ट, अपनी सिफारिशों सहित आयोग को भेजेगा ।

7. एनटीटिज और उनके लिंकेज के कार्य चालन दायित्व

7.1 राज्य लोड प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी)

7.1.1 एसटीएस का प्रचालन और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण और जटिल कार्य है जिसमें कई जटिल अंकों के एड्रेसिंग की नियमित अपेक्षा होती है और जिसमें मामलों में टकराव होता है और इसमें एसएलडीसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । एसएलडीसी के कार्यों का उल्लेख इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन किया गया है ।

7.1.2 एसएलडीसी और अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन सौंपी गई कार्यों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करता है:

परंतु यदि एसटीयू द्वारा एसएलडीसी का प्रचालन किया जा रहा हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक में प्रावधान किया गया है। एसएलडीसी को उपर्युक्त तरीके से अपने कार्यों के निर्वहन कर सकने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता दी जाएगी।

7.2 राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू)

7.2.1 एसटीयू उत्पादन कंपनियों द्वारा उत्पादित बिजली को हटाने, वितरण कंपनियों के विद्युत ट्रांसमिशन और केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी तथा आईपीपी के इंटर-कनेक्शन के माध्यम से बिजली के विनियम और अन्य कार्यों के लिए मुख्य भूमिका अदा करेगा । अधिनियम के प्रावधानों को पालन करते हुए एसटीयू-

- (i) सीटीयू, (ii) राज्य सरकार, (iii) उत्पादन तथा वितरण कंपनियां/लाइसेंसधारियों, (iv) सीईए, (v) एनआरपीसी और (vi) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य किसी व्यक्ति से एसटीएस से संबंधित योजना बनाने और समन्वय का कार्य करेगा।

- राज्य विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित खुली पहुंच विनियम के अनुसार आवश्यक प्रभारों की अदायगी करके लाइसेंसधारियों या उत्पादन कंपनी/आईपीपी और किसी उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के लिए इसकी ट्रांसमिशन प्रणाली की खुली पहुंच के लिए बिना किसी भेदभाव के व्यवस्था करेगा।

7.3 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी

7.3.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी (धारियों) के निम्नलिखित कार्य होंगे।

- दक्ष, समन्वित और किफायती ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करना, उसका अनुरक्षण करना और उसका प्रचालन करना।
- एसएलडीसी के निदेशों का अनुपालन करना।
- उपर्युक्त 7.2.1 के अनुसार बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच की सुविधा मुहैया करना।

वितरण कंपनियों/लाइसेंसधारी

7.4.1 वितरण लाइसेंसधारियों के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

- अपने आपूर्ति क्षेत्र में दक्ष समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली विकसित करना और उसका अनुरक्षण करना;
- निम्नलिखित द्वारा प्रयोग के लिए उसकी वितरण प्रणाली तक बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच की सुविधा उपलब्ध करना :-
 - (i) वितरण प्रभार की अदायगी करने पर किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी; या
 - (ii) ट्रांसमिशन प्रभारों और आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, उस पर अधिभार की अदायगी करने पर अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अधिसूचित खुली पहुंच विनियम के अनुसार कोई उपभोक्ता।

7.4.2 इसके अलावा प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एबीटी तंत्र के अधीन लोड नियंत्रण शेडयूलिंग तथा डिस्पैच और खुली पहुंच प्रचालन आदि की सुविधा के लिए प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति के क्षेत्र के अंतर्गत एक वितरण नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा जिसमें पर्याप्त संप्रेषण सुविधाएं हों और चौबीसों घंटे कोई व्यक्ति उपलब्ध रहे। यह एसएलडी के साथ समन्वय करने में इस ग्रिड की प्रत्येक घटना के कारण समुचित कार्रवाई करेगा।

7.4.3 वितरण लाइसेंसधारी 15 मिनट/प्रत्येक घंटे/प्रत्येक दिन/प्रत्येक सप्ताह/प्रत्येक माह की मांग और ऊर्जा अपेक्षाओं के बारे में एसएलडीसी को सूचित करेगा। वह वास्तविक समय प्रचालन में एसएलडीसी से विभिन्न स्रोतों और समन्वय से बिजली मंगाने के लिए सविदा भी करेगा। यह बिजली विनियम के शेडयूलिंग में एसएलडीसी के निदेशों के पालन में सहयोग देगा और उनका पालन करेगा और इस प्रणाली से ली गई बिजली का समायोजन करेगा। इस प्रणाली के प्रचालन के नियंत्रण में सहायता देगा। वे राज्य विद्युत प्रणाली से/को रिएक्टिव बिजली को लेने/देने में विशेष सावधानी बरतेगा।

7.5.1 उत्पादन कंपनियां अपने उत्पादन से एसटीएस के लिए निकाली गई बिजली को जोड़ने/या उपयोग करने की सूचना एसटीयू को देगी और एसएलडीसी बिजली को प्रेषित करने और उस कंपनी के अधीन आने वाले अलग-अलग उत्पादन केंद्रों से इसके शेडयूल के लिए विभिन्न पक्षकारों से सविदा करेगी। वे डीजीसी के संगत प्रावधानों का अनुपालन करेंगे का अनुपालन करेंगे और वास्तविक समय प्रचालन और प्रणाली के नियंत्रण और विद्युत उत्पादन की शेडयूलिंग में एसएलडीसी की सहायता करेंगे।

अध्याय-II

योजना कोड

8. ट्रांसमिशन प्रणाली योजना

8.1 एसटीयू एसटीएस के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली योजना को अपने इंटरनेट बेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और उसे उचित मूल्य पर और उसे किसी व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर उचित मूल्य पर उसे उपलब्ध भी करवाएगा।

8.2 ट्रांसमिशन प्रणाली योजना पांच वर्षों की योजना होगी जो उस वर्ष के तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष से शुरू होगी, जिस वर्ष में यह प्रकाशित की जाती है :

परंतु ट्रांसमिशन प्रणाली योजना को एसटीयू द्वारा प्रति वर्ष अद्यतन रखा जाएगा और प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक विनियम 9.1 में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित किया जाएगा और इसमें पांच वर्ष की योजना अवधि होगी जो उस वर्ष के तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष से शुरू होगी जिसमें यह प्रकाशित की जाती है :

परंतु यह भी कि एसटीयू आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विद्यमान एसटीएस के कार्य निष्पादन का उल्लेख किया जाएगा। यदि आयोग द्वारा मांग की जाए तो लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से रिपोर्ट का एक सारांश भी प्रकाशित करेगा।

8.3 ट्रांसमिशन प्रणाली योजना का प्रारूप एसटीयू द्वारा मुहैया कराया जाएगा।

8.4 ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में एसटीएस की योजना का उल्लेख किया जाएगा और इसमें सभी प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए प्रस्तावित राज्य ट्रांसमिशन स्कीमों और प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीमों को शामिल किया जाएगा :

परंतु ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में शामिल की जाने वाली सूचनाओं में केवल राज्य ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित सूचना ही नहीं होगी अपितु ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर्स, रिएक्टर्स, स्टैटिक वीएआर कम्पेसेटर्स और नम्य वैकल्पिक करंट ट्रांसमिशन प्रणाली सहित अतिरिक्त उपस्करों के बारे में भी सूचना होगी :

परंतु यह भी कि ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में चिह्नित राज्य ट्रांसमिशन स्कीमों और प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीमों से संबंधित प्रणामी उपलब्धियों के बारे में भी सूचना शामिल होगी।

8.5 एसटीयू इन विनियमों के अधीन ट्रांसमिशन प्रणाली योजना को तैयार करने के प्रयोजन के लिए यथा अपेक्षित सूचना मांग सकता है जिसमें उत्पादन क्षमता संवर्धन, प्रणाली

उच्चिकरण और दीर्घकालिक लोड पूर्वानुमान तथा खुली पहुंच के लिए प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों के बारे में भी सूचना होगी :

परंतु वितरण लाइसेंसधारियों की अपने लाइसेंस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक लोड पूर्वानुमान पता लगाने की पहली प्राथमिकता होगी। वितरण लाइसेंसधारी अपने लोड पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए सतत आंकड़ा और पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं और आयोग द्वारा जारी एमवाईटी विनियमों और लाइसेंस की शर्तों के अधीन बिक्री/मांग का पूर्वानुमान के लागू प्रावधानों और अनुरोधों को, यदि कोई चिचलन किया गया हो तो उसके समुचित कारण और स्पष्टीकरण देते हुए उसका अनुसरण करेगा :

परंतु यह भी कि एसटीयू ट्रांसमिशन प्रणाली योजना तैयार करते समय इस विनियम के अधीन उपलब्ध सूचना पर विचार करेगा लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।

8.6 इन विनियमों के अधीन ट्रांसमिशन प्रणाली योजना तैयार करने के लिए एसटीयू निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखेगा :-

- (क) अधिनियम की धारा 73 के खंड (क) के प्रावधानों के अधीन ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना;
- (ख) प्राधिकरण द्वारा किया गया नवीनतम उपलब्ध विद्युत सर्वेक्षण ;
- (ग) अधिनियम की धारा 73 के खंड (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानक ;
- (घ) अधिनियम के धारा 79 के खंड (छ) के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के प्रावधानों के अधीन केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा तैयार की गई ट्रांसमिशन योजना ;
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ट्रांसमिशन योजना मापदंड और मार्गदर्शन सिद्धांत ;
- (च) उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति की सिफारिशें/सुझाव, यदि कोई हों ;
- (छ) राष्ट्रीय विद्युत योजना/राष्ट्रीय विद्युत नीति, जो भी एसटीएस के विकास के लिए संगत हों ; और
- (ज) आयोग द्वारा दी गई कोई अन्य सूचना/आंकड़ा स्रोत।

9. योजना का मापदंड

9.1 योजना का मानदंड उस सुरक्षा दर्शन पर आधारित होगा जिस पर एसटीएस की योजना बनाई गई है। सुरक्षा दर्शन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ट्रांसमिशन योजना मानदंड और अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा :

परंतु ट्रांसमिशन प्रणाली योजना तैयार करते समय एसटीयू समुचित प्रणाली अध्ययन करेगा।

9.2 सामान्य तौर पर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली सतत प्रचालन के दौरान विद्युत उत्पादन के लोड शेंडिंग या रिशेडयूलिंग के बिना निम्नलिखित आकस्मिक स्थितियों से निपटने लिए सक्षम और सुरक्षित व्यवस्था होगी ;

- (क) 66 किवा. से अधिक और 400 किवा. से नीचे की वोल्टता वाली डी/सी लाइनों का आघात या,
- (ख) 400 किवा. और उससे अधिक वोल्टता वाली एस/सी लाइनों का आघात या,
- (ग) एकल इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर का आघात या, परंतु उपर्युक्त आकस्मिक स्थितियों पर अन्य 220 किवा. डीसी लाइन या 400 किवा. एससी लाइन, जो अन्य कॉरिडोर के हों और उसी उप केंद्र से उत्पन्न (योजनाबद्ध आघात) की पूर्व आकस्मिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

9.3 सभी उत्पादन यूनिट अपने-अपने रिएक्टिव संगतता कर्व के अंदर चालू की जा सकती है और नेटवर्क वोल्टता प्रोफाइल विनिर्दिष्ट वोल्टता सीमा के अंदर रखा जाएगा।

9.4 एसटीएस स्टेबिलिटी की हानि किए गए बिना अतिरिक्त एकल इन-फीड की हानि को रोकने के लिए सक्षम होगा।

9.5 उपर्युक्त विनियम 9.2 में उल्लिखित किसी घटना के कारण निम्नलिखित घटनाएं नहीं होंगी।

- (क) विद्युत आपूर्ति की हानि ;
- (ख) विनिर्दिष्ट सीमा से कम या अधिक प्रणाली आवृत्ति का सुदीर्घ प्रचालन ;
- (ग) अस्वीकार्य उच्च या न्यून वोल्टता ;
- (घ) प्रणाली की अस्थिरता ;
- (ङ) एसटीएस तत्वों का अस्वीकृत ओवर लोडिंग।

9.6 सभी अतिरिक्त उच्च वोल्टता वाले उप केंद्रों में ट्रांसफार्मरों की उपयोग संख्या और क्षमता मुहैया कराई जाएगी ताकि उस उप केंद्र में फर्म कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए अपेक्षित पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो।

स्पष्टीकरण .- विनियम 9.6 के प्रयोजन के लिए फर्म कैपेसिटी शब्द का अर्थ है न्यूनतम ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी जो किसी एक ट्रांसफॉर्मर में आघात हो जाने की स्थिति में उप केंद्र में उपलब्ध हो।

9.7 एसटीयू, एसटीएस के रिएक्टिव पावर खपत का योजना अध्ययन करेगा।

10. योजना आंकड़े

10.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और प्रयोक्ता ट्रांसमिशन योजना तैयार करने के लिए राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी को निम्नलिखित प्रकार के आंकड़े भेजेगा ;

- (क) मानक योजना आंकड़े ;
- (ख) विस्तृत योजना आंकड़े।

10.2 मानक योजना आंकड़े

10.2.1 मानक योजना आंकड़ों में वे विवरण दिए जाएंगे जो एसटीयू के लिए आमतौर पर पर्याप्त समझे जाएं ताकि प्रयोक्ता/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी विकास के कारण एसटीएस पर उसके प्रभाव की जांच की जा सके।

10.2.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और प्रयोक्ता एसटीयू द्वारा मुहैया कराए गए मानक फार्म में समय-समय पर एसटीयू को

निम्नलिखित आंकड़े मुहैया कराएंगे :

- (क) प्रारंभिक परियोजना योजना आंकड़े;
- (ख) प्रतिवद्ध परियोजना योजना आंकड़े; और
- (ग) संबद्ध योजना आंकड़े :

परंतु एसटीयू ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और प्रयोक्ताओं को उचित समय देने के बाद उपर्युक्त फार्म में सूचना प्रस्तुत करने के लिए तारीख निर्दिष्ट करेगा :

परंतु एसटीयू इन विनियमों के अधिसूचित होने से एक माह के अंदर उपर्युक्त आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए मानक फार्म तैयार करेगा और उन्हें अपने इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध करेगा :

परंतु यह भी कि एसटीयू को आईजीसी के प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए फार्मों के अनुसार सूचना देनी होगी ।

10.3 विस्तृत योजना आंकड़े

10.3.1 विस्तृत योजना आंकड़ों में अतिरिक्त, अधिक विस्तृत आंकड़े दिए जाएंगे जो सामान्यतः राष्ट्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा अपेक्षित नहीं होते हैं ताकि एसटीएस पर प्रयोक्ता/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के विकास के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके ।

10.3.2 विस्तृत योजना आंकड़े एसटीयू द्वारा जब कभी मांगे जाएं, प्रयोक्ता/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे ।

अध्याय - III

कनेक्शन की स्थितियां

11. कनेक्शन के मानदंड

11.1 एसटीएस से जुड़ने के लागू तकनीकी मानक, समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से जुड़ने के तकनीकी मानदंड) विनियम, 2007, दिनांक 21 फरवरी, 2007 और उसके अधीन विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होंगे;

11.2 विद्युत संयंत्र और विद्युत लाइनों के निर्माण के लागू तकनीकी मानदंड, अधिनियम की धारा 73 के खंड (ख) के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होंगे :

परंतु प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 73 के खंड (ख) के अधीन मानदंड अधिसूचित किए जाने तक प्राधिकरण के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा ।

12. सुरक्षा मानदंड

विद्युत संयंत्र और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए लागू सुरक्षा की अपेक्षाएं, अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित धारा 73 के खंड (ग) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित मानदंडों के अनुसार होंगी :

परंतु प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 73 के खंड (ग) के अधीन मानदंड अधिसूचित किए जाने तक प्राधिकरण भारतीय विद्युत नियमों के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा ।

13. कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र

13.1 एसटीयू वार्षिक आधार पर एक विवरण तैयार करेगा और उसे आयोग को प्रस्तुत करेगा । इस विवरण में निम्नलिखित के साथ-साथ अगले पांच वित्तीय वर्षों की सर्किट क्षमता, विद्युत प्रवाह

और इसके संगत लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ट्रांसमिशन प्रणाली के लोड को दर्शाया जाएगा :-

(क) ऐसी अन्य सूचना, जो ऐसी प्रणाली से जुड़ते समय या उसका उपयोग करते समय उपलब्ध अवसरों का पता लगाने और उसका मूल्यांकन करने के लिए इस प्रणाली को उपयोग में लाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए उचित रूप से आवश्यक हों; और

(ख) एसटीयू द्वारा तैयार की गई टिप्पणियां, जिसमें उनके उस दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया हो, जो एसटीएस के उसके रूप में हो, जो नये कनेक्शन और विद्युत की अधिक मात्रा के संवहन के बिल्कुल अनुरूप हों :

परंतु एसटीयू, एसटीएस के लिए उपर्युक्त विवरण को अपने इंटरनेट वेबसाइट पर उस रूप में प्रकाशित करेगा जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो और उसे मांग करने पर किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध करेगा ।

13.2 एसटीयू या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी अन्य पक्षकार द्वारा एसटीएस का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था करेगा, जैसा कि अधिनियम, आयोग के विनियम और संबंधित लाइसेंस की शर्तों में अपेक्षित है । एसटीएस से जुड़ने और/या उसका प्रयोग करने के लिए नये कनेक्शन लगाने या कनेक्शन की विद्यमान व्यवस्था को आशोधित करने संबंधी आवेदन-पत्र, संबंधित लाइसेंसधारी या प्रयोक्ता द्वारा एसटीयू को प्रस्तुत किए जाएंगे :

परंतु विनियम 13.2 में उल्लिखित आवेदन-पत्र का मानक फार्म एसटीयू द्वारा तैयार किया जाएगा और इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने के 2 (दो) माह के अंदर अपने इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाएगा ।

13.3 विनियम 13.2 में उल्लिखित आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण शामिल किए जाएंगे :-

(क) प्रस्तावित कनेक्शन और/या आशोधन के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, जिसके प्रणाली कनेक्शन का प्रस्ताव है, उस साधित्र का विवरण, जिसे जोड़ा जाना है या पहले ही जुड़े साधित्र के आशोधन का विवरण और प्रस्तावित कनेक्शन के लाभार्थी;

(ख) निर्माण अनुसूची और कार्य पूरा करने के लिए नियत तारीख; और

(ग) इस बात को पुष्टि कि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या प्रयोक्ता डीजीसी भारतीय विद्युत नियम, 1956 (इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन विनियम नहीं बना लिए जाते हैं और उसके बाद प्राधिकरण द्वारा ऐसे विनियमों को विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है) और अधिनियम के अनुसरण में तैयार किए गए ग्रिड कनेक्टिविटी मानदंडों सहित विभिन्न मानदंडों के प्रावधानों का पालन किया जाएगा ।

13.4 एसटीयू इस आवेदन की एक प्रति उस ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को भेजेगा, जिसकी प्रणाली में कनेक्शन लगाया जाना है, एक प्रति एसएलडीसी को भेजेगा और एक प्रति प्रत्येक ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी (यदि कोई हो) को भेजेगा, जिसकी ट्रांसमिशन प्रणाली पर इस आवेदन-पत्र के कारण प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

1465 DG/08-3

13.5 एसटीयू या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, जिसकी प्रणाली में यह कनेक्शन किया जा रहा हो, विद्युत प्रणाली का अध्ययन करे, जैसा कि किसी भी नये कनेक्शन को देने से पहले उचित समझा गया है।

13.6 एसटीयू विनियम 13.2 के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के अंदर और विनियम 13.4 के अधीन निर्धारित पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद—

- (क) एसटीयू द्वारा किए गए आशोधनों या निर्धारित शर्तों पर आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा ;
- (ख) यदि ऐसे आवेदन-पत्र इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं तो लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन-पत्र को अस्वीकार करेगा।

13.7 यदि विनियम 13.6 के उप-खंड (क) के अनुसार किसी आवेदन-पत्र को स्वीकार किया जाता है तो एसटीयू, आवेदक को एक औपचारिक प्रस्ताव देगा :

परंतु एसटीयू इस प्रस्ताव की एक प्रति समुचित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को भेजेगा।

13.8 वोल्टता स्तर को जिस पर एसटीएस को जोड़ने का प्रस्ताव आवेदक को दिया जाता है, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित मानदंडों द्वारा और एसटीयू द्वारा स्वीकृत विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

13.9 आवेदक और समुचित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, जिसकी प्रणाली पर कनेक्शन लगाया जाना है, आवेदक द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर कनेक्शन करार निष्पादित करेगा :

परंतु एसटीयू को कनेक्शन करार की एक प्रति दी जाएगी :

परंतु यह भी कि एसटीयू द्वारा उपर्युक्त कनेक्शन करार की एक प्रति, मांग करने पर, एसएलडीसी को भी दी जाएगी।

13.10 संबंधित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी/प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित शर्तों का पालन किए जाने पर एसटीयू, संबंधित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी/प्रयोक्ता के संबंध में यह अधिसूचित करेगा कि उसे एसटीएस से जोड़ा जा सकता है।

14. कनेक्शन करार

14.1 कनेक्शन करार में, इसकी शर्तों के अंदर, जैसा कि उचित हो, एसटीएस से जोड़ने के संबंध में प्रयोक्ता या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के कनेक्शन से संबंधित निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी :—

- (क) डीजीसी का अनुपालन करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा पालन की जाने वाली शर्त ;
- (ख) कनेक्शन, तकनीकी अपेक्षा और वाणिज्यिक व्यवस्था का विवरण ;
- (ग) प्रणाली के आवश्यक सुदृढीकरण या विस्तार से उत्पन्न किसी पूंजीगत व्यय का विवरण, डाटा संप्रेषण आदि और संबंधित पक्षकारों के बीच उसकी सीमा तय करना ;
- (घ) स्थल संबंधी दायित्व अनुसूची ;

(ङ) सुरक्षा संबंधी सामान्य दर्शन और मार्गदर्शी सिद्धांत (अर्थात् विनियम 16.3.2 के अधीन दी गई एसटीयू की सुरक्षा योजना के अनुसार) ;

(च) सुरक्षा प्रणाली (अर्थात् विनियम 22.21 के अधीन तैयार/अद्यतन की गई प्रणाली सुरक्षा स्कीम के अनुसार) ;

(छ) प्रणाली रिकार्डिंग उपकरण ;

(ज) संप्रेषण सुविधाएं, और

(झ) अन्य कोई सूचना, जो एसटीयू या आयोग द्वारा आवश्यक समझी जाए।

14.2 कनेक्शन करार का नमूना अध्याय-III के अनुबंध-I में दिया गया है।

15. ग्रिड मानदंड में अंतर

15.1 सामान्य

15.1.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और प्रयोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि एसटीएस से सेवा चाहने या उसे सेवा देने का संयंत्र और साधित्र ऐसे डिजाइन और बनावट का है कि ऐसे संयंत्र और साधित्र का संतोषजनक प्रचालन इस अंतर द्वारा बाधित नहीं होगा, उनके नाम मात्र मूल्य से प्रचालन की आवृत्ति और वोल्टता के तात्कालिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे संयंत्र और साधित्र से एसटीएस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15.2 आवृत्ति अंतर

15.2.1 प्रणाली की रेटेड आवृत्ति 50.0 एचजेड होगी और सामान्यतः प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार सीमा के अंदर नियंत्रित की जाएगी।

15.3 वोल्टता अंतर

15.3.1 वोल्टता का अंतर, प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट वोल्टता रेंज से अधिक न हो।

16. कनेक्शन प्वाइंट पर उपस्कर

16.1 उप-केन्द्र उपस्कर

16.1.1 सभी अतिरिक्त उच्च वोल्टता (ईएचवी) उप-केन्द्र उपस्कर, ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स/इंटरनेशनल इलैक्ट्रो टेक्निकल कमीशन द्वारा जारी मानदंडों/प्रचलित विद्यमान कोड के अनुरूप होंगे।

16.1.2 सभी उपस्करों को इंटरनेशनल इलैक्ट्रो टेक्निकल कमीशन या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षाओं के अनुरूप डिजाइन, विनिर्मित और परीक्षित तथा प्रमाणित किया जाएगा।

16.1.3 प्रयोक्ता और एसटीएस के बीच के प्रत्येक कनेक्शन को, कनेक्शन प्वाइंट पर रूकावट करने योग्य सर्किट ब्रेकर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह रूकावट, विशिष्ट कनेक्शन करार में एसटीयू द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कम से कम शार्ट सर्किट करंट पर होगी।

16.2 दोष निवारण समय

16.2.1 यदि सभी उपस्कर सही कार्य कर रहे हों तो प्राथमिक सुरक्षा स्कीम के संबंध में दोष निवारण समय, एसटीएस से सीधे जुड़े प्रयोक्ता के उपस्कर के तीन चरणीय दोष (बस बार के नजदीक) के

मामले में और प्रयोक्ता के उपस्कर से जुड़े एसटीएस के संबंध में तीन चरणीय दोष के मामले में निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा:—

(क) 400 किवा. और उससे अधिक मामले में 100 मिलि. सेकेंड

(ख) 200 किवा. और उससे कम के मामले में 160 मिलि. सेकेंड

16.2.2 प्रारंभिक सुरक्षा प्रणाली के असफल होने की स्थिति में अपेक्षित पृथक्करण/सुरक्षा के लिए समन्वित तरीके से बैक-अप सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, यदि कोई उत्पादन यूनिट, एसटीएस से सीधे जुड़ा हो तो वह एसटीएस की तरफ से बैक-अप सुरक्षा द्वारा दोष को दूर किए जाने तक ऐसे दोष को रोक सकेगा।

16.3 सुरक्षा

16.3.1 सभी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और प्रयोक्ताओं द्वारा सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी ताकि दोषपूर्ण उपस्कर को पृथक् किया जा सके और अन्य संघटकों की सभी प्रकार के आंतरिक/वाह्य दोषों से विश्वसनीयता, चयनात्मकता और संवेदनशीलता के साथ विनिर्दिष्ट दोष निवारण समय के अंदर रक्षा की जा सके:

परंतु सभी प्रयोक्ता अथवा ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, कनेक्शन करार में दी गई सुरक्षा प्रणाली मुहैया कराएंगे।

16.3.2 एनआरपीसी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर रिले सेटिंग समन्वय किया जाता है, जबकि सुरक्षा रिले सेटिंग की व्यवस्था का समन्वय पूरे राज्य ग्रिड में आवधिक रूप से एसटीयू द्वारा अलग से तैयार की जाने वाली योजना के अनुसार किया जाएगा।

16.4 रिएक्टिव विद्युत प्रतिपूर्ति

16.4.1 रिएक्टिव विद्युत प्रतिपूर्ति और/या अन्य सुविधाएं, लोड प्वाइंट के नजदीक कम वोल्टता में, यथासंभव प्रयोक्ता द्वारा प्रदान की जाएगी, ताकि एसटीएस को/से रिएक्टिव विद्युत के विनियम की आवश्यकता से बचा जा सके और विशिष्ट रेंज के अंतर्गत एसटीएस वोल्टता बनाई रखी जा सके।

16.4.2 लाइन रिएक्टिवों की व्यवस्था की जाए ताकि अस्थायी रूप से आई अधिक वोल्टता को कनेक्शन करार में निर्धारित सीमा के अन्दर नियंत्रित किया जा सके।

16.4.3 प्रयोक्ता द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त रिएक्टिव प्रतिपूर्ति का उल्लेख एसटीयू द्वारा कनेक्शन करार में किया जाएगा ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके।

16.4.4 प्रयोक्ता यह कोशिश करेगा कि उस समय इंटरचेंज प्वाइंट पर रिएक्टिव विद्युत कम से कम निकाली जाए, जब उस प्वाइंट पर रेटेड वोल्टता के 95 प्रतिशत से कम वोल्टता हो और उस समय उसमें रिएक्टिव विद्युत न डाली जाए, जब रेटेड वोल्टता के 105 प्रतिशत से अधिक वोल्टता हो। संबंधित आहरण प्वाइंट पर इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर टेप को बदला जा सकता है ताकि एसएलडीसी से किए गए प्रयोक्ता के अनुरोध के अनुसार रिएक्टिव विद्युत इंटरचेंज को नियंत्रित किया जा सके लेकिन ऐसा उचित अंतराल पर ही किया जाए।

16.4.5 पूरे ग्रिड में सभी 400 किवा. बस और लाइन रिएक्टिवों के स्विचों को अंदर/बाहर करने का कार्य एसएलडीसी के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। सभी 400/220 किवा. इंटरएक्टिंग ट्रांसफार्मरों

के टेप बदलने का कार्य एसएलडीसी के अनुदेशों के अनुसार ही किया जाएगा।

17. संप्रेषण सुविधाएं

17.1 सामान्य और अपसामान्य स्थितियों में राज्य लोड प्रेषण केंद्र द्वारा राज्य ग्रिड के आवश्यक संप्रेषण तथा आंकड़े विनियम और पर्यवेक्षण/नियंत्रण की सुविधा के लिए विश्वसनीय और प्रभावी भाषा और आंकड़े संप्रेषण प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

17.2 सभी प्रयोक्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी कनेक्शन करार में दिए गए प्रावधान के अनुसार अपने-अपने स्थलों पर अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराएंगे:

परंतु संप्रेषण और आंकड़े विनियम संबंधी उपस्कर/युक्ति, एसएलडीसी के मार्गदर्शी सिद्धांतों, तात्कालिक जरूरतों और लागू अन्य ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों/विशिष्टियों पर विचार करते हुए मुहैया की जाएगी।

18. प्रणाली रिकार्डिंग उपकरण

18.1 आंकड़े अर्जन प्रणाली/व्यवधान रिकार्डर/घटना लॉगर/दोष लोकेटर (समय घटित उपस्कर सहित) जैसे रिकार्डिंग उपकरण, इस प्रणाली के प्रभावी कार्य-निष्पादन को रिकार्ड करने के लिए एसटीएस में मुहैया किए जाएंगे।

18.2 सभी प्रयोक्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, स्वीकृत समय अनुसूची के अनुसार कनेक्शन करार में निर्धारित सभी आवश्यक रिकार्डिंग उपकरण मुहैया कराएंगे।

19. प्रचालन सुरक्षा का दायित्व

19.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और प्रयोक्ता, प्रत्येक कनेक्शन प्वाइंट की स्थान संबंधी दायित्व अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

19.2 स्थान संबंधी दायित्व अनुसूची

19.2.1 संबंधित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और प्रयोक्ता द्वारा स्थान संबंधी दायित्व अनुसूची पेश की जाएगी, जिसमें सुरक्षा दायित्वों सहित परियोजना या कनेक्शन के कार्य-निष्पादन से पहले प्रत्येक के स्वामित्व संबंधी दायित्वों का विवरण दिया जाएगा।

19.2.2 एसटीएस के प्रत्येक कनेक्शन के लिए स्थान संबंधी दायित्व अनुसूची, संगत कनेक्शन करार के अनुसरण में संबंधित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा तैयार की जाएगी और कनेक्शन प्वाइंट में लगे संयंत्र और साधित्र की प्रत्येक मद के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी जायेगी:

(क) संयंत्र/साधित्रों का स्वामित्व ;

(ख) संयंत्र/साधित्रों के नियंत्रण का दायित्व;

(ग) संयंत्र/साधित्रों के प्रचालन का दायित्व;

(घ) संयंत्र/साधित्रों के अनुरक्षण का दायित्व;

(ङ) कनेक्शन प्वाइंट पर व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का दायित्व।

19.2.3 स्थान संबंधी दायित्व अनुसूची का नमूना अध्याय-III के अनुबंध-II में दिया गया है।

19.3 एकल लाइन आरेख

19.3.1 संबंध प्रयोक्ता या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक कनेक्शन प्वाइंट के संबंध में एसटीयू को एकल लाइन आरेख प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु एसटीयू उपर्युक्त सूचना मांग करने पर एसएलडीसी को भेजेगी।

19.3.2 एकल लाइन आरेख में सभी हाइटेशन से जुड़े उपस्कर और सभी वाह्य सर्किटों के कनेक्शन शामिल होंगे और इसमें नंबर नामावली और लेबलिंग को भी शामिल किया जाएगा।

19.3.3 यदि किसी उपस्कर को बदलने का प्रस्ताव हो तो संबंधित प्रयोक्ता या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी राज्य ट्रांसमिशन यूटीलिटी और सभी संबंधित संशोधनों को आवश्यक परिवर्तनों की सूचना देगा। एकल लाइन आरेख को संबंधित प्रयोक्ता या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा समुचित रूप से अद्यतन रखा जाएगा और इसकी एक प्रति एसटीयू को भेजी जाएगी।

19.4 स्थान का सामान्य नक्शा

19.4.1 स्थान का सामान्य नक्शा प्रत्येक कनेक्शन प्वाइंट के संबंध में तैयार किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी :-

- (क) स्थान का नक्शा;
- (ख) विद्युत नक्शा जिसमें केवल/वायरिंग भी शामिल हो;
- (ग) सुरक्षा/नियंत्रण का विवरण; और
- (घ) सामान्य सुविधाओं संबंधित नक्शे।

19.4.2 प्रत्येक कनेक्शन प्वाइंट पर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और प्रयोक्ता की प्रणाली/सुविधा के संबंध में उनके द्वारा विस्तृत आरेख तैयार किया जाएगा और इसकी प्रतियां क्रमशः संबंधित प्रयोक्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराई जाएंगी।

19.4.3 यदि स्थान के सामान्य नक्शे में कोई ऐसा परिवर्तन हो कि जिसे कनेक्शन प्वाइंट पर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या प्रयोक्ता की प्रणाली/सुविधा के संबंध में उनके द्वारा आवश्यक समझा जाए तो ऐसे परिवर्तन का विवरण, यथाशीघ्र, लेकिन हर हालत में ऐसे परिवर्तन किए जाने के 15 दिन के अंदर, सभी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा।

20. कनेक्शन स्थान पर पहुंच

20.1 कनेक्शन स्थान का स्वामी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या प्रयोक्ता ऐसे अन्य ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या प्रयोक्ता को उचित पहुंच और अन्य अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराएगा जिसके उपस्कर को संस्थापन, प्रचालन, अनुरक्षण आदि के लिए कनेक्शन के स्थान पर लगाने का प्रस्ताव है/लगाया गया है।

20.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और प्रयोक्ताओं के बीच लिखित प्रक्रिया और करार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या प्रयोक्ता को अनिवार्य पहुंच की सुविधा उपलब्ध है और कनेक्शन के स्थान पर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या प्रयोक्ता के हितों की भी सुरक्षा की गई है।

अध्याय-III का अनुबंध-1

कनेक्शन करार

(कृपया विनियम 14.2 देखें)

यह करार..... (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का नाम) की ट्रांसमिशन प्रणाली से जुड़ने और उसका प्रयोग करने के लिए वर्ष के..... माह के..... दिन किया जाता है।

(1)..... (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी), जिसका पंजीकृत कार्यालय..... में स्थित है, और

(2)..... (कम्पनी का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय..... (विस्तृत पता) में स्थित है, जिसे इसमें इसके बाद "प्रयोक्ता" कहा जाएगा के बीच किया गया है।

चूंकि-

(क)..... (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का नाम और पता) अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिए गए ट्रांसमिशन लाइसेंस का धारक है;..... (प्रयोक्ता का नाम) को 220 किवा./400 किवा. पर विद्युत देने/लेने के प्रयोजन के लिए कनेक्शन करार निष्पादित करने के लिए सहमत है।

(ख)..... [वितरण कंपनी (प्रयोक्ता) का नाम] दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक..... के आदेश के जरिए जारी वितरण लाइसेंस (सं.....) का धारक है।

(ग)..... (प्रयोक्ता जेनरेटर/सीजीपी/थोक उपभोक्ता का नाम), राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग/दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक..... के आदेश के जरिए जारी प्राधिकार-पत्र का धारक है।

अब एतद्वारा इस प्रकार सहमत हैं :

(I) ग्रिड कोड अनुपालन

इस बात के लिए सहमति व्यक्त की गई कि प्रयोक्ता..... और..... (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी)..... से/को..... (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी), बिजली उपलब्ध कराने या बिजली भेजने के प्रयोजन के लिए लागू दिल्ली ग्रिड कोड (डीजीसी)/भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के प्रावधानों का पालन करेंगे और..... (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी) की ट्रांसमिशन प्रणाली नेटवर्क से कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे।

(II) करार की शर्तें

(क) यह करार दिनांक..... से लागू मानी जाएगी और जब तक समाप्त न की जाए तब तक लागू रहेगी। यदि इस करार की शर्तों में समय-समय पर अपेक्षित किसी परिवर्तन के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और प्रयोक्ता

के बीच कोई मतभेद या असहमति हो जाती है तो उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा, ऐसा न हो सकने पर यह मामला दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को भेजा जाएगा।

(ख) इस करार की शर्तें उन विनियमों के अनुसार स्वतः आशोधित हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी, जो विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अनुसार समय-समय पर जारी किए जाएं। आयोग के किसी विनियम के व्यावहारिक रूप से अनुपालन करते ही, जिससे इस करार की शर्तें आशोधित होंगी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी इस करार का संशोधित पाठ तैयार करेगा, जिसमें संशोधित शर्तें और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी तथा प्रयोक्ता के बीच हुई अनुवर्ती करार को शामिल किया जाएगा। संशोधित पाठ में संगत विनियमों को सही-सही प्रदर्शित किया जाएगा। प्रयोक्ता इस संशोधित पाठ को निष्पादित करेगा।

(ग) कोई भी प्रयोक्ता इस करार के अधीन ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की स्पष्ट सहमति या अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति/प्रयोक्ता के पक्ष में इस करार को समनुदेशित नहीं करेगा या अंतरित नहीं करेगा या इसके लाभों सहित इसका हिस्सा नहीं करेगा।

(घ) ऐसा कोई कनेक्शन, जिसे अनधिकृत रूप से अंतरित किया गया हो या बांटा गया हो, स्पष्टीकरण मांगने संबंधी नोटिस और दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के 7 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् डिस्कनेक्ट किया जाएगा।

(ङ) प्रयोक्ता ने इस करार के निष्पादन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी की लागत और सभी प्रासंगिक लागत को पूर्ण रूप से वहन करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

(III) कनेक्शन के विवरण

(क) आपूर्ति वोल्टता की प्रणाली;

(ख) कुल सँविदा मांग;

(ग) सँविदा मांग को चरणबद्ध करना;

(घ) कनेक्शन के विवरण (जिसमें विनियमों के अनुसार नियंत्रण संबंधी विवरण भी शामिल हैं);

(ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के विद्यमान ग्रिड सब-स्टेशन के बे-स्विचिंग स्टेशन/से सहित ट्रांसमिशन लाइन की एलआईएलओ व्यवस्था)

(ड) रिएक्टिव विद्युत प्रतिपूर्ति व्यवस्था का विवरण;

(च) स्विचिंग स्टेशन/बे की स्कीम का विवरण;

(i) बस बार व्यवस्था : तीन बस बार प्रणाली/दो बस बार प्रणाली/मुख्य और अंतरण बस प्रणाली, बस बार टाइप

(ii) भावी विस्तार का प्रावधान

(छ) कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट

(i) रेटेड क्षमता;

(ii) विद्युत उत्पादन की रेटेड वोल्टता का स्तर;

(iii) निकाली जाने वाली अतिरिक्त बिजली की मात्रा;

(iv) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के नेटवर्क से कनेक्टिविटी का विवरण;

(v) एसएलडीसी के साथ संप्रेषण कनेक्टिविटी का तरीका: टेलीफोन, फैक्स, बाहक संप्रेषण।

(ज) संप्रेषण व्यवस्था: प्रयोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह एसएलडीसी द्वारा निर्मित ध्वनि और अन्य आंकड़े संप्रेषण की सुविधा मुहैया कराएगा।

(झ) मीटरिंग व्यवस्था: प्रयोक्ता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखाकरण और लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए मीटर मुहैया कराएगा।

(प्रचालन/वाणिज्यिक टैरिफ की मानोटरिंग योजना का विवरण मुहैया कराया जाएगा) विस्तृत आंकड़े डीजीसी के प्रावधानों के अनुसार मुहैया कराए जाएंगे।

(ञ) अन्य प्रभार:

ट्रांसमिशन लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण प्रभारों को (जिसका विवरण सूचित किया जाएगा) 220 किवा./400 किवा. फीडर बे (बे की संख्या और ग्रिड सब-स्टेशन के स्थान का उल्लेख किया जाएगा), 220 केवी./400 केवी. स्विचिंग स्टेशन (बे आदि का विवरण सूचित किया जाएगा) इस अधिनियम/विनियम कोड और आयोग के आदेशों के लागू प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(i) प्रवेश प्रभार और निकासी प्रभार जैसे ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित किए जाएं और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाएं जहां कहीं उचित हो अदा किए जाएंगे।

(ii) प्रणाली के आवश्यक प्रवर्तन या विस्तार से उत्पन्न अदायगी से संबंधित पूंजी का भुगतान किया जाएगा।

(ट) स्थान संबंधी दायित्व अनुसूची

स्थान संबंधी दायित्व अनुसूची का फार्मेट डीजीसी के अध्याय-III के अनुबंध-II में दिया गया है।

(ठ) सुरक्षा योजना

प्रयोक्ता की प्रणाली में सुरक्षा स्कीम का प्रावधान किया जाएगा ताकि उनकी प्रणाली में होने वाले दोषों से ग्रिड की सुरक्षा की जा सके और ट्रांसमिशन प्रणाली से उत्पन्न होने वाले तथ्यों से उनकी प्रणाली की अभिरक्षा की जा सके। प्रयोक्ता की प्रणाली की सुरक्षा स्कीम को एसटीयू अर्थात् डीटीएल का अनुमोदन प्राप्त होगा।

(i) ट्रांसमिशन लाइन सुरक्षा स्कीम: (कृपया स्कीम के सामान्य दर्शन का उल्लेख करें)

(ii) 220 किवा./400 किवा. फीडर बे सुरक्षा स्कीम: (कृपया इस स्कीम के सामान्य दर्शन का उल्लेख करें)

(iii) स्विचिंग स्टेशन के लिए अपनाए जाने वाली सामान्य सुरक्षा स्कीम: (कृपया इस स्कीम के सामान्य दर्शन का उल्लेख करें)

(iv) उपलब्ध कराई गई अन्य कोई सुरक्षा स्कीम।

22.3 राज्य ग्रिड की पूर्ण समकालिकता पुनः प्रारंभ हो जाएगी जैसे ही स्थितियाँ उसे पुनः अनुज्ञात करें। पुनः प्रारंभ की प्रक्रिया पृथक रूप से सूत्रबद्ध की गई प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार एसएलडीसी द्वारा पर्यवेक्षित की जाएगी।

22.4 एसएलडीसी द्वारा विशिष्ट रूप से अनुदेशित किए जाने या एसएलडीसी के विशिष्ट तथा पूर्व अनुमोदन के सिवाय, राज्य ग्रिड के किसी भी महत्वपूर्ण तत्व को किसी भी समय जानबूझकर खोला या सेवा से हटाया नहीं जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रिड तत्वों की सूची जिन पर उपर्युक्त शर्तें लागू होंगी, एसएलडीसी द्वारा डीजीसी की अधिसूचना के तीन मास के भीतर पारोषण अनुज्ञप्ति-धारकों तथा उपभोक्ताओं के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा एसएलडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

22.5 किसी आकस्मिक स्थिति के अधीन राज्य ग्रिड के किसी महत्वपूर्ण तत्व को खोलने/हटाने की दशा में, इसके बारे में घटना के यथाशीघ्र संभव समय के भीतर एसएलडीसी को सूचित किया जाएगा।

22.6 विनियम 22.4 में निर्दिष्ट राज्य ग्रिड के किसी तत्व की कोई भी चूक, चाहे वह मानवीय हो या स्वतः यथाशीघ्र संबंधित पारोषण अनुज्ञप्तिधारक या उपभोक्ता द्वारा एसएलडीसी को सूचित की जाएगी। निर्धारित सीमा तक, कारण और पुनः प्रारंभ का संभाव्य समय भी सूचित किया जाएगा। यथासंभव शीघ्र मरम्मत हेतु सभी युक्तियुक्त प्रयत्न किए जाएंगे।

22.7 विनिर्माता द्वारा अधिकथित अभिकल्पन सीमाओं के अधीन रहते हुए रेटेड प्रणाली फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज पर जेनेरेशन इकाई अपनी सामान्य रेटेड सक्रिय/पुनः सक्रिय आउटपुट के निरंतर प्रदाय में समर्थ होगी।

22.8 संयोजन करार में निश्चित किए गए अनुसार जेनेरेटिंग इकाई में एक स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर संरक्षा और सुरक्षा उपस्कर होंगे।

22.9 प्रत्येक जेनेरेटिंग इकाई में 3% से 6% की रेंज के भीतर संपूर्ण पातन विशेषताओं वाला टरबाइन स्पीड गवर्नर होगा और ऐसा टरबाइन स्पीड गवर्नर सदैव सेवा में होगा :

परंतु यदि 50 मेगावाट आकार से अधिक के किसी जेनेरेटिंग इकाई में सामान्य प्रचालन में इसके गवर्नर के बिना प्रचालित होना अपेक्षित हो तो, एसएलडीसी को तत्काल ऐसे प्रचालन के कारण तथा अवधि के बारे में सूचित किया जाएगा।

22.10 लोड लिमिटर्स, स्वचालित टरबाइन रनअप प्रणाली, टरबाइन पर्यवेक्षण नियंत्रण, संयोजित नियंत्रण प्रणाली आदि को किसी भी रीति में सामान्य गवर्नर क्रिया को दर्शित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी डैक बैंड और/या समय की देरी को जानबूझकर लागू नहीं किया जाएगा।

22.11 105% की अधिकतम निरंतर रेटिंग की सीमा के अधीन, प्रत्येक जेनेरेटिंग इकाई फ्रिक्वेंसी के कम होने पर स्वतः ही 5% तक आउटपुट बढ़ाने में समर्थ होगी। बढ़े हुए आउटपुट स्तर के निरंतर न रखे जा सकने की स्थिति में पूर्व जेनेरेशन स्तर पर वापस लौटना 1% प्रति मिनट से अधिक तेज नहीं होगा:

परंतु 50 मेगावाट आकार से अधिक की उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाली कोई जेनेरेटिंग इकाई केवल एसएलडीसी की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रचालन में रखी जाएगी (राज्य ग्रिड के साथ समकालिक) :

परंतु यह भी कि उपभोक्ता स्पेनिंग रिजर्व में तत्स्थानी कमी को उपभोक्ता की अन्य जेनेरेटिंग इकाई पर अतिरिक्त स्पेनिंग रिजर्व बनाए रखकर पूरा कर सकता है।

22.12 गवर्नर सैटिंग को परिवर्तित करने के लिए अनुशंसित रेट अर्थात् उनकी प्रकार और आकार को ध्यान में न रखते हुए सभी जेनेरेटिंग इकाइयों के लिए (जेनेरेशन लेबल) आउटपुट को बढ़ाने या घटाने हेतु अनुपूरक नियंत्रण 1% प्रति मिनट या विनिर्माता की सीमाओं के अनुसार होगा। तथापि, यदि फ्रिक्वेंसी 49.5 हर्ट्ज से नीचे गिर जाती है तो सभी अंशतः लोडेड जेनेरेटिंग इकाइयां अपनी क्षमता के अनुसार अतिरिक्त लोड को अधिकतम रेट पर उठाएंगी।

22.13 एसएलडीसी को पूर्व सूचना तथा उसकी सहमति के बिना, आकस्मिकता या मंहंगे उपकरण को आसन्न संकट को रोकने के सिवाय, कोई भी उपभोक्ता एसएलडीसी द्वारा यथा अधिकथित सीमा से अधिक अपनी जेनेरेटिंग इकाई के आउटपुट को अचानक नहीं घटाएगा, विशेषकर तब जब फ्रिक्वेंसी गिर रही हो या 49.0 हर्ट्ज से नीचे हो। इसी प्रकार एसएलडीसी को पूर्व सूचना तथा उसकी सहमति के बिना कोई उपभोक्ता एसएलडीसी द्वारा यथा अधिकथित सीमा से अधिक अपने लोड में अचानक वृद्धि नहीं करेगा।

22.14 सभी जेनेरेटिंग इकाइयों के पास उचित सैटिंग के साथ सामान्यतः उनके स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर होंगे :

परंतु 50 मेगावाट से अधिक के किसी जेनेरेटिंग इकाई के इसके स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर के बिना प्रचालित किया जाना अपेक्षित होने की दशा में एसएलडीसी को तत्काल इसका कारण और अवधि सूचित किया जाएगा तथा इसकी अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।

22.15 समय-समय पर एसटीयू द्वारा इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई योजना के अनुसार जेनेरेटिंग इकाइयों के स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटरों में पावर सिस्टम स्टेबलाइजर जहां कहीं प्रदत्त हो, उचित ढंग से अनुक्रमिक जेनेरेटिंग इकाई स्वामी द्वारा उचित ढंग से तारतम्य में किया जाएगा। एसटीयू को, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए पावर सिस्टम स्टेबलाइजर की जांच करने तथा इसे और तारतम्य में करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

22.16 एनआरपीसी की संरक्षा समिति के परामर्श से पृथक रूप से अंतिम रूप दिए जाने वाली योजना के अनुसार संपूर्ण राज्य ग्रिड में संरक्षण और रिलेसेटिंग के उपबंध को कालिक रूप से समन्वित किया जाएगा।

22.17 एसएलडीसी, एनआरएलडीसी, उपभोक्ताओं तथा पारोषण अनुज्ञप्तिधारकों के समन्वय से यह सुनिश्चित करने के सभी संभव प्रयास करेगा कि ग्रिड की फ्रिक्वेंसी 49.0-50.5 हर्ट्ज बैंड की उस फ्रिक्वेंसी रेंज के भीतर सदैव रहे जिसमें आईईसी विशिष्टताओं के अनुरूप वाष्प टरबाइन सुरक्षित ढंग से निरंतर प्रचालित रह सकते हों।

22.18 उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारक एनआरपीसी के परामर्श से पृथक रूप से अंतिम रूप दी गई योजना के अनुसार फ्रिक्वेंसी में गिरावट को रोकने हेतु जहां कहीं अनुप्रयोग्य हो, अपनी अनुक्रमिक प्रणालियों में स्वचालित अंडर फ्रिक्वेंसी और

डीएफ/डीटी रिले आधारित लोड शेडिंग/आई लैडिंग स्कीम उपबोधित करेंगे तथा किसी आकस्मिकता की दशा में जेनेरेटिंग इकाइयों के प्रणाली पातन को रोकने हेतु इसका प्रभावी अनुप्रयोग सुनिश्चित करेंगे।

22.19 उपभोक्ता और पारेषण अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि विनियम 22.18 में वर्णित अंडर फ्रिक्वेंसी और डीएफ/डीटी रिले आधारित लोड शेडिंग/आई लैडिंग स्कीम सदैव प्रचालन में हो :

परंतु एसएलडीसी की पूर्व सहमति से अत्यंत आकस्मिकताओं में रिले को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकेगा।

22.20 एसटीयू अंडर फ्रिक्वेंसी रिले का कालिक निरीक्षण करेगा तथा एसएलडीसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एसएलडीसी अंडर फ्रिक्वेंसी रिले और/या डीएफ/डीटी रिले प्रचालन का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

22.21 उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारक वोल्टेज अवरोध और प्रपातन को सम्मिलित करने वाली स्थितियों के विरुद्ध विद्युत प्रणाली को संरक्षित करने में एनआरपीसी के परामर्श से निश्चित की गई प्रणाली संरक्षा स्कीमों (जिसमें अंतर पातन और रनवैक सम्मिलित है) की पहचान, इंस्टालेशन और कमीशनिंग को सुकर बनाएंगे :

परंतु ऐसी स्थिति में एसटीयू द्वारा एसएलडीसी, उपयोगिताओं और अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों से उचित परामर्श के पश्चात् तैयार की जाएगी तथा अपेक्षानुसार कालिक रूप से अद्यतन की जाएगी।

22.22 प्रत्येक उपयोगिता और पारेषण अनुज्ञप्तिधारक ग्रिड की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक आंकड़ा/सूचना के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त और विश्वसनीय संसूचना सुविधा को आंतरिक रूप से और एसएलडीसी, अन्य उपभोक्ताओं तथा अन्य पारेषण अनुज्ञप्ति-धारकों को प्रदान करेगा। जहां कहीं संभव हो महत्वपूर्ण रुटों अर्थात् एसएलडीसी से डीसीसी, एसएलडीसी से जेनेरेटिंग स्टेशनों आदि पर संसूचना के लिए अनुपयोगी और वैकल्पिक मार्ग अनुरक्षित किया जाएगा।

22.23 सभी उपभोक्ता और पारेषण अनुज्ञप्तिधारक किसी ग्रिड गड़बड़ी/घटना के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए एसएलडीसी को डिस्टेवेंस रिकार्ड/सीक्वेंसियल इवेंट रिकार्ड आउटपुट आदि समेत सभी निवेदित जानकारी/आंकड़ा एसएलडीसी को भेजेंगे। कोई भी उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक राज्य या क्षेत्रीय ग्रिड की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा बनाए रखने तथा किसी घटना के विश्लेषण के लिए एसएलडीसी द्वारा अपेक्षित किसी आंकड़े/जानकारी को अवरोध नहीं करेगा।

22.24 एसएलडीसी, उपभोक्ता और पारेषण अनुज्ञप्तिधारक यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड वोल्टेज सदैव निम्नलिखित प्रचालन रेंज में रहे, सभी संभव प्रयास करेंगे :

वोल्टेज (केबी. आरएमएस.)

अभिहित	अधिकतम	न्यूनतम
400	420	360
220	245	200
66	73	60

23. मांग पूर्वानुमान

23.1 एसएलडीसी सक्रिय विद्युत के साथ-साथ पुनः सक्रिय विद्युत के लघु अवधि (एक दिवस से 52 सप्ताह) मांग अनुमान के लिए उत्तरदायित्व निश्चित करेगा। यह इन अनुमानों/पूर्वानुमानों पर पहुंचने के लिए संबंधित पक्षों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रियाओं के साथ-साथ समय रेखाएं भी उपबोधित करेगा :

परंतु एसएलडीसी इन विनियमों के विनियम 9 के अधीन पारेषण प्रणाली योजना को विकसित करते समय एसटीयू द्वारा विचारित किए गए मांग पूर्वानुमान को निर्दिष्ट करेगा।

23.2 मांग अनुमान में प्रचालन प्रयोजनों के लिए यथा अनुप्रयोज्य समय स्केल सम्मिलित होंगे। समय स्केलों को मांग पूर्वानुमान संबंधित सूचना देने के लिए विद्यमान अन्य विनियमों के अधीन अपेक्षाओं पर सम्यक् विचार काने के पश्चात् निश्चित किया जाना चाहिए।

24. मैनुअल मांग डिसकनेक्शन

24.1 उपभोक्ता प्रणाली फ्रिक्वेंसी 49.0 हर्टज से कम होने पर अपने आनुक्रमिक प्रत्याहरण के भीतर अपने वास्तविक प्रत्याहरण को निर्बंधित करने का प्रयास करेंगे :

परंतु फ्रिक्वेंसी के 49.0 हर्टज से कम होने की दशा में, एसएलडीसी संबंधित उपभोक्ताओं को अधिक प्रत्याहरण को कम करने के लिए मैनुअल लोड शेडिंग प्रभावी करने का निर्देश देगा:

परंतु यह और कि ऐसे निर्देशों में समय अवधि या प्रणाली की दशाएं सम्मिलित होंगी जब तक कि जारी किए गए निर्देश लागू न हों।

24.2 प्रणाली की सुरक्षा को कतिपय आकस्मिकताओं और/या संकट की दशा में, राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र उपभोक्ताओं को प्रत्याहरण घटाने का निर्देश दे सकेगा तथा ऐसे उपभोक्ता ऐसे निर्देशों पर तत्काल कार्य करेंगे :

परंतु ऐसे निर्देशों के किसी अननुपालन को इन विनियमों के विनियम 35 के उपबंधों के अनुसार व्यवहृत किया जाएगा।

24.3 उपभोक्ता ऐसे प्रबंध करेंगे जो एसएलडीसी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मैनुअल डिसकनेक्शन को समर्थ बनाएंगे।

25. रिपोर्टें

25.1 महत्वपूर्ण प्रचालनों पर दैनिक रिपोर्ट के अतिरिक्त, पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए राज्य ग्रिड के निष्पादन के बारे में सूचित करने के लिए एसएलडीसी द्वारा इसकी इंटरनेट वेबसाइट पर साप्ताहिक रिपोर्ट डाली जाएगी। साप्ताहिक रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :

(क) फ्रिक्वेंसी प्रोफाइल

(ख) चयनित सब-स्टेशनों का वोल्टेज प्रोफाइल

(ग) लोड शेडिंग समेत मांग और आपूर्ति की स्थिति, यदि कोई हो;

(घ) मुख्य जेनेरेशन और पारेषण आघात

(ङ) पारेषण बाधाएं और

(च) डीजीसी के निरंतर/महत्वपूर्ण अननुपालन की घटनाएं :

परंतु एसएलडीसी की वेबसाइट पर साप्ताहिक रिपोर्ट कम से कम बारह सप्ताहों तक उपलब्ध रहेंगी :

परंतु यह और कि ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति निवेदन पर किसी उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को उपलब्ध कराई जाएगी ।

25.2 एसएलडीसी एक त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें विभिन्न उपभोक्ताओं/पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों तथा बाधाओं को कारित करने के लिए उत्तरदायी उपभोक्ताओं/पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों के साथ प्रणाली की बाधाओं, सुरक्षा मानकों तथा सेवा की क्वालिटी की अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण, यदि कोई हों, वर्णित होंगे ।

26. प्रचालन संपर्क

26.1 राज्य ग्रिड पर प्रचालन और घटनाएं

26.1.1 एसएलडीसी राज्य ग्रिड पर किसी प्रचालन के किए जाने से पूर्व प्रत्येक उपभोक्ता तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारक को, जिसकी प्रणाली को प्रचालन प्रभाव हो सकता है या होगा, सूचित करेगा तथा किए जाने वाले प्रचालन का विवरण देगा।

26.2 उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक प्रणाली के प्रचालन और घटनाएं

26.2.1 उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक की प्रणाली पर कोई प्रचालन किए जाने से पूर्व संबंधित उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, राज्य ग्रिड पर किसी प्रचालन प्रभाव हो सकने या होने की दशा में एसएलडीसी को सूचित करेगा तथा किए जाने वाले प्रचालन का विवरण देगा ।

26.2.2 उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक अपनी प्रणाली में किसी घटना की स्थिति में तत्काल एसएलडीसी को, इस घटना के पश्चात् राज्य ग्रिड पर किसी प्रचालन प्रभाव हो सकने या होने की दशा में, सूचित करेगा तथा क्या घटना हुई, उसका विवरण देगा किन्तु उसके लिए इसके कारण देना आवश्यक नहीं होगा ।

27. आघात योजना और समन्वय

27.1 सभी उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारक प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए लिखित में अपने प्रस्तावित आघात कार्यक्रमों के बारे में एसएलडीसी को सूचित करेंगे । इसमें प्रत्येक जेनेरेशन इकाई/पारेषण लाइन/अंतरसंयोजित ट्रांसफार्मर की पहचान जिसके लिए आघात की योजना बनाई जा रही है, आघात के कारण, प्रत्येक आघात की अधिमानी तारीख तथा इसकी अवधि तथा जहां लोचनीयता हो, सबसे पहली प्रारंभ की तारीख तथा नवीनतम समाप्ति की तारीख अंतर्निहित होगी ।

27.2 एसएलडीसी राज्य ग्रिड के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 दिसंबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए आघात कार्यक्रम प्रारूपित करेगा :

परंतु आघात योजना को प्रणाली की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता पर सम्यक विचार किए जाने के पश्चात् विकसित किया जाएगा तथा उसे इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि ऐसी योजना के कारण पूरी न हुई प्रणाली की मांग को न्यूनतम रखा जाए:

परंतु एसएलडीसी, एसटीयू के परामर्श से, आईजीसी के अधीन यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रीय आघात योजना प्रक्रिया के साथ उपर्युक्त आघात योजना का समन्वय करेगा ।

27.3 पारेषण आघात योजना को जेनेरेशन आघात योजना से समन्वित किया जाएगा तथा वितरण प्रणाली आघात योजना को जेनेरेशन और पारेषण आघात योजना से समन्वित किया जाएगा:

परंतु एसएलडीसी, एसटीयू के परामर्श से जैसा कि आईईजीसी के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है उपर्युक्त आघात योजना को क्षेत्रीय आघात योजना प्रक्रिया से समन्वित करेगा ।

27.4 अंतिम आघात योजना प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक सभी उपभोक्ताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों को सूचित की जाएगी :

परंतु एसएलडीसी उपभोक्ताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों के परामर्श से आघात योजना को अंतिम रूप देगा :

परंतु यह और कि उपर्युक्त वार्षिक आघात योजना एसएलडीसी द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों के समन्वय से पृथक रूप से अंतिम रूप दी गई अनुसूची/प्रक्रिया तथा जहां कहीं आवश्यक हों, किए गए समायोजनों के अनुसार मासिक आधार पर पुनरीक्षित की जाएगी ।

27.5 प्रत्येक उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक योजनागत शेड्यूल के अनुसार आघात का लाभ उठाने से कम से कम सात दिवस पूर्व इसके बारे में एसएलडीसी को सूचित करेगा तथा इसके लिए एसएलडीसी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

27.6 एसएलडीसी को निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने की दशा में किसी योजनागत आघात में देरी का प्राधिकार होगा :

(क) मुख्य ग्रिड गड़बड़ियां (जैसे संपूर्ण ब्लैक आउट) ;

(ख) प्रणाली पृथक्करण ;

(ग) प्रणाली में कोई अन्य दुर्घटना जिससे प्रस्तावित आघात द्वारा प्रणाली सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव हो :

परंतु एसएलडीसी यथासंभव शीघ्र, आघात योजना में पुनरीक्षण के उचित कारणों सहित, पुनरीक्षित आघात योजना के बारे में सूचित करेगा ।

27.7 प्रणाली में आघात की दशा में, जिसमें जेनेरेशन की हानि, पारेषण लाइन में ब्रेकडाउन, ग्रिड में गड़बड़ी तथा प्रणाली पृथक्करण जैसी घटनाएं सम्मिलित हैं, एसएलडीसी योजनागत आघात के अनुमोदन से पूर्व, स्थिति की उचित ढंग से पुनरीक्षा कर सकेगा ।

28. प्रतिप्राप्ति प्रक्रियाएं

28.1 आंशिक/पूर्ण ब्लैकआउट के पश्चात् पुनः चालू करने के लिए विस्तृत योजनाएं और प्रक्रियाएं एसएलडीसी द्वारा एनआरएलडीसी, उपभोक्ताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों के समन्वय से निश्चित की जाएंगी ।

1465 DG/08-5

28.2 प्रक्रिया प्रत्येक पश्चात्पूर्व वर्ष में पुनरीक्षित, संपुष्ट और/या संशोधित की जाएगी। एसएलडीसी द्वारा प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार उपभोक्ताओं और पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों के समन्वय और सलाह से विभिन्न सब-स्टेशनों के लिए कार्यशाला और प्रक्रिया के अनुरूप अभ्यास समेत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

28.3 ब्लैक स्टार्ट सुविधा, अंतर-राज्य/अंतर क्षेत्रीय बंध, समकालिक बिंदुओं तथा प्राथमिकता के आधार पर पुनः चालू किए जाने वाले आवश्यक लोड के साथ जेनेरेटिंग स्टेशनों की सूची, एसएलडीसी द्वारा तैयार की जाएगी तथा उसके पास उपलब्ध होगी।

28.4 एसएलडीसी ग्रिड की तीव्रतम संभव प्रतिप्राप्ति को प्राप्त करने हेतु यथा आवश्यक वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के लिए घटे हुए सुरक्षा मानकों के साथ प्रचालन के लिए ब्लैक आउट के पश्चात् पुनः चालू करने की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकृत होगा।

28.5 पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के लिए अपेक्षित सभी चैनल ग्रिड के सामान्य ढंग से चालू होने तक, केवल प्रचालनात्मक संसूचना के लिए प्रयोग होंगे।

29. घटना की सूचना

29.1 रिपोर्ट करने योग्य घटनाएं

29.1.1 निम्नलिखित में से किसी भी घटनाओं में, यथास्थिति उपभोक्ता/पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या एसएलडीसी द्वारा रिपोर्ट करना अपेक्षित होगा:

- (क) सुरक्षा मानकों का उल्लंघन;
- (ख) ग्रिड अनुशासनहीनता;
- (ग) एसएलडीसी के निर्देशों का अनुपालन;
- (घ) सिस्टम आईलैंडिंग/सिस्टम स्पिलिट;
- (ङ) ब्लैक आउट/आंशिक सिस्टम ब्लैक आउट;
- (च) एसटीएस के किसी तत्व पर संरक्षा की असफलता;
- (छ) विद्युत प्रणाली अस्थिरता; और
- (ज) राज्य ग्रिड के किसी तत्व का पातन।

29.2 रिपोर्टिंग प्रक्रिया

29.2.1 उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक एसएलडीसी को मौखिक रूप से घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट देने के पश्चात् विनियम 29.2.3 के अनुसरण में एसएलडीसी को घटना घटित होने के दो सप्ताह के अंदर लिखित में रिपोर्ट देगा।

29.2.2 ऐसे किसी मामले में, जिसकी सूचना पहले एसएलडीसी द्वारा प्रयोक्ताओं/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों को दी गई थी, एसएलडीसी, ऐसी घटना के घटित होने के दो सप्ताह के अंदर प्रयोक्ताओं/ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों को विनियम 29.2.3 के अनुसार एक लिखित रिपोर्ट भेजेगा।

29.2.3 यथास्थिति, एसएलडीसी या उपभोक्ता/पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा घटना के निम्नलिखित विवरणों के साथ मौखिक अधिसूचना संपुष्ट की जाएगी :

- (क) घटना का समय और तारीख;
- (ख) अवस्थिति;
- (ग) प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वर्तित प्लांट और/या उपकरण;
- (घ) घटना का वर्णन और कारण;
- (ङ) पूर्वांग दशाएं;
- (च) बाधित मांग और/या जेनेरेशन तथा बाधा की अवधि;
- (छ) डिस्टर्बेंस रिकार्डर, इवेंट लॉगर तथा आंकड़ा अर्जन प्रणाली समेत सभी रिकार्डिंग उपकरणों के अभिलेखों की प्रतियां सहित सभी सुसंगत प्रणाली आंकड़े;
- (ज) समय के साथ पातन का क्रम;
- (झ) रिले फ्लैक्स के विवरण; और
- (ञ) सुधार के उपाय।

29.2.4 जेनेरेशन क्षमता या 500 मेगावाट से अधिक के लोड को प्रभावित करने वाली घटनाएं तत्काल यथास्थिति, एसएलडीसी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, या उपभोक्ता द्वारा लिखित में आयोग को रिपोर्ट की जाएगी :

परंतु घटना, घटना का विस्तार तथा संभाव्य कारणों के संक्षिप्त विवरण समेत एक संक्षिप्त दस्तावेज ऐसी घटना के घटित होने के 24 घंटों के भीतर आयोग को भेजा जाएगा।

अध्याय-व

शेड्यूलिंग और प्रेषण कोड

30. क्षेत्रीय शेड्यूलिंग और प्रेषण से संगतता

30.1 जहां तक शेड्यूलिंग और प्रेषण का संबंध है, आईजीसी के अधीन यथाविनिर्दिष्ट शेड्यूलिंग और प्रेषण कोड के अनुसरण में क्षेत्रीय ग्रिड प्रचालन किया जाना अपेक्षित है। चूंकि ऐसे कोड का विस्तार एसएलडीसी, एसटीयू और क्षेत्रीय ग्रिड के अन्य हितग्राहियों पर है, ऐसे उपबंधों के राज्य में उपभोक्ताओं पर लागू होने की सीमा तक, आईजीसी के उपबंधों का, डीजीसी के उपबंधों से असंगतता की दशा में, अध्यारोही प्रभाव होगा।

30.2 तथापि, आयोग, इस कोड के विनियम 6 में यथा उपबंधित के अधीन, डीजीसी को अद्यतन करता रहेगा जिससे इसे आईजीसी से संगत किया जा सके।

31. शेड्यूलिंग और प्रेषण प्रक्रियाएं

31.1 एसएलडीसी आयोग के सुसंगत आदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य के भीतर जेनेरेटिंग स्टेशनों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के परामर्श से अंतरराज्य एबीटी व्यवस्था के अधीन शेड्यूलिंग और प्रेषण के लिए प्रक्रियाएं और प्रचालन अनुदेशों को अंतर्विष्ट करते हुए विस्तृत प्रक्रिया का विकास दस्तावेजीकरण और अनुरक्षण करेगा। ये आंतरिक प्रचालन प्रक्रियाएं निम्नलिखित को सम्मिलित करेगी किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगी :-

- (क) नेटवर्क सुरक्षा और प्रणाली प्रचालन;
- (ख) प्रणाली आकस्मिकताएं;
- (ग) मांग अनुमान और नियंत्रण;
- (घ) शक्ति के अंतर्वितरण अनुज्ञप्तिधारी अंतरण की शेड्यूलिंग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए शेड्यूलिंग और रीशेड्यूलिंग के लिए सूचना का आदान-प्रदान;

- (ड) एबीटी मीटरिंग और लेखाओं की बाबत आंकड़ा अपेक्षा और सत्यापन;
- (च) एबीटी के लिए संपूरक वाणिज्यिक क्रिया विधि;
- (छ) समय-समय पर सरकार द्वारा विद्युत के बंटवारे को ध्यान में रखते हुए जेनेरेशन और प्रत्याहरण की मानीटरिंग;
- (ज) पुनः क्रिया विद्युत आदान-प्रदान और कीमत अंकन, यदि कोई हो;
- (झ) वास्तविक समय वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी प्रबंधन; और
- (ञ) एसएलडीसी द्वारा उचित समझी गई कोई अन्य सुसंगत प्रक्रियाएं;
- परंतु ऐसी प्रक्रियाएं एनआरपीसी तथा एनआरएलडीसी के परामर्श से विकसित की जाएंगी :
- परंतु यह और कि ऐसी प्रक्रिया समय-समय पर भविष्य की गतिविधियों जैसे (i) नए पक्षकारों के साथ द्विपक्षीय वाणिज्य करार और (ii) विद्युत आदान-प्रदान के प्रचालन जैसे बाजार के विकासों और (iii) खुली पहुंच के संव्यवहारों आदि का ध्यान रखते हुए उचित ढंग से उपांतरित/वर्धित की जाएगी :
- परंतु यह और कि ऐसी प्रक्रियाएं तीन मास के भीतर आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी ।
- 31.2 सभी उपयोगिता और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अधीन एसएलडीसी द्वारा जारी किए गए किसी अनुदेश का तत्परता से पालन करेंगे यदि यह कृत्य प्लांट या कार्मिक की सुरक्षा से समझौता नहीं करता है :
- परंतु यदि कोई उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त उपबंधों में से किसी उपबंध का पालन करने में असफल रहता है या किसी अनुदेश का पालन करने में होने वाली अनदेखी कठिनाइयों की दशा में यह इसकी असफलता की तत्परता से एसएलडीसी को सूचना देगा।
- 31.3 प्रेषण अनुदेश मानक प्ररूप में होंगे यह अनुदेश घोषित उपलब्धता और अन्य प्रचालनों को मान्यता देंगे जो जेनेरेटरों द्वारा एसएलडीसी को उपलब्ध कराए गए हैं । इन अनुदेशों में समय, विद्युत स्टेशन, जेनेरेटिंग इकाइयां इन्हें भेजने और प्राप्त करने वाले प्रचालकों का नाम अंतर्विष्ट होगा ।
- प्रेषण अनुदेशों में, अनुमोदित जेनेरेशन शेड्यूल के अतिरिक्त निम्नलिखित अंतर्विष्ट हो सकेगा :
- (i) किसी जेनेरेटर को सर्विस में या सर्विस से बाहर करना ।
- (ii) बनाए रखे जाने वाले स्पनिंग रिजर्व विवरण ।
- (iii) वोल्टेज प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए एमवीए जेनेरेशन को बढ़ाना या घटाना ।
- (iv) पूर्व योजनागत ब्लैक स्टार्ट प्रक्रियाओं को प्रारंभ करना ।

(v) जेनेरेटिंग इकाइयों को स्टैण्डबाइ पर रखना ।

32. शेड्यूलिंग की समय-सारणी

32.1 विनियम 31 के अधीन रहते हुए शेड्यूलिंग प्रक्रिया के बाबत साधारणतया सूचना का आदान-प्रदान निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार होगा :

शेड्यूलिंग के लिए प्रक्रिया (अनुवर्ती दिवस के लिए)

- 9.00 बजे- आईईजीसी उपबंधों अनुसार अंतर-राज्य जेनेरेटिंग स्टेशन (आईएसपीएस) एनआरएलडीसी को स्टेशन अनुसार मेगावाट और मेगावाट घंटा क्षमताओं के बारे में सलाह देंगे ।
- 9.00 बजे- बीटीपीएस, आईपीजीसीएल और पीपीसीएल (जेनेको) मेगावाट और मेगावाट घंटा के संदर्भ में 15 मिनट समय ब्लॉक में एसएलडीसी को अपनी उपलब्धता की घोषणा करेंगे ।
- 10.00 बजे- एनआरएलडीसी द्वारा केंद्रीय सेक्टर के लिए अपनी वेबसाइट www.delhisldc.org पर प्रेषित राज्य का हक ।
- 11.00 बजे- एसएलडीसी अपनी वेबसाइट www.delhisldc.org पर आईपीजीसीएल, पीपीसीएल और बीटीपीएस (जेनेको) उपलब्धता प्रेषित करेगा ।
- 13.00 बजे- एनडीपीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीएमसी और एमईएच (डिस्कॉम) एसएलडीसी को 15 मिनट समय ब्लॉक में मेगावाट और मेगावाट घंटा के संदर्भ में आनुक्रमिक दिवस के लिए विद्युत की स्रोत अनुसार अपेक्षा के बारे में सूचित करेंगे ।
- 15.00 बजे- एसएलडीसी सभी स्रोतों से विद्युत की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा तथा इसके बारे में एनआरएलडीसी को सूचित करेगा ।
- 17.00 बजे- एनआरएलडीसी दिल्ली के लिए कुल प्रत्याहरण शेड्यूल संप्रेषित करेगा तथा वेबसाइट पर प्रेषित करेगा ।
- 18.00 बजे- एसएलडीसी, दिल्ली के अंतिम प्रत्याहरण शेड्यूल पर आधारित डिस्कॉम के अंतिम प्रत्याहरण शेड्यूल तथा जेनेको के जेनेरेशन शेड्यूल को अंकित करेगा और इन्हें पूर्ण रूप से एनआरएलडीसी की वेबसाइट पर अंकित करेगा ।
- 19.00 बजे- जेनेको/डिस्कॉम जेनेरेशन/अपेक्षा के शेड्यूल को परिवर्तित करेगा तथा दिल्ली के अंतिम प्रत्याहरण शेड्यूल में सम्मिलित किए जाने के लिए उसे एनआरएलडीसी को अप्रेषित करने हेतु इसे एसएलडीसी को सूचित करेगा ।
- 22.00 बजे- एसएलडीसी अंतिम प्रत्याहरण शेड्यूल में सम्मिलित करने हेतु उपांतरण को, यदि कोई हो, एनआरएलडीसी को सूचित करेगा ।
- 23.00 बजे- एनआरएलडीसी अन्य राज्यों के साथ दिल्ली राज्य के अंतिम प्रत्याहरण शेड्यूल को जारी करेगा और अपनी वेबसाइट में प्रेषित करेगा ।

23.30 बजे- एसएलडीसी अगले दिवस के लिए विभिन्न वितरण अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा किए गए द्विपक्षीय केन्द्रीय सेक्टर स्टेशन करारों से उपलब्धता के आधार पर डिस्काम के प्रत्याहरण शेड्यूल तथा जेनको के जेनरेशन शेड्यूल की गणना करेगा :

परंतु आईईजीसी उपबंधों के अनुसार अंतर-दिवस शेड्यूलिंग भी अनुज्ञेय है ।

32.2 एसएलडीसी, प्रेषण और जारी किए जा रहे निवल प्रत्याहरण शेड्यूल की आवधिक समीक्षा करेगा, ताकि इस बात की जांच की जा सके कि कोई घटक किसी अनुचित छल या मिलीभगत में तो शामिल नहीं है? यदि ऐसी क्रियाकलाप का पता चलता है तो मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी और इसकी सूचना आयोग को दी जाएगी ।

अध्याय-VI

मीटरिंग विवरण

33. मीटरिंग अपेक्षाएं

33.1 इंटरफेस एबीसी मीटरों की कार्यात्मक अपेक्षाएं (जिसमें वे उपभोक्ता लाभकारी खुली पहुंच या एसटीएस से प्रत्यक्षतः संयोजित भी सम्मिलित हैं जो एबीटी के अधीन शामिल करने होंगे) विनियामक दृष्टिकोण से इस अपेक्षा से आईईजीसी के अधीन विनिर्दिष्ट उपबंधों से सहबद्ध किया जाना अपेक्षित है कि ऐसे विशेष ऊर्जा मीटर एकीकृत न्यूनतम तकनीकी विशिष्टता के अनुरूप है ।

33.2 विनियम 33.7 में यथा ईगित अतिरिक्त सभी मीटरिंग वर्णन/अपेक्षाएं एक मीटरिंग प्रक्रिया के अधीन सम्मिलित होंगे जो एसटीयू द्वारा विकसित किए जाएंगे तथा इन विनियमों की अधिसूचना के साठ दिनों के भीतर आयोग के समक्ष इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे :

परंतु यथावर्णित उपर्युक्त मीटरिंग प्रक्रिया के आयोग द्वारा विकसित और अनुमोदित किए जाने के समय तक विद्यमान सुसंगत कानूनों के उपबंध लागू होंगे ।

33.3 मीटरिंग प्रक्रिया कनक्शन प्वाइंट पर उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उपबंधित किए जाने वाले वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए मीटरों को लगाने और प्रचालित करने हेतु न्यूनतम अपेक्षाओं और मापदंडों का उपबंध करेगी :

परंतु ऐसी अपेक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 17 मार्च, 2006 के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 तथा विनिर्दिष्ट मापदंडों से संगत होंगी :

परंतु यह और कि ऐसी अपेक्षाएं किसी अन्य प्वाइंट को लागू होंगी जो उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक की विद्युत प्रणाली के लिए आंतरिक हो सकेंगी यदि ऐसे मीटर द्वारा जुटाई गई जानकारी वाणिज्यिक या प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो ।

33.4 आयोग राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई मीटरिंग प्रक्रिया की पुनरीक्षा करेगा तथा या तो :-

(क) ऐसी शर्तों और उपांतरणों के साथ जैसा आयोग ठीक समझे, मीटरिंग प्रक्रिया का अनुमोदन करेगा; या

(ख) लिखित में अभिलेखित किए जाने वाले कारणों से मीटरिंग प्रक्रिया को निरस्त करेगा यदि मीटरिंग प्रक्रिया अधिनियम अथवा इन विनियमों या अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुसार नहीं है तथा एसटीयू को पुनरीक्षित मीटरिंग प्रक्रिया प्ररूप प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करेगा ।

33.5 एसटीयू मीटरिंग प्रक्रिया की एक प्रति को अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर डालेगा तथा लागू मीटरिंग प्रक्रिया की एक प्रति को इसके लिए आवेदन करने वाले किसी उस कीमत पर जो इसे पुनः तैयार करने की युक्ति युक्त लागत से अधिक नहीं हो, उपलब्ध करवाएगा ।

33.6 मीटरिंग प्रक्रिया में संबंधित अभिकरण अर्थात् मीटरों के स्वामित्व और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक की स्पष्ट पहचान होगी ।

33.7 मीटरिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित का वर्णन होगा :

- (क) मीटरों की अवस्थिति और उन्हें लगाने संबंधी उपबंध ;
- (ख) मीटरों की विशिष्टियां तथा परिशुद्धता सीमाएं ;
- (ग) मीटरों से संग्रहीत आंकड़ों के अभिलेखन, संग्रहण, अंतरण, प्रसंस्करण और भंडारण से संबंधित अधिकार उत्तरदायित्व और प्रक्रियाएं ;
- (घ) मीटरिंग आंकड़ों के स्वामित्व से संबंधित उपबंध ;
- (ङ) उपर्युक्त परिशुद्धता सीमाओं से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबंधित अभिकरण द्वारा की जाने वाली कैलिब्रेशन प्रक्रियाएं ;
- (च) मीटरों की उचित कार्य दशा हेतु उनके अनुरक्षण, मीटरों की सुरक्षा नए या बदले गए मीटरों का परीक्षण, मीटरों की सीलिंग तथा मीटरों के निरीक्षण से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं ;
- (छ) मीटरों तक पहुंच के अधिकार से संबंधित उपबंध ;
- (ज) मीटरिंग विसंगतियों, त्रुटिपूर्ण उपकरणों और मीटर बंद हो जाने को बताने की प्रक्रियाएं ;
- (झ) मीटरिंग संबंधित विषयों पर विवादों को हल करने हेतु प्रक्रियाएं ; और
- (ञ) एसटीयू या आयोग द्वारा मीटरिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु उचित समझा गया कोई अन्य पहलू ।

अध्याय-VII

विविध

34. अनुपालन

34.1 एसटीयू इन विनियमों के अध्याय-II, अध्याय-III और अध्याय-VI में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा ऐसे उपबंधों के अधीन विकसित प्रक्रियाओं के साथ उपभोक्ताओं और पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों के अनुपालन को मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु एसटीयू किसी उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के विरुद्ध असम्यक रूप से भेदभाव या असम्यक रूप से अधिमानता नहीं करेगा ।

34.2 एसएलडीसी इन विनियमों के अध्याय-IV और अध्याय-V में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा ऐसे उपबंधों के अधीन विकसित प्रक्रियाओं के साथ उपभोक्ताओं और पारेषण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारकों के अनुपालन को मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

परंतु एसएलडीसी किसी उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के विरुद्ध असम्यक रूप से भेदभाव या असम्यक रूप से अधिमानता नहीं करेगा।

34.3 डीजीसी के उपबंधों और/या ऐसे उपबंधों के अधीन विकसित प्रक्रियाओं के लगातार अननुपालन की दशा में ऐसा मामला आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा।

34.4 एनआरएलडीसी द्वारा राज्य के किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारक अथवा जेनरेटिंग कंपनी (अंतर्राज्य पारेषण प्रणाली से संबंधित कंपनी से भिन्न) या राज्य में सब-स्टेशन को जारी किए गए सभी निर्देश एसएलडीसी के माध्यम से जारी किए जाएंगे तथा एसएलडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्देशों का अनुज्ञप्तिधारक या जेनरेटिंग कंपनी अथवा सब-स्टेशन द्वारा सम्यक रूप से पालन किया जाए।

34.5 एसएलडीसी ऐसे निर्देश दे सकेगा तथा ऐसा पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकेगा जो एकीकृत ग्रिड प्रचालनों को सुनिश्चित करने के लिए तथा विद्युत प्रणाली प्रचालन में अधिकतम बचत और दक्षता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।

34.6 विद्युत प्रणाली के प्रचालन से सहबद्ध प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारक तथा उपभोक्ता इन विनियमों के विनियम 35.5 के अधीन एसएलडीसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करेगा।

34.7 यदि विद्युत की क्वालिटी या राज्य ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और एकीकृत प्रचालन या इन विनियमों के विनियम 35.5 के अधीन दिए गए किसी निर्देश के संबंध में, के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे विनिश्चय हेतु आयोग को निर्दिष्ट किया जाएगा;

परंतु आयोग का विनिश्चय लंबित रहने के दौरान एसएलडीसी के निर्देश का पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या उपभोक्ता द्वारा पालन किया जाएगा।

34.8 उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा डीजीसी के उपबंधों या ऐसे उपबंधों के अधीन विकसित प्रक्रियाओं के अनुपालन में निरंतर असफलता का परिणाम ऐसे उपभोक्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक के प्लांट और/या उपस्कर का कनेक्शन करने में होगा।

34.9 इन विनियमों में विनियम 35 में अंतर्विष्ट कोई भी बात आयोग को डीजीसी के उपबंधों तथा ऐसे उपबंधों के अधीन विकसित प्रक्रियाओं के अधीन उपभोक्ताओं और पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों को मानीटर तथा अनुपालन प्रवर्तित कराने की आयोग को प्रदत्त शक्तियों को किसी भी रीति में प्रभावित नहीं करेगी।

35. संशोधन की शक्ति

35.1 आयोग, किसी भी समय, इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को, रूपांतरित, परिवर्तित, उपांतरित या संशोधित कर सकेगा।

36. ढील देने की शक्ति

36.1 आयोग, लोकहित में और लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों से इन विनियमों के किसी प्रावधान (प्रावधानों) में ढील दे सकता है।

37. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

37.1 यदि इन विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जैसा कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

38. निर्वचन

38.1 यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अमरेन्द्र कुमार तिवारी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

Delhi, the 31st March, 2008

No. F. 17(14) Engg./DERC/2003—04/151.—In exercise of the powers conferred by sub-section (zp) of Section 181(2) read with sub-section (h) of Section 86(1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Delhi Electricity regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely :—

Chapter I General

1. Short title, extent and commencement

1.1 These Regulations may be called the "Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008", in short Delhi Grid Code (DGC).

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

1.3 These Regulations shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions

2.1 In these Regulations unless the context otherwise requires:

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;
- (b) "Apparatus" means Electrical Apparatus and includes all machines, fittings, accessories and appliances in which conductors are used;
- (c) "Automatic Voltage Regulator" means a continuously acting automatic excitation control system to control the voltage of a Generating Unit measured at the generator terminals;
- (d) "Black Start Procedure" means procedure necessary to recover the grid from a partial or a total blackout;
- (e) "Commission" means the Delhi Electricity Regulatory Commission;
- (f) "Connection Agreement" means an agreement

1465 DG)08-6

- setting out the terms relating to connection to and/or use of the State Transmission System;
- (g) **"Connection Point"** means a point at which a User's or Transmission Licensee's Plant and/or Apparatus connects to the State Transmission System;
- (h) **"df/dt Relay"** means a relay which operates when the rate of change of system frequency (over time) goes higher than a laid down limit and initiates load shedding;
- (i) **"Disturbance Recorder"** means a device provided to record the behaviour of the pre-selected digital and analog values of the system parameters during an Event;
- (j) **"Data Acquisition System"** means a device provided to record the sequence of operation in time, of the relays/equipments/system parameters at a location;
- (k) **"Distribution Control Centre (DCC)"** means the office and associated facilities established by the Distribution Licensee to coordinate with SLDC and to carry out the functions as laid down in the DGC;
- (k-a) **"Event"** means an unscheduled or unplanned occurrence in the State transmission system including faults, incidents and breakdowns;
- (l) **"Event Logger"** means a device provided to record the sequence of operation in time, of the relays/ equipments at a location during an Event;
- (m) **"Fault Locator"** means a device provided at the end of a transmission line to measure/indicate the distance at which a line fault may have occurred;
- (n) **"Flexible Alternating Current Transmission (FACT)"** means facilities that enable power flows on A.C. lines to be regulated, to control loop flows, line loading etc.
- (p) **"Maximum Continuous Rating"** means the normal rated full load MW output capacity of a Generating Unit which can be sustained on a continuous basis at laid down conditions;
- (q) **"Operation"** means a scheduled or planned action relating to the operation of a System;
- (r) **"Single Line Diagram"** means diagrams which are a schematic representation of the HV/EHV apparatus and the connections to all external circuits at a Connection Point incorporating its numbering nomenclature and labeling;
- (s) **"Site Common Drawing"** means drawings prepared for each Connection Point, which incorporates layout drawings, electrical layout drawings, common protection/control drawings and common service drawings;
- (t) **"Spinning Reserve"** means generating capacity with some reserve margin, at standard rated frequency of 50 Hz, that is synchronized to the system and is ready to provide increased generation at short notice pursuant to dispatch instruction or instantaneously in response to a frequency drop;
- (u) **"State Transmission System" (STS)** means the transmission of electricity within the territory of State on a system built, owned, operated, maintained or controlled by the State Transmission Utility (STU) and/or Transmission Licensee(s).
- (v) **"Static VAR Compensator"** means an electrical facility designed for the purpose of generating or absorbing Reactive Power;
- (x) **"Under Frequency Relay"** means a relay which operates when the system frequency falls below a laid down limit and initiates load shedding;
- (y) **"User"** refers to persons, including in-State Generating Stations, Distribution Licensees, Consumers of the Distribution Licensees directly connected to State Transmission System (STS), and those availing of Open Access and connected to and/or using the STS, as more particularly identified in each Section of the DGC.
- 2.2 Words or expressions used herein and not defined in these Regulations shall have the meanings assigned to them under the Act and the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity Regulatory Commission under clause (h) of Section 79 of the Act, failing which they shall have the meaning as commonly understood in Electricity Industry.

3. Introduction

- 3.1 The Delhi Grid Code (DGC) lays down the regulations, guidelines and standards to be followed by various agencies and participants in the STS to plan, develop, maintain and operate the STS, a part of Northern Region Grid System, in the most efficient, reliable, economic, and secure manner, while facilitating a healthy competition in the generation and supply of electricity.

4. Objective

- 4.1 The DGC is a document that governs the boundary between the State Transmission Utility (STU), Transmission Licensee(s) and other Users and establishes procedures for operations of facilities, which use the STS. It lays down both the information requirements and the procedures governing the relationship between various Users of STS as well as the State Load Despatch Centre (SLDC). It should be noted that the DGC is not concerned with the detailed design and operation of Generators, Power Stations, Suppliers and Distribution Systems, provided that their overall compatibility with the Transmission System needs are assured.

- 4.2 The DGC covers all material technical aspects relating to connections to and operation and use of the STS including the operation of electric lines and electrical plant connected thereto in so far as is relevant to the operation and use of the Transmission System. It is designed so as to permit the planning development, maintenance and operation to facilitate an efficient, coordinated, secured, reliable and economical system for the transmission and supply including trading of electricity in the State.

5. Scope of Regulations and extent of application

- 5.1 These Regulations shall apply to —

- (a) the SLDC;
- (b) every Transmission Licensee in the State including the STU;
- (c) every User who is connected to and/or uses the STS:

Provided that the Commission may issue directions relieving any Transmission Licensee or User, either *suo-motu* or based on an application submitted by such Transmission Licensee or User, of their obligations to implement or comply with the DGC to the extent as may be stipulated in the directions.

- 5.2 Transmission Licensee(s), forming part of the STS, and User(s), having connection(s) to the STS, as on date of notification of these Regulations shall be given a maximum period of one year to comply with the following requirements under these Regulations:

- (a) Entering into a Connection Agreement in accordance with Regulation 14;
- (b) Providing for protection systems in accordance with Regulations 16.2 and 16.3;
- (c) Providing for communication facilities in accordance with Regulation 17;
- (d) Providing for system recording instruments in accordance with Regulation 18;
- (e) Developing Single Line Diagrams in accordance with Regulation 19.3.1;
- (f) Developing Site Common Drawings in accordance with Regulation 19.4.2; and
- (g) Installation and Operation of meters in accordance with Metering Procedure developed as per Regulation 33.

- 5.3 The date of applicability of provisions related to Free Governor Action, as provided in Regulation 22.9, Regulation 22.10, Regulation 22.11 and Regulation 22.12 of these Regulations, shall be consistent with relevant provisions of the IEGC.

- 5.4 Persons availing of open access, who are connected to and/or use the STS, shall comply with the Terms and Conditions of Open Access Regulations notified by the Commission.

6. Management of the Delhi Grid Code (DGC)

- 6.1 The DGC is specified by the Commission as per Section 86 (1) (h) of the Act, after ensuring that it is consistent with the IEGC. Any amendments to DGC shall also be specified by the Commission only.

- 6.1.1 The DGC and its amendments shall be finalized and notified adopting the specified procedure followed for Regulations issued by Commission.

- 6.1.2 The requests for amendments to/modifications in the DGC and for removal of difficulties, including those proposed in the reports under Regulations 6.3 below, shall be addressed to Convener, Grid Coordination Committee (GCC), for periodic consideration, consultation and disposal. Such amendments/modifications suggested shall be finalized after obtaining opinions from all Users of the State Grid.

- 6.1.3 Any dispute or query regarding interpretation of DGC may be addressed to the Secretary of the Commission and clarification issued by the Commission shall be taken as final and binding on all concerned.

6.2 Grid Coordination Committee (GCC)

- 6.2.1 A Grid Coordination Committee shall be constituted by the State Transmission Utility within thirty (30) days from the date of notification of these Regulations.

- 6.2.2 The Grid Coordination Committee shall be responsible for the following matters, namely:—

- (a) facilitating the implementation of these Regulations and the procedures developed under the provisions of these Regulations;
- (b) assessing and recommending remedial measures for issues that might arise during the course of implementation of provisions of these Regulations and the procedures developed under the provisions of these Regulations;
- (c) review of the DGC, in accordance with the provisions of the Act and these Regulations;
- (d) analyse any major grid disturbance after its occurrence,
- (e) examining problems raised by the Users, and
- (f) investigate in case any Beneficiary is indulging in unfair gaming or collusion after getting reported from SLDC.
- (g) review of the complete statement of the State UI and the State Reactive Energy account tabled by the SLDC through its Commercial Committee (a sub-committee of GCC); and
- (h) such other matters as may be directed by the Commission from time to time.

- 6.2.3 The Grid Coordination Committee shall comprise of the following members:—

- (a) One member from the STU;
- (b) One member of the SLDC;

- (c) One member to represent the generating companies in the State;
- (d) One member to represent Badarpur Thermal Power Station;
- (e) One member to represent the Transmission Licensees in the State, other than the STU;
- (f) One member each to represent the Distribution Licensees in the State;
- (g) One member to represent the Electricity Traders in the State;
- (h) One member to represent the Northern Regional Load Despatch Centre (NRLDC); and
- (i) Such other persons as may be nominated by the Commission :

Provided that the member from the STU shall be the Chairperson of the Committee :

Provided also that Chairperson shall nominate one person from the SLDC as the Convener of the Grid Coordination Committee :

Provided further that the STU shall, in coordination with State Load Despatch Centre, facilitate and manage the functioning of the Grid Coordination Committee :

Provided further that the Committee will frame its own rules of business for the conduct of its meeting and other related matters.

6.2.4 The members of the Grid Coordination Committee shall be as follows :

- (a) the concerned Director of the STU, having the responsibility of looking after operational activities of the STU shall be the member referred to in clause (a) of Regulation 6.2.3 above;
- (b) the member referred to in clause (b) of Regulation 6.2.3 above shall be the head of the SLDC;
- (c) the members referred to in clauses (c), (e), (g) and (h) of Regulation 6.2.3 above shall be nominated by their respective organizations, which organizations will be selected in rotation from among all such organizations in the State. The term of each such member, selected in rotation, shall be one (1) year :

Provided that the members nominated by each of the organisation to the above Committee shall be holding a senior position in their respective organization.

6.3 Grid Code Review by GCC

6.3.1 DGC shall be reviewed by the Grid Coordination Committee at least once in every twelve (12) months.

6.3.2 Upon completion of such review, the Grid Coordination Committee shall send a report to the STU providing information regarding :

- (a) outcome of the review; and
- (b) any proposed revisions to the DGC.

6.3.3 The STU shall send the report, referred in Regulation 6.3.2, to the Commission with its recommendations.

7 Functional Responsibilities of Entities and their Linkages

7.1. State Load Despatch Centre (SLDC)

7.1.1 Operation and management of STS is an important and complex activity which regularly requires addressing a number of complex, and often conflicting, issues and the SLDC plays the most important role in this. The functions of SLDC are stated under Section 32 of the Act.

7.1.2 The SLDC shall discharge the functions assigned to it under the provisions of the Act and the Regulations in an independent and unbiased manner :

Provided that in the event of the SLDC being operated by the STU, as per first proviso of sub-section (2) of Section 31 of the Act, adequate autonomy shall be provided to the SLDC for it to be able to discharge its functions in the above mentioned manner.

7.2 State Transmission Utility (STU)

7.2.1 The STU shall play the main role for evacuation of generated power by Generating Companies, transmission of power to Distribution Companies, and exchange of power through inter-connection with the Central Transmission Utility (CTU) and IPPs and other entities. In abiding by the provisions of the Act, the STU,

- shall discharge functions of planning and co-ordination relating to the STS with (i) CTU, (ii) State Government, (iii) Generating and Distribution Companies/Licensees, (iv) CEA, (v) NRPC, and (vi) any other person notified by the State Govt.
- Provide non-discriminatory open access to its Transmission System for use by any Licensee or Generating Company/IPP and any consumer as per the Open Access Regulation notified by the State Regulatory Commission on payment of necessary charges.

7.3 Transmission Licensee(s)

7.3.1 The functions of Transmission Licensee(s) are as follows :

- Build, maintain and operate an efficient, coordinated and economical Transmission System.
- Comply with the directions of SLDC.
- Provide non-discriminatory Open Access as in 7.2.1 above.

7.4 Distribution Companies/Licensees

7.4.1 The functions of Distribution Licensee are as follows :

- Develop and maintain an efficient, coordinated and economical Distribution System in his Area of Supply;
- Provide non-discriminatory Open Access to its Distribution System for use by :—
 - (i) Any licensee or generating company on payment of the wheeling charges; or
 - (ii) Any consumer as per the Open Access Regulation notified by the Commission under sub-section (2) of Section-D42 of the Act, on payment of the transmission charges and a surcharge thereon, as may be specified by the Commission.

7.4.2 Further, in order to facilitate load control, scheduling and despatch, and open access operation etc. under the ABT mechanism within the state, each Distribution Licensee shall establish a Distribution Control Center (DCC) within its Area of Supply, having adequate communication facilities with round the clock manning. It shall take appropriate action in response to any Event in the grid in coordination with the SLDC.

7.4.3 The Distribution Licensee shall inform the SLDC about the details of 15 minutes/hourly/daily/weekly/monthly demand and energy requirement and also contracts entered into for importing power from different sources and coordinate with SLDC in real time operation. It shall assist/follow the directions of SLDC in scheduling its exchange of power and help in controlling the operation of the system by adjustment of drawal from the system. They shall take special care for drawal/injection of reactive power from/to the State Power System.

7.5 Generating Companies

7.5.1 The generating companies connected to and/or using the STS for evacuating their generation, shall inform the STU and SLDC about the contracts entered into with different parties for exporting power along with its schedule from individual generating station under the company. They shall follow the relevant provisions of the DGC and assist the SLDC in the real time operation and control of the system and scheduling of generation.

Chapter II

Planning Code

8. Transmission System Planning

- 8.1 The STU shall publish on its Internet website the transmission system plan for the STS and shall also make the same available to any person upon request at a reasonable cost.
- 8.2 The transmission system plan shall cover a plan period of five (5) years commencing from the

financial year immediately following the year in which it is published :

Provided that the transmission system plan shall be updated by the STU each year and published in the manner specified in Regulation 9.1 by the 30th day of September each year and shall cover a plan period of five (5) years commencing from the financial year immediately following the year in which it is published :

Provided further that the STU shall submit to the Commission a report indicating the performance of the existing STS during the previous financial year. The Licensee shall, if required by the Commission, publish a summary of the report in a manner to be determined by the Commission.

8.3 The form of the transmission system plan shall be provided by the STU.

8.4 The transmission system plan shall describe the plan for the STS and shall include the proposed State transmission schemes and system strengthening schemes for the benefit of all Users :

Provided that the transmission system plan may include information related not only to State transmission lines but also additional equipment including transformers, capacitors, reactors, Static VAR Compensators and Flexible Alternating Current Transmission Systems (FACT) :

Provided further that the transmission system plan shall also include information on progress achieved on the identified State transmission schemes and system strengthening schemes.

8.5 The STU may, for the purpose of preparing the transmission system plan under these Regulations, seek such information as may be required by it, including generation capacity addition, system augmentation and long-term load forecast and all applications for open access :

Provided that the Distribution Licensees shall have the primary responsibility for developing long-term load forecasts for their respective license areas. The Distribution Licensee may use consistent data and methods in its load forecasting exercise, and be guided by applicable provisions and submissions of sales/demand forecast under the MYT Regulations and License Conditions issued by the Commission, with appropriate reasoning/explanation for deviation, if any :

Provided also that the STU shall consider, but not be bound by the information provided under this Regulation in preparing the transmission system plan.

1465 DG/08-7

8.6 The STU shall also consider the following for the purpose of preparing the transmission system plan under these Regulations—

- (a) Plans formulated by the Authority for the transmission system under the provisions of clause (a) of Section 71 of the Act;
- (b) Latest available Electric Power Survey of the Authority;
- (c) Grid Standards specified by the Authority under clause (d) of Section 73 of the Act;
- (d) Transmission Plan formulated by Central Transmission Utility under the provisions of Grid Code specified by Central Electricity Regulatory Commission under clause (h) of Section 79 of the Act;
- (e) Transmission Planning Criteria and Guidelines issued by the Authority;
- (f) Recommendations/inputs, if any, of the Northern Regional Power Committee (NRPC);
- (g) National Electricity Plan/National Electricity Policy which are relevant for development of STS; and
- (h) Any other information/data source suggested by the Commission.

9. Planning Criterion

9.1 The planning criterion shall be based on the security philosophy on which the STS has been planned. The security philosophy shall be as per the Transmission Planning Criteria and other guidelines as given by the Authority :

Provided that the STU shall carry out appropriate system studies while developing the transmission system plan.

9.2 The State Transmission System, as a general rule, shall be capable of withstanding and be secured against the following contingency outages without necessitating load shedding or rescheduling of generation during Steady State Operation :

- (a) Outage of a D/C line of voltage above 66 kV and below 400 kV or,
- (b) Outage of a S/C line of voltage of 400 kV and above or,
- (c) Outage of a single Interconnecting Transformer :

Provided that the above contingencies shall be considered assuming a pre-contingency system depletion (planned outage) of another 220 kV D/C line or 400 kV S/C line in another corridor and not emanating from the same substation.

9.3 All the Generating Units may operate within their reactive capability curves and the network

voltage profile shall be maintained within voltage limits specified.

9.4 The STS shall be capable of withstanding the loss of most severe single in-feed without loss of stability.

9.5 Anyone of the Events defined in the Regulation 9.2 above shall not cause :

- (a) Loss of supply;
- (b) Prolonged operation of the system frequency below and above specified limits;
- (c) Unacceptable high or low voltage;
- (d) System instability;
- (e) Unacceptable overloading of STS elements.

9.6 In all extra high voltage substations, suitable number and capacity of transformers shall be provided to have adequate redundancy required to maintain firm capacity at the substation.

Explanation.— For the purpose of Regulation 9.6, the term firm capacity shall mean the minimum transformation capacity available at the substation in case of outage of any one transformer.

9.7 The STU shall carry out planning studies for Reactive Power compensation of STS including reactive power compensation at the in-State Generating Station's switchyard.

10. Planning Data

10.1 Transmission Licensees and Users are to supply following types of data to the State Transmission Utility for purpose of developing the transmission plan :

- (a) Standard Planning Data;
- (b) Detailed Planning Data.

10.2 Standard Planning Data

10.2.1 Standard Planning Data shall consist of details which are expected to be normally sufficient for the STU to investigate the impact on the STS due to User/Transmission Licensee development.

10.2.2 Transmission Licensees and Users shall provide the following data to the STU from time to time in the standard formats provided by the STU :

- (a) Preliminary project planning data;
- (b) Committed project planning data; and
- (c) Connected planning data :

Provided that the STU shall provide a date for submission of information in the said formats, after providing reasonable time to Transmission Licensees and Users :

Provided that the STU shall develop standard formats, for submission of above mentioned data, within one (1) month from notification of these Regulations and make the same available

on its Internet website :

Provided also that the STU shall be guided by the formats, developed for submission of above mentioned data, under the provisions of the IEGC.

10.3 Detailed Planning Data

10.3.1 Detailed Planning Data shall consist of additional, more detailed data not normally expected to be required by State Transmission Utility to assess the impact of User/Transmission Licensee development on the STS.

10.3.2 Detailed Planning Data shall be furnished by the Users and Transmission Licensees as and when requested by the STU.

Chapter III

Connection Conditions

11. Connection Standard

11.1 The applicable technical standards for connectivity to the STS shall be as per the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007, dated 21st February, 2007 as amended from time to time, and standards specified there under.

11.2 The applicable technical standards for construction of electrical plants and electric lines shall be as per the standards specified by the Authority under clause (b) of Section 73 of the Act :

Provided that the prevailing guidelines of the Authority shall be considered until the standards are notified under clause (b) of Section 73 of the Act by the Authority.

12. Safety Standard

The applicable safety requirements for construction, operation and maintenance of electrical plants and electric lines shall be as per the standards notified by the Authority under clause (c) of

Section 73 read with Section 53 of the Act :

Provided that the prevailing guidelines of the Authority/IE Rules shall be considered until the standards are notified under clause (c) of Section 73 of the Act by the Authority.

13. Application for Connection

13.1 The STU shall prepare and submit to the Commission on an annual basis, a statement showing in respect of each of the five (5) succeeding financial years forecasts of circuit capacity, power flows and loading on the Transmission System as per its relevant License Conditions together with :

- (a) such further information as shall be reasonably necessary to enable any person seeking Use of System to identify and evaluate the opportunities available when connecting to and making use of such system; and

- (b) a commentary prepared by the STU indicating its views as to those parts of the STS most suited to new connections and transport of further quantities of electricity :

Provided that the STU shall publish on its Internet website the above statement for the STS in such form as is approved by the Commission and shall also make the same available to any person upon request.

13.2 The STU or Transmission Licensee shall make arrangements for use of the STS by third parties as required under the Act, Regulations of the Commission, and relevant Licence Conditions. Application for establishing new arrangement or modifying existing arrangement of connection to and/or use of the STS shall be submitted by the concerned Transmission Licensee or User to the STU :

Provided that the standard format for application mentioned in the Regulation 13.2 shall be developed by the STU and shall be made available at its Internet website within two (2) months of notification of these Regulations.

13.3 The application mentioned in Regulation 13.2 shall include the following details :

- (a) Report stating the purpose of the proposed connection and/or modification, Transmission Licensee to whose system connection is proposed, description of apparatus to be connected or modification of the apparatus already connected and beneficiaries of the proposed connection;
- (b) Construction schedule and target completion date; and
- (c) Confirmation that the Transmission Licensee or the User shall abide by the provisions of DGC, Indian Electricity Rules, 1956 (until the Regulations under Section 53 of the Act are made and such Regulations specified by the Authority thereafter) and various standards including Grid Connectivity Standards made pursuant to the Act.

13.4 The STU shall forward a copy of the application to the Transmission Licensee in whose system the connection is being sought, to the SLDC and to every Transmission Licensee (if any) within the State whose Transmission System is likely to be affected by such application.

13.5 The STU or Transmission Licensee, in whose system the connection is being sought, may carry out the power system studies as considered appropriate before allowing any new connection.

13.6 The STU shall, within Thirty (30) days, from the receipt of an application under Regulation 13.2 and after considering all suggestions and comments received by the parties identified under Regulation 13.4 :

- (a) accept the application with such modification or such conditions as may be laid down by the STU;
 - (b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in accordance with the provisions of these Regulations.
- 13.7 In case of acceptance of an application as per sub-section (a) of Regulation 13.6, the STU shall make a formal offer to the applicant :
Provided that the STU shall forward a copy of the offer to the appropriate Transmission Licensee.
- 13.8 The voltage level at which the applicant is offered to be connected to the STS shall be governed by the standards notified by the Authority and prevailing guidelines adopted by the STU.
- 13.9 The applicant and the appropriate Transmission Licensee, in whose system the connection is being sought, shall finalise a Connection Agreement on acceptance of the offer by the applicant :
Provided that the STU shall be provided with a copy of the Connection Agreement :
Provided further the SLDC shall be provided with a copy of the above mentioned Connection Agreement by the STU on request.
- 13.10 The STU shall, upon compliance of the required conditions by the concerned Transmission Licensee/User, shall notify the concerned Transmission Licensee/User that it can be connected to the STS.

14. Connection Agreement

- 14.1 A Connection Agreement shall include, as appropriate, within its terms and conditions, the following information relating to the connection of the User or Transmission Licensee to the STS:
- (a) A condition requiring both parties to comply with the DGC;
 - (b) Details of connection, technical requirements and commercial arrangements;
 - (c) Details of any capital expenditure arising from necessary reinforcement or extension of the system, data communication etc. and demarcation of the same between the concerned parties;
 - (d) Site Responsibility Schedule;
 - (e) General philosophy and guidelines on protection (i.e., in accordance with the STU's Protection Plan finalised under Regulation 16.3.2);
 - (f) Protection systems (i.e., in consonance with the System Protection Schemes prepared/updated under Regulation 22.21);

- (g) System recording instruments;
- (h) Communication facilities; and
- (i) Any other information considered appropriate by the STU or the Commission.

14.2 A Model Connection Agreement is placed at Annexure-I to Chapter-III.

15. Grid Parameter Variations

15.1 General.

- 15.1.1 Transmission Licensees and Users shall ensure that Plant and Apparatus requiring service from or providing service to the STS is of such design and construction that satisfactory operation of such Plant and Apparatus will not be prevented by variation in instantaneous values of system frequency and voltage from their nominal values and that such Plant and Apparatus shall not induce any adverse affect on the STS.

15.2 Frequency Variation

- 15.2.1 Rated frequency of the system shall be 50.0 Hz and shall normally be controlled within the limits as per Regulations specified by the Authority.

15.3 Voltage Variation

- 15.3.1 The variations of voltage may not be more than the voltage range specified in the Regulations framed by the Authority.

16. Equipment at Connection Points

16.1 Sub-station Equipment

- 16.1.1 All Extra High Voltage (EHV) sub-station equipments shall comply with the standards issued by Bureau of Indian Standards/ International Electro Technical Commission/ Prevailing Code of Practice.
- 16.1.2 All equipment shall be designed, manufactured and tested and certified in accordance with the quality assurance requirements as per the standards of International Electro Technical Commission or the Bureau of Indian Standards.
- 16.1.3 Each connection between a User and STS shall be controlled by a circuit breaker capable of interrupting, at the Connection Point, at least the short circuit current as advised by STU in the specific Connection Agreement.

16.2 Fault Clearance Times

- 16.2.1 The fault clearance time for primary protection schemes, when all equipments operate correctly, for a three phase fault (close to the bus-bars) on Users' equipment directly connected to STS and for a three phase fault (close to the bus-bars) on STS connected to Users' equipment, shall not be more than :
- (a) 100 milli seconds for 400 kV and above;
 - (b) 160 milli seconds for 220 kV and below.

- 16.2.2 Back-up protection shall be provided for required isolation/protection in the event of failure of the primary protection systems in a coordinated manner. If a Generating Unit is connected to the STS directly, it shall be capable of withstanding such fault, until clearing of the fault by back-up protection on the STS side.

16.3 Protection

- 16.3.1 Protection Systems shall be provided by all Transmission Licensees and Users to isolate the faulty equipments and protect the other components against all types of faults, internal/external to them, within specified fault clearance time with reliability, selectivity and sensitivity: Provided that all Users or Transmission Licensees shall provide protection systems as laid down in the Connection Agreement.

- 16.3.2 Relay setting coordination is being done at regional level by the NRPC, whereas provision of protections and relay settings shall be coordinated periodically throughout the State grid, as per a plan to be separately finalized by the STU.

16.4 Reactive Power Compensation

- 16.4.1 Reactive Power compensation and/or other facilities shall be provided by Users, as far as possible, in the low voltage systems close to the load points thereby avoiding the need for exchange of Reactive Power to/from the STS and to maintain the STS voltage within the specified range.

- 16.4.2 Line Reactors may be provided to control temporary over voltage within the limits as set out in connection agreements.

- 16.4.3 The additional reactive compensation to be provided by the User shall be indicated by the STU in the Connection Agreement for implementation.

- 16.4.4 Users shall endeavour to minimize the Reactive Power drawal at an interchange point when the voltage at that point is below 95% of rated voltage, and shall not inject Reactive Power when the voltage is above 105% of rated voltage. Interconnecting Transformer taps at the respective drawal points may be changed to control the Reactive Power interchange as per the User's request to the SLDC, but only at reasonable intervals.

- 16.4.5 Switching in/out of all 400 kV bus and line Reactors throughout the grid shall be carried out as per instructions of the SLDC. Tap changing on all 400/220 kV Interconnecting Transformers shall also be done as per the instructions of the SLDC only.

17. Communication Facilities

- 17.1 Reliable and efficient speech and data

communication systems shall be provided to facilitate necessary communication and data exchange, and supervision/control of the State Grid by the State Load Despatch Centre, under normal and abnormal conditions.

- 17.2 All Users and Transmission Licensees shall provide the required facilities at their respective ends as laid down in the Connection Agreement :

Provided that the equipments/devices for communication and data exchange shall be provided considering the guidelines of the SLDC, the interface requirements and other such guidelines/specifications as applicable.

18. System Recording Instruments

- 18.1 Recording instruments such as Data Acquisition System/Disturbance Recorder/Event Logger/Fault Locator (including time synchronization equipment) shall be provided in the STS for recording of dynamic performance of the system.

- 18.2 All Users and Transmission Licensees shall provide all the requisite recording instruments as laid down in the Connection Agreement in accordance with the agreed time schedule.

19. Responsibilities for Operational Safety

- 19.1 Transmission Licensees and the Users shall be responsible for safety as indicated in Site Responsibility Schedules for each Connection Point.

19.2 Site Responsibility Schedule

- 19.2.1 A Site Responsibility Schedule shall be produced by the concerned Transmission Licensee and the User detailing the ownership responsibilities of each, before execution of the project or connection, including safety responsibilities.

- 19.2.2 For every connection to the STS, the Site Responsibility Schedule shall be prepared by the concerned Transmission Licensee pursuant to the relevant Connection Agreement and shall state the following for each item of plant and apparatus installed at the Connection Point:

- (a) Ownership of the Plant/Apparatus;
- (b) Responsibility for control of the Plant/Apparatus;
- (c) Responsibility for operation of the Plant/Apparatus;
- (d) Responsibility for maintenance of the Plant/Apparatus; and
- (e) Responsibility for all matters relating to safety of any persons at the Connection Point.

- 19.2.3 A Model Site Responsibility Schedule is provided at Annexure-II to Chapter-III.

19.3 Single Line Diagrams

19.3.1 Single Line Diagram shall be furnished for each Connection Point by the connected User or Transmission Licensee to the STU :

Provided that the STU shall furnish the above information to the SLDC on request.

19.3.2 Single Line Diagram shall include all High Tension (HT) connected equipment and the connections to all external circuits and incorporate numbering, nomenclature and labeling.

19.3.3 In the event of a proposal to change any equipment, the concerned User or Transmission Licensee shall intimate the necessary changes to State Transmission Utility and to all concerned. Single Line Diagram shall be updated appropriately by the concerned Users or Transmission Licensee and a copy of the same shall be provided to the STU.

19.4 Site Common Drawings

19.4.1 Site Common Drawings shall be prepared for each Connection Point and will include the following information:

- (a) Site Layout;
- (b) Electrical Layout including cable/wiring schedule;
- (c) Details of Protection/Control; and
- (d) Common Services Drawings.

19.4.2 Detailed drawings shall be prepared by Transmission Licensee and User in respect of their system/facility at each Connection Point and copies of the same shall be made available to concerned User and Transmission Licensee respectively.

19.4.3 In case of any changes in the Site Common Drawings that are found necessary by Transmission Licensee or User in respect of their system/facility at the Connection Point, the details of such changes shall be furnished to all concerned agencies as soon as possible but not later than 15 days of making such changes.

20. Access at Connection Site

20.1 The Transmission Licensee or User owning the Connection Site shall provide reasonable access and other required facilities to another Transmission Licensee or User whose equipment is proposed to be installed/installed at the Connection Site for installation, operation, maintenance, etc.

20.2 Written procedures and agreements shall be developed between Transmission Licensees and Users to ensure that mandatory access is available to the concerned Transmission Licensee or User at the same time safeguarding the interests of Transmission Licensee and User at the connection site.

Annexure-I to Chapter-III**Connection Agreement**

(Refer Regulations - 14.2)

THIS AGREEMENT for connection to and use of Transmission System of.....(Name of the Transmission Licensee) is made this.....day of..... month of..... year.

BETWEEN

[1]..... (Name of the Transmission Licensee) whose registered office is at AND

[2]..... (Name of the company) whose registered office is at (detailed address) therein after called "User"

WHEREAS

[A]..... (Name and address of the Transmission Licensee) is a holder of. Transmission License granted by the DERC as per the provision of the Electricity Act, 2003 (hereafter called as the 'Act') agreed to execute a Connection Agreement for the purpose export/import of power at 220 kV /400 kV to.....(name of the User)

[B].....Name of the Distribution Company (the User) is the holder of the Distribution Licence, (No.....) issued by DERC vide order dated.....

[C].....(Name of the User i.e. Generator /CGP/Bulk Consumer) is the holder of the authorization issued by the State Government/Central Government / CERC/DERC vide order No..... dated.

NOW IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS**(i) Grid Code Compliance**

It is agreed that the User.....and.....(the Transmission Licensee) will abide by the provisions of the Delhi Grid Code (DGC)/Indian Electricity Grid Code (IEGC) in force for the purpose of availing/evacuating power from/to.....(the Transmission Licensee) and to maintain a connectivity with the Transmission System network of.....(the Transmission Licensee).

(ii) Terms of agreement

(a) This agreement shall be deemed to have commenced from and shall continue until it is terminated. In case of any differences or disagreements between the Transmission Licensee and the User in regard to any changes required from time to time to the terms of this agreement the same shall be resolved amicably failing which the matters shall be referred to the DERC.

(b) The term of this Agreement shall stand modified or terminated automatically as per the Regulations which DERC may issue from time to time in accordance with the functions and powers of the Commission under the Act. As soon as practicable following any Regulations of the Commission which has the effect of modifying the terms of this Agreement, the Transmission Licensee shall prepare a revised version of this agreement,

incorporating the modified term and following Agreement between the Transmission Licensee and User that the revised version accurately reflects the relevant Regulation, the User shall execute the revised version.

- (c) No User shall assign the Agreement or transfer or part with the benefits under the Agreement in favour of any other person/User without the express consent or approval of the Transmission Licensee
- (d) Any connection, which has been unauthorisedly transferred or parted with, shall be liable for disconnection after expiry of a seven days notice calling for explanation and considering the explanation submitted.
- (e) The User agrees to bear the cost of stamp duty and all cost incidental to the execution of this agreement in full.

(iii) Details of Connection

- (a) System of supply voltage :
- (b) Total contract demand :
- (c) Phasing of the contract demand :
- (d) Connection details (Including control details as per the Regulations) :
(LIFO arrangement of transmission line with a switching station/from a bay of an existing grid substation of the Transmission Licensee)
- (e) Details of reactive power compensation arrangement ;
- (f) Details of the scheme of the switching station/ bay
 - i. Bus-bar arrangement : Three bus system/ Two bus system/main and transfer bus system, Bus-bar type
 - ii. Provision for future expansion
- (g) Captive Generating Plant :
 - i. Rated capacity :
 - ii. Rated voltage level of generation :
 - iii. Quantum of surplus power to be evacuated :
 - iv. Details of the connectivity with the Transmission Licensee's network :
 - v. Mode of communication connectivity with SLDC : Telephone/Fax/Carrier communication.
- (h) Communication arrangement : The User shall be required to provide voice and other data communication facility as decided by SLDC.
- (i) Metering Arrangement : The User shall provide meters for accounting and audit purposes as per the standard specified by CEA.
[Details of operational/commercial (tariff) metering scheme to be provided.] Detailed data are to be provided as per provisions of the DGC.

(j) Other Charges :

The operation and maintenance charges of the transmission line details to be indicated, 220 kV/ 400 kV feeder bay (nos. of bays and location of grid substation to be indicated), 220 kV/400 kV switching station (details of bays, etc. to be indicated) shall be governed by applicable provisions of the Act, Regulations, Codes, and Orders of the Commission.

- i. Entry Charges and Exit Charges as fixed by the Transmission Licensee and approved by DERC to be paid where appropriate.
- ii. Capital related payment arising from necessary reinforcement or extension of the System is to be paid.

(k) Site Responsibility Schedule :

The Site Responsibility Schedule format is at **Annexure-II to Chapter-III** of the DGC :

(l) Protection Scheme :

Protection scheme shall be provided in the User's system to protect the grid from the faults originating in their system and so also for safeguarding their system from the fault originating from the Transmission System. The protection scheme of the User's system shall have the approval of the STU, i.e. DTL.

- i. Transmission line protection scheme : (indicate the general philosophy of the scheme)
- ii. 220 kV/400 kV feeder bay protection scheme : (indicate the general philosophy of the scheme)
- iii. General protection scheme adopted for the switching station : (indicate the general philosophy of the scheme).
- iv. Any other protection scheme provided :

(m) Documents forming part of this agreement :

- i. Appendix-I: Data to be provided as per provisions of the DGC
- ii. Appendix-II: Attested copies of the Transmission Licensee permission letter no.....date.....
- iii. Duly completed Site Responsibility Schedule as per Annexure-II (to Chapter-III).
- iv. Detail of procedure necessary for Site Access, Site Operational activities and maintenance Standards for equipments of the STU/Transmission Licensee at STU/ Transmission Licensee premises and vice versa as Appendix-III

AS WITNESS the hands of the Parties hereto or their duly authorized representative on this.....day of month of.....Year

SIGNED BY

For & on behalf of User

WITNESSES : (1)

(2)

New Delhi

Date : The.....Day of.....Month of.....Year

Annexure-II to Chapter-I

Site Responsibility Schedule (refer regulations—19.2.3)

Connection Conditions

Name of Power Stations/Sub-station.....

Site Owner :

Tel. Number :

Fax Number :

Item of Plant/ Apparatus	Plant Owner	Safety Respon- sibility	Control Respon- sibility	Ope- ration Respon- sibility	Mainte- nance Respon- sibility	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

.....KV
SwitchedyardAll equipment
including
bus bars
Feeders

Generating Units

Chapter IV

Operating Code

21 Operating Conditions

21.1 The SLDC shall supervise the overall operation of the STS.

21.2 The SLDC shall develop, document and maintain detailed operating procedures in consultation with the in-State Generating Stations and the Distribution Licensees for managing the State Grid, which shall be consistent with the DGC requirement to enable compliance therewith. These internal operating procedures shall include, but not limited to, the following:

- Black start procedures;
- Load shedding procedures;
- Islanding procedures; and
- Any other procedures considered appropriate by the SLDC :

Provided that such procedures shall be developed in consultation with the NRPC and the NRLDC :

Provided further that such procedures shall be submitted within three (3) months to the Commission for approval.

21.3 The control rooms of the SLDC, DCCs, Power Plants, substations of 220 kV and above and any other control centres of Transmission Licensees and Users shall be manned round-the-clock by qualified and adequately trained personnel.

22 System Security Aspects

22.1 All Users and Transmission Licensees shall endeavour to operate their respective power systems and power stations in synchronism with each other at all times, such that the entire system within the State operates as one synchronised system.

22.2 No part of the State Grid shall be deliberately isolated from the rest of the STS except

- under an emergency, and conditions in which such isolation will prevent a total grid collapse and/or will enable early restoration of power supply;
- when serious damage to a costly equipment is imminent and such isolation will prevent it;
- when such isolation is specifically instructed by the SLDC.

22.3 Complete synchronism of the State Grid shall be restored as soon as the conditions again permit it. The restoration process shall be supervised by SLDC as per the operating procedures separately formulated.

22.4 No important element of the State Grid shall be

- deliberately opened or removed from service at any time, except when specifically instructed by the SLDC or with specific and prior clearance of the SLDC. The list of such important grid elements on which the above stipulations apply shall be prepared by the SLDC in consultation with the Transmission Licensees and Users within three (3) months of notification of the DGC and shall be available at the SLDC website.
- 22.5 In case of opening/removal of any important element of the State Grid under an emergency situation, the same shall be communicated to the SLDC at the earliest possible time after the event.
- 22.6 Any tripping, whether manual or automatic, of any of the elements of the State Grid, referred in Regulation 22.4, shall be precisely intimated by the concerned Transmission Licensee or User to the SLDC at the earliest. The reason, to the extent determined, and the likely time of restoration shall also be intimated. All reasonable attempts shall be made for the elements' restoration as soon as possible.
- 22.7 A Generating Unit shall be capable of continuously supplying its normal rated active/reactive output at the rated system frequency and voltage, subject to the design limitations laid down by the manufacturer.
- 22.8 A Generating Unit shall be provided with an Automatic Voltage Regulator, protective and safety devices, as set out in Connection Agreement.
- 22.9 Each Generating Unit shall be fitted with a turbine speed governor having an overall droop characteristic within the range of 3% to 6% and such turbine speed governor shall always be in service :
Provided that if any generating unit of over fifty (50) MW size is required to be operated without its governor in normal operation, the SLDC shall be immediately advised about the reason and duration of such operation.
- 22.10 Facilities available with/in load limiters, Automatic Turbine Run-up System, Turbine Supervisory Control, Coordinated Control System, etc., shall not be used to suppress the normal governor action in any manner. No dead bands and/or time delays shall be deliberately introduced.
- 22.11 Each Generating Unit shall be capable of instantaneously increasing output by 5%, when the frequency falls, subject to limit of 105% of Maximum Continuous Rating. Ramping back to the previous generation level, in case the increased output level cannot be sustained, shall not be faster than 1 % per minute :
- Provided that any generating unit of over Fifty (50) MW size not complying with the above requirements, shall be kept in operation (synchronized with the State Grid) only after obtaining the permission of the SLDC :
- Provided also that User can make up the corresponding shortfall in spinning reserve by maintaining an extra spinning reserve on the other generating units of the User.
- 22.12 The recommended rate for changing the governor setting, i.e., supplementary control for increasing or decreasing the output (generation level) for all generating units, irrespective of their type and size, would be one (1.0) per cent per minute or as per manufacturer's limits. However, if frequency falls below 49.5 Hz, all partly loaded generating units shall pick up additional load at a faster rate, according to their capability.
- 22.13 Except under an emergency, or to prevent an imminent damage to costly equipment, no User shall suddenly reduce his generating unit output by more than a limit as laid down by the SLDC, without prior intimation to and consent of the SLDC, particularly when frequency is falling or is below 49.0Hz. Similarly, no User shall cause a sudden increase in its load by more than a limit as laid down by the SLDC, without prior intimation to and consent of the SLDC.
- 22.14 All generating units shall normally have their Automatic Voltage Regulators in operation, with appropriate settings :
Provided that in case a generating unit of over fifty (50) MW is required to be operated without its Automatic Voltage Regulator in service, the SLDC shall be immediately intimated about the reason and duration, and its permission be obtained.
- 22.15 Power System Stabilizers in Automatic Voltage Regulators of generating units, wherever provided, shall be properly tuned by the respective generating unit owner as per a plan prepared for the purpose by the STU from time to time. The STU will be allowed to carry out checking of Power System Stabilizer and further tuning it, wherever considered necessary.
- 22.16 Provision of protections and relay settings shall be coordinated periodically throughout the State grid, as per a plan to be separately finalized in consultation with the Protection Committee of the NRPC.
- 22.17 The SLDC, in coordination with NRLDC, Users and Transmission Licensees shall make all possible efforts to ensure that the grid frequency always remains within the 49.0 - 50.5 Hz band, the frequency range within which steam turbines conforming to the IEC specifications can safely operate continuously.

- 22.18 Users and Transmission Licensees shall provide automatic under-frequency and df/dt relay-based load shedding/islanding schemes in their respective systems, wherever applicable, to arrest frequency decline that could result in a collapse/disintegration of the State grid, as per the plan separately finalized in consultation with the NRPC and shall ensure its effective application to prevent cascade tripping of generating units in case of any contingency.
- 22.19 Users and Transmission Licensees shall ensure that the under-frequency and df/dt relay-based load shedding/islanding schemes, mentioned in Regulation 22.18 are always functional:
Provided that the relays may be temporarily kept out of service, in extreme contingencies, with prior consent of the SLDC.
- 22.20 The STU shall carry out periodic inspection of the under frequency relays and produce the report to the SLDC. The SLDC shall maintain the record of under frequency relay and/or df/dt relay operation.
- 22.21 Users and Transmission Licensees shall facilitate identification, installation and commissioning of System Protection Schemes (including inter-tripping and runback), as finalized in consultation with the NRPC, in the power system to protect against situations including voltage collapse and cascading :
Provided that such schemes shall be prepared by the STU after due consultations with the SLDC, Users and other Transmission Licensees, and be updated periodically as per requirement.
- 22.22 Each User and Transmission Licensee shall provide adequate and reliable communication facility internally and with the SLDC, other Users and other Transmission Licensees to ensure exchange of data/information necessary to maintain reliability and security of the grid. Wherever possible, redundancy and alternate path shall be maintained for communication along important routes, e.g., SLDC to DCCs, SLDC to Generating Stations etc.
- 22.23 All Users and Transmission Licensees shall send the requested information/data including Disturbance Recorder/Sequential Event Recorder output etc. to the SLDC for purpose of analysis of any grid disturbance/Event. No User or Transmission Licensee shall block any data/information required by the SLDC for maintaining reliability and security of the State or Regional Grid and for analysis of an event.
- 22.24 The SLDC, Users and Transmission Licensees shall make all possible efforts to ensure that the grid voltage always remains within the following operating range:

Voltage- (kV rms)		
Nominal	Maximum	Minimum
400	420	360
220	245	200
66	73	60

23. Demand forecast

- 23.1 The SLDC shall set out the responsibilities for short term (one day to 52 weeks) demand estimation of active power as well as reactive power. It shall also provide for procedures as well as timeliness to be followed for exchange of information between concerned entities for arriving at these estimates/forecasts:

Provided that the SLDC shall refer to the demand forecast considered by the STU while developing the transmission system plan under Regulation 9 of these Regulations.

- 23.2 The demand estimation shall cover the time scales as applicable for operational purposes. The time scales should be decided after giving due considerations to the requirements under other existing Regulations for furnishing demand forecast related information.

24. Manual Demand Disconnection

- 24.1 Users shall endeavour to restrict their actual drawal within their respective drawal schedules whenever the system frequency is below 49.5 Hz :

Provided that, in case of frequency falling below 49.0 Hz., the SLDC shall direct the concerned Users to effect manual load shedding to curtail over-drawal:

Provided further that such directions shall include the time period or the system conditions until which the issued directions shall be applicable.

- 24.2 In case of certain contingencies and/or threat to system security, the State Load Despatch Centre may direct Users to decrease their drawals and such Users shall act upon such directions immediately :

Provided that any non-compliance with such directions shall be dealt with as per provisions of Regulation 35 of these Regulations.

- 24.3 Users shall make arrangements that will enable manual disconnection to take place as instructed by the SLDC.

25. Reports

- 25.1 In addition to daily reports on important parameters, a weekly report shall be put up by the SLDC on its Internet website to inform about

the performance of the State Grid for the previous week. The weekly report shall contain the following:

- (a) Frequency profile;
- (b) Voltage profile of selected substations;
- (c) Demand and Supply Situation including Load Shedding, if any;
- (d) Major Generation and Transmission Outages;
- (e) Transmission Constraints; and
- (f) Instances of persistent/significant non-compliance of the DGC:

Provided that the weekly report shall be available on the Internet website of the SLDC for at least twelve (12) weeks :

Provided further that a copy of such report shall be made available to any User or Transmission Licensee on request.

- 25.2 The SLDC shall prepare a quarterly report which shall bring out the system constraints, reasons for not meeting the requirements, if any, of security standards and quality of service, along with details of various actions taken by different Users/ Transmission Licensees, and the Users/ Transmission Licensees responsible for causing the constraints.

26. Operational Liaison

26.1 Operations and Events on the State Grid

- 26.1.1 The SLDC shall, before any Operation is carried out on State grid, inform each User and Transmission Licensee, whose system may or will experience an operational effect, and give details of the operation to be carried out.
- 26.1.2 The SLDC shall, immediately following an Event on State grid, inform each User and Transmission Licensee, whose system may or will experience an operational effect following the Event, and give details of what happened in the Event but need not give the reasons for the same.

26.2 Operations and Events on Users' or Transmission Licensees' System

- 26.2.1 Before any Operation is carried out on system of a User or a Transmission Licensee, the concerned User or Transmission Licensee shall inform the SLDC, in case the State Grid may or will, experience an operational effect, and shall give details of the operation to be carried out.
- 26.2.2 User or a Transmission Licensee shall, immediately following an Event on its system, inform the SLDC, in case the State Grid may or will, experience an operational effect following the Event, and give details of what happened in the Event but need not give the reasons for the same.

27. Outage Planning and Coordination

- 27.1 All Users and Transmission Licensees shall provide the SLDC with their proposed outage programmes in writing for the next financial year by 30th November of each year. These shall contain identification of each Generating Unit/ Transmission Line/Interconnecting Transformer for which outage is being planned, reasons for outage, the preferred date for each outage and its duration and where there is flexibility, the earliest start date and latest finishing date.

- 27.2 The SLDC shall come out with a draft outage programme for the next financial year by 31st December of each year for the State Grid: Provided that outage plan shall be developed after giving due considerations to system security and reliability and shall be developed such that the extent of unmet system demand on account of such a plan is kept to a minimum:

- 27.3 Transmission Outage Planning shall be harmonized with Generation Outage Planning and Distribution System Outage Planning shall be harmonized with Generation and Transmission Outage Planning:

Provided that the SLDC shall, in consultation with the STU, harmonize the aforesaid outage plan with the regional outage planning process as specified under the IEGC.

- 27.4 The final outage plan shall be intimated to all Users and Transmission Licensee latest by 31st January each year:

Provided that the SLDC shall finalise the outage plan in consultation with the Users and Transmission Licensee :

Provided further that the above annual outage plan shall be reviewed by the SLDC on monthly basis as per a schedule/procedure to be separately finalised by the SLDC in coordination with all parties concerned, and adjustments made wherever found to be necessary.

- 27.5 Each User or Transmission Licensee shall, at least seven (7) days prior to availing an outage as per the planned schedule, inform the SLDC about the same and obtain prior approval from the SLDC for the same.

- 27.6 The SLDC shall have the authority to defer any planned outage in case of occurrence of following Events:

- (a) major grid disturbances (e.g. total black out);
- (b) system isolation;
- (c) any other Event in the system that may have an adverse impact on the system security by the proposed outage.

Provided that the SLDC shall inform about the revised outage plan, with appropriate reasons

for revisions in the outage plan, as soon as possible.

- 27.7 In case of emergency in the system, which may include Events like loss of generation, break down of transmission line, grid disturbances and system isolation, the SLDC may appropriately review the situation before clearance of the planned outage.

28. Recovery Procedures

- 28.1 Detailed plans and procedures for restoration after partial/total blackout shall be finalized by the SLDC in coordination with the NRLDC, Users and Transmission Licensees.
- 28.2 The procedure shall be reviewed, confirmed and/or revised once every subsequent year. Training programs including workshops and simulation exercises of the procedure for different sub-systems shall be carried out by the SLDC, in coordination and consultation with Users and Transmission Licensees, at least once every six months.
- 28.3 List of generating stations with black start facility, inter-State/inter regional ties, synchronizing points and essential loads to be restored on priority, shall be prepared by and be available with the SLDC.
- 28.4 The SLDC shall be authorized during the restoration process following a black out, to operate with reduced security standards for voltage and frequency as necessary in order to achieve the fastest possible recovery of the grid.
- 28.5 All communication channels required for restoration process shall be used for operational communication only, till grid normalcy is restored.

29. Event Information

29.1 Reportable Events

- 29.1.1 Any of the following Events shall require-reporting by User/Transmission Licensee or the SLDC as the case may be:

- (a) Violation of security standards;
- (b) Grid indiscipline;
- (c) Non-compliance of the SLDC's instructions;
- (d) System islanding/system split;
- (e) Black out/partial system black out;
- (f) Protection failure on any element of STS;
- (g) Power system instability; and
- (h) Tripping of any element of the State Grid.

29.2 Reporting Procedure

- 29.2.1 User or Transmission Licensee, after having initially reported about the Event orally to the SLDC, shall provide a written report within two (2) weeks of the occurrence of the Event to the SLDC in accordance with Regulation 29.2.3.

- 29.2.2 In case of an Event which was initially reported by the SLDC to the Users/Transmission Licensees, SLDC shall provide a written report within two (2) weeks of the occurrence of the Event to the concerned Users/Transmission Licensees in accordance with Regulation 29.2.3.

- 29.2.3 A written report shall be sent to the SLDC or Users/Transmission Licensees, as the case may be, and shall confirm the oral notification together with the following details of the Event:

- (a) Time and date of Event;
- (b) Location;
- (c) Plant and/or Equipment directly involved;
- (d) Description and cause of Event;
- (e) Antecedent conditions;
- (f) Demand and/or Generation (in MW) interrupted and duration of interruption;
- (g) All relevant system data including copies of records of all recording instruments including Disturbance Recorder, Event Logger and Data Acquisition System;
- (h) Sequence of trip pings with time;
- (i) Details of Relay Flags; and
- (j) Remedial measures.

- 29.2.4 Events affecting a generation capacity or a load of more than 500 MW shall immediately be reported in writing to the Commission by the SLDC, Transmission Licensee or User, as the case may be:

Provided that a summary document including brief detail of the Event, extent and probable causes of the Event shall be sent to the Commission within 24 hours of occurrence of such Event.

Chapter V

Scheduling and Despatch Code

30. Compatibility with the Regional Scheduling and Despatch

- 30.1 Regional grid operations, as far as scheduling and despatch is concerned, is required to be conducted in accordance with the Scheduling and Despatch Code as specified under the IEGC. Since the scope of such code extends over the SLDC, the STU, and other beneficiaries in the regional grid, to the extent such provisions are applicable to the Users in the State, the provision of IEGC shall have over-riding effect in case of inconsistencies with the provisions of DGC.

- 30.2 The Commission shall, however, continue to update the DGC so as to make it compatible with the IEGC, as provided under Regulation 6 of this Code.

31. Scheduling and Despatch Procedures

31.1 The SLDC shall develop, document and maintain detailed procedure in consultation with the in-State Generating Stations and the Distribution Licensees incorporating processes and operating instructions for Scheduling and Despatch under the Intra State ABT regime keeping in view the relevant orders of the Commission. These procedures shall include, but not limited to the following : —

- (a) Network Security and System Operation;
- (b) System Contingencies;
- (c) Demand Estimation and Control;
- (d) Exchange of Information for Scheduling and Rescheduling including scheduling of Inter-Distribution Licensee Transfer of Power, if any;
- (e) Data requirement and verification in respect of ABT metering and accounts;
- (f) Complimentary Commercial Mechanism for ABT;
- (g) Monitoring of Generation and Drawal, keeping in view allocation of power by the Government from time to time;
- (h) Reactive Power Exchange and Pricing, if any;
- (i) Real time Voltage and Frequency Management; and
- (j) Any other relevant procedures considered appropriate by SLDC :

Provided that such procedures shall be developed in consultation with the NRPC and NRLDC :

Provided further that such procedure shall from time to time be suitably modified/enhanced to take care of future activities like (i) bilateral commercial agreements with new entities and (ii) market developments like operation of Power Exchanges, and (iii) Open Access transactions etc. :

Provided further that such procedures shall be submitted within three (3) months to the Commission for approval.

31.2 All Users and Transmission Licensee(s) shall comply promptly with any instruction issued by the SLDC under the above procedures unless this action would compromise the safety of plant or personnel :

Provided that should a User or Transmission Licensee fail to comply with any of the above provisions, or in the event of any unforeseen difficulties in carrying out an instruction, it shall inform the SLDC promptly of its failure.

31.3 Despatch instructions shall be in standard format. These instructions will recognise declared availability and other parameters, which

have been made available by the Generators to SLDC. These instructions shall include time, Power Station, Generating Units, name of operators sending and receiving the same.

Despatch instructions may, in addition to approved generation schedule, include :

- (i) To switch a generator into or out of service.
- (ii) Details of Spinning Reserve to be maintained.
- (iii) To increase or decrease MV Ar generation for maintaining the voltage profile.
- (iv) To begin pre-planned Black Start procedures.
- (v) To hold Generating Units on standby.

32. Time Table for Scheduling

32.1 Subject to Regulation 31, the exchange of information in respect of the Scheduling process shall be, in general, as per the following time table :

Process for Scheduling (for succeeding day)

By 09:00 Hrs—Inter-State Generating Stations (ISGSs) advise NRLDC the station wise MW and MWh capabilities as per IEGC provisions.

By 09:00 Hrs—BTPS, IPGCL and PPCL (GENCOs) shall declare their availability to the SLDC in 15 minutes time block in terms of MW and MWh.

By 10:00 Hrs—Entitlement of the state posted by NRLDC in its website www.nrlcdc.org for central sector.

By 11:00 Hrs—SLDC shall post the IPGCL, PPCL and BTPS (GENCOs) availability in its website www.delhisldc.org

By 13:00 Hrs—NDPL, BRPL, BYPL, NDMC and MES (DISCOMs) shall intimate the SLDC, source-wise requirement of power for succeeding day in terms in MW and MWh in 15 minutes time block.

By 15:00 Hrs—SLDC shall assess the requirement of power from all sources and intimate the same to NRLDC.

By 17:00 Hrs—NRLDC conveys the net drawal schedule for Delhi and posted in the website.

By 18:00 Hrs—SLDC shall post the provisional Drawal Schedule of DISCOMs and Generation Schedule of GENCOs based on the provisional Drawal schedule of Delhi as a whole posted on the NRLDC website.

By 19:00 Hrs—GENCOs/DISCOMs shall alter the schedule of generation/requirement and intimate the same to SLDC for forwarding the same to NRLDC for incorporation in final drawal schedule of Delhi.

By 22:00 Hrs—SLDC shall inform the modification if any, for incorporating in the final drawal schedule to NRLDC.

By 23:00 Hrs—NRLDC issues the final drawal schedule of Delhi state along with other states and posted in their website.

By 23:30 Hrs—SLDC shall compute the drawal schedule of DISCOMs and generation schedule of GENCOs based upon the availability from central sector

stations and bilateral agreements entered into by various distribution licensees for the next day :

Provided that Intra-day scheduling as per IEGC provisions is also permitted.

- 33.2 The SLDC shall periodically review the actual deviation from the dispatch and net drawal schedules being issued, to check whether any of the constituents are indulging in unfair gaming or collusion. In case any such practice is detected, the matter shall be investigated and reported to the Commission.

Chapter VI

Metering Details

33. Metering requirements

- 33.1 Functional requirements of Interface ABT meters (including those consumers availing open access or directly connected to the STS, who have to be covered under the ABT) from regulatory perspective are required to be aligned with the provisions specified under the IEGC, in order that such special energy meters conform to a uniform minimum technical specification.

- 33.2 All further metering details/requirements as indicated at Regulation 33.7 shall be covered under a Metering Procedure which shall be developed by the STU and submitted to the Commission for its approval within sixty (60) days of notification of these Regulations :

Provided that till the time the Metering Procedure as mentioned above is developed and approved by the Commission, the provisions of prevailing relevant statutes shall be applicable.

- 33.3 Metering Procedure shall provide the minimum requirements and standards for Installation and Operation of meters, for commercial and operational purposes, to be provided by User or Transmission Licensee at the Connection Point :

Provided that such requirements shall be consistent with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 dated the 17th March, 2006 as amended from time to time, and standards specified there under :

Provided further that such requirements shall be applicable to any other point that may be internal to the power system of the User or Transmission Licensee if information captured by such meter shall be required for commercial or operational purposes.

- 33.4 The Commission shall review the Metering Procedure submitted for approval by the State Transmission Utility and shall either—

- (a) approve the Metering Procedure, with such conditions or modifications as the Commission may deem appropriate; or
- (b) reject the Metering Procedure for reasons to be recorded in writing if the Metering Procedure is not in accordance with the Act or these Regulations or with the Grid Code specified under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act and direct the STU to submit a revised draft Metering Procedure.

- 33.5 The STU shall put up a copy of the Metering Procedure on its Internet website and make available a copy of the applicable Metering Procedure to any person requesting it, at a price not exceeding the reasonable cost of reproducing it.

- 33.6 Metering Procedure shall clearly identify the concerned agency, i.e. User or Transmission Licensee, responsible for ownership and maintenance of the meters.

- 33.7 Metering Procedure shall describe the following :

- (a) provisions related to location and installation of meters;
- (b) specifications and accuracy limits for the meters;
- (c) rights, responsibilities and procedures related to recording, collection, transfer, processing and storage of data collected from meters;
- (d) provisions related to ownership of metering data;
- (e) calibration procedures to be carried out by each concerned agency to ensure conformance to the above accuracy limits;
- (f) procedures associated with maintenance of the meters in proper functioning state, safety of meters, testing of the new or replacement meters, sealing of meters and inspection of meters;
- (g) provisions related to right of access to the meters;
- (h) procedures to address metering discrepancies, defective equipments and meter failures;
- (i) procedures for resolution of disputes on matters related to metering; and
- (j) any other aspect considered appropriate, for inclusion in the Metering Procedure, by the STU or the Commission.

Chapter VII
Miscellaneous

34 Compliance

- 34.1 The STU shall be responsible for monitoring the compliance of the Users and Transmission Licensees with the provisions, contained in Chapter II, Chapter III and Chapter VI of these Regulations and with the procedures developed under such provisions :

Provided that the STU shall not unduly discriminate against or unduly prefer any User or Transmission Licensee.

- 34.2 The SLDC shall be responsible for monitoring the compliance of the Users and Transmission System Licensees with the provisions contained in Chapter IV and Chapter V of these Regulations and with the procedures developed under such provisions :

Provided that the SLDC shall not unduly discriminate against or unduly prefer any User or Transmission Licensee.

- 34.3 In case of persistent non-compliance with the provisions of DGC and/or with the procedures developed under such provisions, such matter shall be reported to the Commission.

- 34.4 All directions issued by the NRLDC to any Transmission Licensee or any other Licensee of the State or generating company (other than those connected to inter State transmission system) or sub-station in the State shall be issued through the SLDC and the SLDC shall ensure that such directions are duly complied with the licensee or generating company or sub-station.

- 34.5 The SLDC may give such directions and exercise such supervision and control as may be required for ensuring the integrated grid operations and for achieving the maximum economy and efficiency in the operation of power system.

- 34.6 Every Transmission Licensee and User connected with the operation of the power system shall comply with the direction issued by the SLDC under Regulation 35.5 of these Regulations.

- 34.7 If any dispute arises with reference to the quality of electricity or safe, secure and integrated operation of the State grid or in relation to any direction given under Regulation 35.5 of these Regulations, it shall be referred to the Commission for decision :

Provided that pending the decision of the Commission, the direction of the SLDC shall be complied with by the Transmission Licensee or User.

- 34.8 Consistent failure to comply with the provisions

of the DGC or with the procedures developed under such provisions, by User or Transmission Licensee, may lead to disconnection of the Plant and/or Apparatus of such User or Transmission Licensee.

- 34.9 Nothing contained in Regulation 35 of these Regulations shall in any manner impact the powers conferred upon the Commission to monitor and enforce compliance of the Users and Transmission Licensees with the provisions of DGC and with the procedures developed under such provisions.

35. Power to amend

- 35.1 The Commission may, at anytime, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

36. Power of relaxation

- 36.1 The Commission may, in public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any provision(s) of these Regulations.

37. Power to remove difficulties

- 37.1 If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

38. Interpretation

- 38.1 If any question arises relating to the interpretation of these Regulations, the decision of the Commission shall be final.

AMARENDRA KUMAR TEWARY, Secy.

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

फा. सं. 23(10 X 13)/2008-विसस-3 विधायी.—
दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को उपराज्यपाल द्वारा जारी निम्नलिखित
आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

“मैं, तेजेन्द्र खन्ना, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का
केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 6 की उप-धारा (2) के
खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा तृतीय
विधान सभा का तेरहवाँ सत्र तत्काल प्रभाव से सत्रावसान करता हूँ।

ह./—

तेजेन्द्र खन्ना,
उपराज्यपाल, दिल्ली”

सिद्धार्थ राव, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Dehli, the 22nd April, 2008

No. 23 (10)(13)/2008/LAS-III/Leg.—The following order of the Lieutenant Governor, Delhi, dated 21st April, 2008 is hereby published for general information :

ORDER

“In exercise of the power conferred by Clause (a) of sub-section (2) of Section 6 of the Government of National

Capital Territory of Delhi Act, 1991 (Central Act No.1 of 1992), I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby Prorogue the Thirteenth Session of the Third Legislative Assembly with immediate effect.

Sd/-

TEJENDRA KHANNA
Lieutenant Governor of Delhi”

SIDDHARATH RAO, Secy.

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 26]

दिल्ली, जून 27—जुलाई 3, 2008, बृहस्पतिवार/आषाढ़ 6—आषाढ़ 12, 1930

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 91, 98]

No. 26]

DELHI, JUNE 27—JULY 3, 2008, THURSDAY/ASADHA 6—ASADHA 12, 1930

[N.C.T.D. No. 91, 98]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than

Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शुद्धिपत्र

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 को अनुमोदित कर दिया है और आयोग के पत्र सं0 17(14)/इंजीनियरिंग/दि.वि.वि.आ./2007-08/151 दिनांक 8 अप्रैल, 2008 के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया गया है।

2. उक्त विनियमों में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं जिन्हें निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करके सुधार करने की आवश्यकता है:

“इन विनियमों के खंड 24.2 और 34.9 में उल्लिखित '35' की संख्या को '34' पढ़ा जाए। पुनः खंड 34.6 और 34.7 में उल्लिखित '35.5' की संख्या को '34.5' पढ़ा जाए।”

यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अमरेन्द्र कुमार तिवारी)
सचिव

No. F. 17(14)/DERC/2007-08/878

27th May, 2008

CORRIGENDUM

Whereas DERC has approved the Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008 and forwarded to the Govt. of NCT of Delhi for Notification vide the Commission's letter No 17(14)/Engg./DERC/2007-08/151 dated 8th April, 2008;

2. Whereas certain discrepancies have been observed in the said Regulations which need to be rectified by issuing following corrigendum :

3. “In clause 24.2 and 34.9 of the Regulations the figure '35' be read as '34'. Further, in clause 34.6 and 34.7 the figure '35.5' be read as '34.5' ”.

4. This corrigendum issues with the approval of the Commission.

(Amarendra K. Tewary)
Secretary

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933	[रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 257
No. 2]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933	[N.C.T.D. No. 257

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

विषय : दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008

सं. 17(14)/डीईआरसी/2010-11/2720.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 (1) की उप-धारा (जेड पी.) के साथ पठित धारा 181 (2) की उप-धारा (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है। दिल्ली ग्रिड कोड की समीक्षा से संबंधित खंड सं. 6.3 के अनुसार, निम्नलिखित खंडों का संशोधन किया गया है और इसे विद्यमान दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2008 के साथ निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभन

- (i) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
- (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खंड सं. 8.1 का संशोधन

एसटीयू अपने इंटरनेट वेबसाइट पर एसटीएस के लिए ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन प्रणाली योजना को प्रकाशित करेगा और इसे अनुरोध किए जाने पर किसी भी व्यक्ति को युक्तिसंगत लागत पर उपलब्ध कराएगा।

एसटीयू और वितरण लाइसेंसधारक प्रत्येक ग्रिड के अपने ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन नेटवर्क और एकल लाइन आरेख (एसएलडी) को भी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

यह दो डिस्कॉम के बीच परिपथों में लोड फ्लो की योजना का भी विशिष्ट रूप से उल्लेख करेगा। इसे एसटीयू द्वारा आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट (निष्पादन रिपोर्ट— देखें 8.2 का पैरा 3) में भी शामिल किया जाएगा और वार्षिक आंकड़ों को एसटीयू द्वारा इसकी वेबसाइट पर अद्यतन किया जाएगा।

नेटवर्क में होने वाले किसी भी परिवर्तन को माह के अंत में एसटीयू और डिस्कॉम के वेबसाइटों पर अद्यतन किया जाएगा।

3. खंड सं. 8.4 (i) का संशोधन

8.4 (i) ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन प्रणाली में अगली एमवाईटी अवधि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 में एसटीएस के लिए योजना का उल्लेख किया जाएगा और इसमें सभी प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए प्रस्तावित राज्य ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन योजनाओं और योजनाओं को सशक्त करने वाले प्रणाली को भी शामिल किया जाएगा।

बशर्ते ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में न केवल राज्य ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित सूचनाएं बल्कि ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, रिएक्टर, स्टैटिक वीएआर कम्पनसेटर और फ्लेक्सिबल करंट ट्रांसमिशन प्रणाली (फैक्ट) समेत अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हों:

बशर्ते यह भी कि ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन प्रणाली योजना में आयोग के अनुमोदन के पश्चात् परियोजना मूल्यांकन स्तर पर मूल लक्ष्यों के संबंध में, पहचानी गई राज्य ट्रांसमिशन योजनाओं, सब-ट्रांसमिशन योजनाओं और प्रणाली को सशक्त बनाने वाली योजनाओं पर प्राप्त प्रगति के संबंध में सूचनाएं भी शामिल की जाएं। प्रत्येक बृहत कार्य के संबंध में, विलम्ब, यदि कोई हो, के साथ परियोजना की स्थिति की प्रत्येक छह माह में समीक्षा किया जाएगा।

4. खंड सं. 8.4 का संशोधन — योजना परिचालन समिति

डीटीएल, 8.4(ii) डिस्कॉम, एनडीएमसी, एमईएस, आईपीजीसीएल/पीपीसीएल के सदस्यों, जो डीजीएम या समकक्ष के रैंक से नीचे के नहीं हों, वाली एक योजना परिचालन समिति एसटीयू के अधीन गठित की जाएगी। योजना परिचालन समिति की भूमिका और दायित्व निम्नलिखित होंगे:-

- 1) एक एकीकृत और समेकित कार्यान्वयन योजना विकसित करना और उसकी निगरानी करना।
- 2) परिचालन समिति वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे

क) पांच वर्षों के लिए वर्षवार लोड अनुमान*

ख) वार्षिक आधार पर पांच वर्ष की समयावधि में विद्यमान और प्रस्तावित प्रणाली का लोड प्लो अध्ययन।

ग) इन प्रस्तावों में वितरण लाइसेंसधारकों के बीच विद्युत आदान-प्रदान शामिल होगा।

घ) वितरण लाइसेंसधारक परिचालन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों पर आधारित सब-ट्रांसमिशन योजना/ रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे। परिचालन समिति की सिफारिश/अनुमोदन बाध्यकारी होगा और वितरण लाइसेंसधारक केवल परिचालन समिति के पूर्व अनुमोदन के बाद ही सब-ट्रांसमिशन योजनाओं में कोई परिवर्तन करेगा।

- 3) योजना का मानदंड योजना कोड (जिसे तीन माह के भीतर एसटीयू द्वारा तैयार किया जाएगा) के अनुसार होगा।

5. खंड सं. 8.5 का संशोधन

एसटीयू इन विनियमों के अधीन ट्रांसमिशन प्रणाली योजना तैयार करने के उद्देश्य से उत्पादन क्षमता परिवर्धन, प्रणाली आवर्धन और दीर्घकालिक लोड पूर्वानुमान तथा सर्व-उपलब्धता के लिए सभी मुक्त अधिगम आवेदनों सहित ऐसी सूचना मांग सकता जिसकी इसे आवश्यकता हो: बशर्ते वितरण लाइसेंसधारक अपने संबंधित लाइसेंस क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक लोड पूर्वानुमान विकसित करने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व रखेंगे। वितरण लाइसेंसधारक अपने लोड पूर्वानुमान कार्य में सतत आंकड़ों और पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं और विचलन, यदि कोई हो, के लिए समुचित कारणों/व्याख्याओं के साथ, आयोग द्वारा जारी किए गए एमवाईटी विनियमों और लाइसेंस शर्तों के अधीन विक्रय/मांग पूर्वानुमान के लागू प्रावधानों और निवेदनों द्वारा निर्देशित हो सकते हैं। बशर्ते यह कि एसटीयू एकीकृत और समेकित कार्यान्वयन योजना विकसित करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करने में इस विनियम के अधीन प्रदान की गई सूचनाओं पर भी विचार करेगा। एसटीयू एक वितरण सेवा द्वारा इसे विद्युत का अंतरण करने के लिए उपयोग की गई दूसरे की परिसंपत्तियों के संबंध में तबतक के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करेगा जबतक सभी वितरण लाइसेंसधारक अन्य वितरण लाइसेंसधारकों की परिसंपत्तियों का उपयोग करने से बचने के लिए प्रणाली विकसित नहीं कर लेते। सभी वितरण लाइसेंसधारक विद्युत का अंतरण करने के लिए दूसरों की परिसंपत्तियों का उपयोग करने से बचने के लिए छह माह के भीतर योजना प्रस्तुत करेंगे।

6. खंड सं. 16.3.2 का संशोधन

16.3.2 एनआरपीसी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रसारण व्यवस्था का समन्वय किया जा रहा है जबकि सुरक्षाओं और प्रसारण व्यवस्थाओं का प्रावधान, एसटीयू द्वारा पृथक रूप से अंतिम रूप प्रदान की जाने वाली योजना के अनुसार, पूरा राज्य ग्रिड में आवधिक रूप से समन्वित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि दूरी-सुरक्षा जैसी प्राथमिक सुरक्षा का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ट्रांसमिशन और वितरण सेवाएं लागत-हिस्सेदारी के आधार विभेदक सुरक्षा स्थापित करने के लिए समन्वय करेंगी।

7. खंड सं. 17.2 का संशोधन

17.2 सभी प्रयोक्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक, जैसाकि कनेक्शन समझौते में निर्धारित है, अपने संबंधित स्तरों पर अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेंगे:

बशर्ते एसएसडीसी के दिशानिर्देशों, इंटरफेस आवश्यकताओं और ऐसे अन्य दिशानिर्देशों/विनिर्देशों, जो लागू हों, पर विचार करते हुए संचार और आंकड़ा विनिमय के लिए उपकरण/युक्तियां प्रदान की जाएगी। नेटवर्क के प्रभावी निगरानी के लिए एससीएडीए प्रणाली के माध्यम से उत्पादक स्टेशन, वितरण लाइसेंसधारक, राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली (एसटीएस) से सीधे रूप से जुड़े वितरण लाइसेंसधारकों के उपभोक्ता एसएलडीसी से वास्तविक समय आधार पर जुड़े होंगे।

8. खंड सं. 22.11 का संशोधन

22.11 प्रत्येक उत्पादन इकाई (बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन इकाइयां और गैस टरबाइन इकाइयां जबतक आयोग स्थिति की समीक्षा नहीं कर ले), जब आवृत्ति गिरती है, 105% की अधिकतम सतत रेटिंग की सीमा के अध्वधीन, उत्पादन को तत्काल 5% बढ़ाने में सक्षम होंगी। यदि वर्धित उत्पादन स्तर बनाए नहीं रखा जा सकता, तो पूर्व उत्पादन स्तर पर वापस जाना 1% प्रति मिनट से अधिक तीव्र गति से नहीं होगा:

बशर्ते उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने वाली पचास (50) मेगावाट से अधिक आकार की किसी भी उत्पादन इकाई को केवल एसएलडीसी की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद ही प्रचालन (राज्य ग्रिड के साथ समक्रमित करते हुए) में रखा जाएगा:

बशर्ते यह भी कि प्रयोक्ता प्रयोग की अन्य उत्पादक इकाइयों पर एक अतिरिक्त स्पनिंग रिजर्व रखकर स्पनिंग रिजर्व में संगत कमी को पूरा कर सकता है।

9. खंड सं. 22.17 का संशोधन

22.17 (क) एसएलडीसी एनआरएलडीसी, उपयोगकर्ताओं, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों मुक्त अधिगम ग्राहकों के साथ समन्वय में, प्रणाली फ्रीक्वेंसी 49.7 हर्ट्ज तक गिरने पर ग्रिड से आहरण शुद्ध आहरण अनुसूची के भीतर सीमित रखने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(ख) वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक अपने नियंत्रण क्षेत्र में आवश्यक लोड शेडिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी 49.5 हर्ट्ज अथवा उससे कम होने पर कोई अधि आहरण नहीं किया जा सके।

(ग) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक आकस्मिकता प्रक्रिया तैयार करेंगे तथा ऐसी व्यवस्था करेंगे जो संशोधित दिल्ली ग्रिड संहिता की अधिसूचना के दो माह के भीतर, सामान्य तथा/अथवा आकस्मिक स्थितियों के अंतर्गत, एसएलडीसी द्वारा अनुदेशित अनुसार, मांग वियोजन हेतु सक्षमता प्रदान करेगी। ये आकस्मिकता प्रक्रियाएं तथा व्यवस्थाएं वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन की जाएंगी और एसएलडीसी द्वारा अनुवीक्षित की जाएंगी। एसएलडीसी किसी भी वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक को उपरोक्त प्रक्रिया / व्यवस्था में, यदि अपेक्षित है, ग्रिड सुरक्षा के हित में संशोधित करने का निर्देश दे सकता है और संबंधित वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक इन निर्देशों का पालन करेंगे।

(घ) वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक ऊपर दिए गए पैरा 22.17.(क) एवं (ख) के अनुपालन में अधि आहरण कम करने के लिए धूर्णी लोड शेडिंग, मांग प्रत्युत्तर - [अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपयोग में उनकी सामान्य खपत पद्धति की अपेक्षा

कमी करने, मानवीय अथवा स्वचलित रूप से, वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा निम्न फ्रीक्वेंसी पर उनके द्वारा अधि आहरण के कारण उपगत किए जा रहे उच्च यूआई प्रभारों के प्रत्युत्तर में, अथवा ट्रांसमिशन संकुलन उत्पन्न करने हेतु उनके द्वारा उपगत किए जा रहे संकुलन प्रभारों के प्रत्युत्तर में, अथवा प्रणाली आकस्मिकता के उन्मूलन, जिसके लिए उपभोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन अथवा कम टैरिफ लागू किया जा सकता है} इत्यादि जैसे स्वचलित मांग प्रबंधन के लिए भी स्कीम तैयार करेंगे। एसएलडीसी द्वारा स्कीम के विस्तृत विवरण की रिपोर्ट और स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति संबंधी आवधिक रिपोर्ट्स सीईआरसी तथा डीईआरसी को प्रेषित की जाएंगी।

(ड) आवृत्ति निर्धारित बैंड के भीतर बनाए रखने और नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतरणीय लोड चार समूहों में व्यवस्थित किए जाएंगे, निर्धारित पावर कट्स/लोड शेडिंग हेतु लोड, अनिर्धारित लोड शेडिंग हेतु लोड, न्यून फ्रीक्वेंसी रिलेज/डीएफ/डीटी रिलेज के माध्यम से शेड किए जाने हेतु लोड और आरपीसी स्तर पर चिह्नित किसी प्रणाली संरक्षण स्कीम के तहत शेड किए जाने हेतु लोड। ये लोड इस ढंग से समूहित किए जाएंगे कि लोड्स के भिन्न समूहों के बीच कोई अधिआच्छादन नहीं होगा। किन्हीं आकस्मिकताओं तथा/अथवा प्रणाली सुरक्षा को कोई खतरा होने की स्थिति में, एसएलडीसी किसी भी वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक को अपने नियंत्रण क्षेत्र में अधि आहरण एक निश्चित प्रमात्रा तक घटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसे निर्देशों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक इन निर्देशों के अनुपालन के शीघ्र पश्चात अनुपालन रिपोर्ट एसएलडीसी को प्रेषित करेंगे ताकि उसे एनआरएलडीसी को अग्रेषित किया जा सके।

(च) एसएलडीसी भिन्न अधि आहरण स्थितियों में वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा अधि आहरण कम करने के लिए आकस्मिकताओं तथा अथवा प्रणाली को खतरे की स्थिति में अधि आहरण की गंभीरता के आधार पर निर्देश देने के कम में मानक, तात्कालिक, संदेश प्रारूप तैयार करेगा। संबंधित उपयोगिता एसएलडीसी के इन निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करेगी और अनुपालन रिपोर्ट एसएलडीसी को प्रेषित करेगी।

(छ) सभी उत्पादन केंद्र, वितरण लाइसेंसधारक और मुक्त अधिगम ग्राहक एसएलडीसी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लोड शेडिंग अथवा ट्रांसमिशन प्रणाली में संकुलन की स्थिति में उत्पादन बढ़ाने में सहायता करेंगे। वास्तविक समय में संकुलन से राहत के उपायों के साथ साथ संकुलन के आहरण के प्रावधान भी केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन से राहत के उपाय) विनियमावली के अनुसरण में होंगे।

(ज) वितरण लाइसेंसधारकों और मुक्त अधिगम ग्राहकों द्वारा किए गए उपाय तब तक वापस नहीं लिए जाएंगे जब तक कि फ्रीक्वेंसी निर्धारित सीमाओं से कम रहती है अथवा संकुलन जारी रहता है, जब तक कि एसएलडीसी द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है। उपयोगिता द्वारा प्रदान किए जा रहे लोड के कार्यनीतिक महत्व के कारण एमईएस में स्वचलित लोड शेडिंग शामिल नहीं किया गया है।

31/7/2018-2

10. खंड सं. 22.18 का संशोधन

22.18 उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अपनी संबंधित प्रणालियों में, जहां लागू हैं, स्वचालित अंडर-फ्रीक्वेंसी तथा डीएफ/डीटी रिले/एससीडीए आधारित लोड शेडिंग/आइलैंडिंग स्कीम, फ्रीक्वेंसी में गिरावट, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ग्रिड विखंडित/गड़बड़ा सकती है, इसको रोकने के लिए, एनआरपीसी के साथ परामर्श में पृथक रूप से अंतिम रूप दी गई योजना उपलब्ध कराएंगे तथा किसी आकस्मिकता की स्थिति में प्रपाती ट्रिपिंग की रोकथाम के लिए इसका प्रभावी रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. खंड सं. 22.23 (i) का संशोधन

प्रत्येक उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अव्यवस्था रिकार्डर/घटना क्रम रिकार्डर आउटपुट इत्यादि सहित सूचना/डेटा एसएलडीसी को किसी ग्रिड गड़बड़ी/घटना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्रेषित करेगा। कोई भी उपयोगकर्ता अथवा ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक राज्य अथवा क्षेत्रीय ग्रिड की विश्वसनीयता और सुरक्षा कायम रखने और किसी भी घटना के विश्लेषण के लिए एसएलडीसी द्वारा अपेक्षित किसी डेटा/सूचना को अवरुद्ध नहीं करेगा।

12. खंड सं. 22.23 (ii) का संशोधन

22.23 (ii) उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक ट्रांसमिशन और सब-ट्रांसमिशन स्तर पर होने वाली सभी प्रमुख ट्रिपिंग्स की विश्लेषण रिपोर्ट घटना होने के तीन कार्यदिवसों के भीतर साझा करेंगे।

13. खंड सं. 22.24 का संशोधन

22.24 एसएलडीसी, उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक ग्रिड वोल्टेज सदैव निम्नलिखित प्रचालन दायरे में बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु समस्त संभव प्रयास करेंगे:

वोल्टेज — (केवी आरएमएस)

निर्धारित	अधिकतम	न्यूनतम
400केवी	420	380
220केवी	245	198
66केवी	72	60
33केवी	36	30
11केवी	11.4	10.6

14. खंड सं. 26.2.2 का संशोधन

26.2.2 उपयोगकर्ता, अपनी प्रणाली पर घटना के तत्काल अनुवर्ती, एसएलडीसी को सूचना देगा, यदि राज्य ग्रिड घटना का अनुवर्ती प्रचालन प्रभाव महसूस करता है अथवा करेगा, और घटना का विवरण दे सकता है किंतु उसका कारण देने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ताओं (विशेषकर वितरण लाइसेंसधारकों की प्रणाली के बीच) परिचालन एसएलडीसी को सूचना और उसकी सलाह के बिना नहीं किया जाएगा एसएलडीसी वितरण लाइसेंसधारक द्वारा फीडबैक के पृथक्करण की तिथि नामित किए जाने या वास्तविक पृथक्करण, जो भी पहले है, इस संबंध में प्रचालन कार्यनीति तैयार करेगा।

26.3 दो वितरण लाइसेंसधारकों के बीच उपयोगकर्ताओं पर परिचालन और घटनाएं।

26.3.1 दो उपयोगकर्ताओं के बीच प्रणाली पर कोई प्रचालन किए जाने से पूर्व, संबंधित उपयोगकर्ता एसएलडीसी को सूचना देगा, यदि राज्य ग्रिड घटना का अनुवर्ती प्रचालन प्रभाव महसूस करता है अथवा करेगा, और किए जाने वाले प्रचालन का विस्तृत विवरण दे सकता है।

15. खंड सं. 27.1 का संशोधन

27.1 (i) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अगले वर्ष के लिए अपना प्रस्तावित आउटेज कार्यक्रम एसएलडीसी को प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक लिखित रूप में उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्पादन यूनिट/ट्रांसमिशन लाइन/अंतरसंयोजक ट्रांसफार्मर, जिसके लिए आउटेज की योजना बनाई गई है, आउटेज हेतु कारण, प्रत्येक आउटेज के लिए अधिमानित तिथि और इसकी अवधि और जहां नम्यता है, पूर्वतम प्रारंभ तिथि और अधिकतम समापन तिथि का विवरण शामिल होगा।

27.1 (ii) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक अगले माह के लिए अपना प्रस्तावित आउटेज कार्यक्रम एसएलडीसी को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक लिखित रूप में उपलब्ध कराएंगे। इनमें उत्पादन यूनिट/ट्रांसमिशन लाइन/अंतरसंयोजक ट्रांसफार्मर, जिसके लिए आउटेज की योजना बनाई गई है, आउटेज हेतु कारण, प्रत्येक आउटेज के लिए अधिमानित तिथि और इसकी अवधि और जहां नम्यता है, पूर्वतम प्रारंभ तिथि और अधिकतम समापन तिथि का विवरण शामिल होगा।

(iii) सभी उपयोगकर्ता और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक आउटेज योजना संबंधित लाइसेंसधारक की इंटरनेट वेबसाइट में नियत तिथि तक पोस्ट करेंगे।

(iv) उपयोगकर्ता आउटेज योजना इस तरह बनाएंगे कि इसका एसटीयू आउटेज योजना के साथ कोई विरोध नहीं होगा। विरोध की स्थिति में मुद्दा प्रचालन समन्वय समिति में सुलझाया जाएगा।

16. खंड सं. 31.1 का संशोधन

31.1 एसएलडीसी राज्य में उत्पादन केंद्रों और वितरण लाइसेंसधारकों के साथ परामर्श में आयोग के संबद्ध आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के भीतर एबीटी क्षेत्र के अधीन समय निर्धारण तथा प्रेषण हेतु प्रोसेस एवं प्रचालन अनुदेश समाविष्ट करते हुए विस्तृत प्रक्रिया विकसित, प्रलेखित तथा अनुरक्षित करेगा।

प्रक्रिया में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होगी:-

1. राज्य के भीतर एबीटी हेतु समय निर्धारण प्रक्रिया
2. उपभोक्ता मुक्त अभिगम हेतु समय निर्धारण प्रक्रिया
3. अंतर डिस्कॉम्स अंतरण (दीर्घावधि) तथा बाह्य द्विपक्षीय अंतर डिस्कॉम्स अंतरण (अल्पावधि) हेतु समय निर्धारण प्रक्रिया
4. सौर, पवन, बायो गैस इत्यादि के विद्युत उत्पादन केंद्रों के लिए समय निर्धारण प्रक्रिया भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में वर्णित सीईआरसी अनुबद्धताओं के अनुरूप होगी।

17. खंड सं. 33.4 का संशोधन

33.7 एसटीयू मीटरिंग प्रक्रिया तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) अवस्थिति और मीटरों का संस्थापन;

(ख) मीटरों के विनिर्देश और सटीकता सीमाएं;

(ग) मीटरों से प्राप्त किए गए डेटा के अभिलेखन, संग्रहण, अंतरण, प्रक्रमण और भंडारण से संबंधित अधिकार, उत्तरदायित्व तथा प्रक्रियाएं;

(घ) मीटरिंग डेटा का स्वामित्व;

(ङ) उपरोक्त सटीकता सीमाओं की समनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबंधित एजेंसी द्वारा किए जाने हेतु अंशांकन;

(च) मीटरों को समुचित कार्य करने की हालत में बनाए रखना, मीटरों की सुरक्षा, नए अथवा बदले गए मीटरों की जांच, मीटरों की सीलिंग और मीटरों का निरीक्षण;

(छ) मीटर तक पहुंच का अधिकार;

(ज) मीटर के माप संबंधी अंतरों, दोषपूर्ण उपकरणों तथा मीटर की खराबी को दूर करना;

(झ) मीटरिंग संबंधी मामलों पर विवादों का समाधान के लिए तथा

(ञ) विनिमय बिंदुओं पर संस्थापित सीटी, पीटी एवं ऊर्जा मीटरों की आवधिक जांच हेतु प्रक्रिया — प्रत्येक वर्ष में एक बार;

(ट) एसटीयू अथवा आयोग द्वारा मीटरिंग प्रक्रिया में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त विचारित कोई अन्य पहलू।

18. खंड सं. 34.3 का संशोधन

34.3 डीजीसी के प्रावधानों तथा/अथवा ऐसे प्रावधानों के अधीन विकसित प्रक्रियाओं का लगातार अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में, ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को दी जाएगी। एसटीयू अनुपालन नहीं किए जाने के ऐसे सभी मामले प्रत्येक तिमाही की 15 तारीख तक (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) प्रकाशित करेगा और उसे आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा।

इन नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच में निहित प्रावधानों से संबंधित किसी भी विसंगतियों के मामले में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

यह विनियमन 20/1/2012 से प्रभाव में आ जाएगा।

जयश्री रघुमन, सचिव

**DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION**

Delhi, the 20th January, 2012

Subject : First Amendment to Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008.

No. 17(14)/DERC/2010-11/2720.—In exercise of powers conferred by Sub-section (zp) of Section 181(2) read with Sub-section (h) of Section 86(1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008. As per clause no. 6.3, the review of Delhi Grid Code, the following clauses have been amended and shall be read with the existing Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations 2008 as under;

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) (First Amendment) Regulations, 2008.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Clause no. 8.1

The STU shall publish on its Internet website the transmission and sub transmission system plan for the STS and shall also make the same available to any person upon request at a reasonable cost.

The STU & Distribution Licensees shall also publish their Transmission & Sub transmission network and Single Line Diagram (SLD) of each grid station on internet website.

It shall specifically mention planning of load flow in circuits between two DISCOMs. This shall also be included in the report from STU to the Commission (performance report - refer para 3 of 8.2) and the yearly data shall be updated by STU in its website.

Any changes in the network shall be updated on the websites of STU and DISCOMs at the end of the month.

3. Amendment of Clause no. 8.4 (i)

8.4(i) The Transmission & Sub transmission system plan shall describe the plan for the STS in next MYT period FY 2012-13 to 2014-15 and shall include the proposed State transmission & Sub transmission schemes and system strengthening schemes for the benefit of all Users:

Provided that the transmission & sub transmission system plan may include information related not only to State transmission & sub transmission lines but also additional equipment including transformers, capacitors, reactors, Static VAR Compensators and Flexible Alternating Current Transmission Systems (FACT):

Provided further that the transmission and sub transmission system plan shall also include information on original targets at project appraisal stage after the Commission's approval, progress achieved on the identified State transmission schemes, sub transmission schemes and system strengthening schemes. Project Status with delay, if any, on each major work shall be reviewed every six months.

4. Amendment of Clause no. 8.4

8.4(ii) Planning Steering Committee

A Planning Steering Committee consist of members from DTL, DISCOMs, NDMC, MES, IPGCL/PPCL, not below the rank of DGM or equivalent, shall be constituted under STU. The role and responsibility of the Planning Steering Committee shall be as under:-

- 1) To develop an integrated and consolidated implementation plan and monitoring thereof.
- 2) The steering committee shall issue guidelines for submission of proposals by Distribution Licensees which shall include
 - a) Year wise Load estimates for five years
 - b) Load Flow study of existing and proposed system for five years time horizon on yearly basis.
 - c) The proposals shall include power exchanges between Distribution Licensees.
 - d) Distribution Licensees shall submit sub transmission scheme / Reports to the Commission based on proposals approved by the Steering Committee. The recommendation/ approval of Steering Committee shall be binding and Distribution Licensees shall make any change in the Sub-Transmission Schemes only after the prior approval of the Steering Committee.
- 3) The criteria for planning shall be as per Planning Code (to be formulated by STU within three months).

5. Amendment of Clause no. 8.5

The STU may, for the purpose of preparing the transmission system plan under these Regulations, seek such information as may be required by it, including generation capacity addition, system augmentation and long-term load forecast and all applications for open access: Provided that the Distribution Licensees shall have the primary responsibility for developing long term load forecasts for their respective license areas. The Distribution

Licensee may use consistent data and methods in its load forecasting exercise, and be guided by applicable provisions and submissions of sales/demand forecast under the MYT Regulations and License Conditions issued by the Commission, with appropriate reasoning/explanation for deviation, if any. Provided also that the STU shall consider information provided under this Regulation in preparing the transmission system plan for developing integrated and consolidated implementation plan. STU shall define guideline for Assets used by one distribution utility of other to transfer power to it till all the Distribution Licensees develop the system to avoid usage of assets of other Distribution Licensees. All Distribution Licensees shall submit the scheme to avoid usage of other's assets to transfer power within six months.

6. Amendment of Clause no. 16.3.2

16.3.2 Relay setting coordination is being done at regional level by the NRPC, whereas provision of protections and relay settings shall be coordinated periodically throughout the State grid, as per a plan to be separately finalized by the STU. It shall also be ensured that if Primary protection like distance protection cannot be used effectively, transmission and distribution utilities shall coordinate to install differential protection on cost sharing basis.

7. Amendment of Clause no. 17.2

17.2 All Users and Transmission Licensees shall provide the required facilities at their respective ends as laid down in the Connection Agreement:

Provided that the equipments/devices for communication and data exchange shall be provided considering the guidelines of the SLDC, the interface requirements and other such guidelines/specifications, as applicable. Generating Stations, Distribution Licensees, Consumers of Distribution Licensees directly connected to State Transmission System (STS) shall be connected to SLDC on real time basis through SCADA System for effective monitoring of the network.

8. Amendment of Clause no. 22.11

22.11 Each Generating Unit (except Badarpur Thermal Power Station Units and Gas Turbine Units till the Commission reviews the situation) shall be capable of instantaneously increasing output by 5%, when the frequency falls, subject to limit of 105% of Maximum Continuous Rating. Ramping back to the previous generation level, in case the increased output level cannot be sustained, shall not be faster than 1% per minute:

Provided that any generating unit of over Fifty (50) MW size not complying with the above requirements, shall be kept in operation (synchronized with the State Grid) only after obtaining the permission of the SLDC:

Provided also that User can make up the corresponding shortfall in spinning reserve by maintaining an extra spinning reserve on the other generating units of the Use

9. Amendment of Clause no. 22.17

22.17 (a) SLDC in coordination with NRLDC, Users, Transmission Licensees, Open Access Customers, shall initiate action to restrict the drawal from the Grid within the net drawal schedule when the system frequency falls to 49.7Hz.

(b) The Distribution Licensees and Open Access Customers shall ensure that requisite load shedding is carried out in its control area so that there is no over drawl when frequency is 49.5Hz. or below.

(c) Each Distribution Licensee and Open Access Customers shall formulate contingency procedures and make arrangements that will enable demand disconnection to take place, as instructed by the SLDC, within two months of notification of amended Delhi Grid Code, under normal and / or contingent conditions. These contingency procedures and arrangements shall regularly be updated by Distribution Licensees / Open Access Customers and monitored by SLDC. SLDC may direct any Distribution Licensees / Open Access Customers to modify the above procedures / arrangement, if required, in the interest of grid security and the concerned Distribution Licensees / Open Access Customers shall abide by these directions.

(d) The Distribution Licensees / Open Access Customers shall also formulate schemes for automatic demand management like rotational load shedding, demand response – [reduction in electricity usage by end customers from their normal consumption pattern, manually or automatically, in response to high UI charges being incurred by the Distribution Licensee / Open Access Customers due to overdrawl by them at low frequency, or in response to congestion charges being incurred by them for creating transmission congestion, or for alleviating a system contingency, for which such consumers could be given a financial incentive or lower tariff.] etc to reduce over-drawl in order to comply para 22.17.(a) & (b). A Report detailing the scheme and periodic reports on progress of implementation of the schemes shall be sent to the CERC and DERC by SLDC.

(e) In order to maintain the frequency within the stipulated band and maintaining the network security, the interruptible loads shall be arranged in four groups of loads, for scheduled power cuts/load shedding, loads for unscheduled load shedding, loads to be shed through under frequency relays / df/dt relays and loads to be shed under any System Protection Scheme identified at the RPC level. These loads shall be grouped in such a manner that there is no overlapping between different Groups of loads. In case of certain contingencies and/or threat to system security, the SLDC may direct any Distribution Licensee or Open Access Customer to decrease drawal of its control area by a certain quantum. Such directions shall immediately be acted upon. Distribution Licensees / Open Access Customers shall send compliance report immediately after compliance of these directions to SLDC so that the same can be passed on to NRLDC.

(f) SLDC shall devise standard, instantaneous, message formats in order to give directions in case of contingencies and /or threat to the system security to reduce over-drawl by the Distribution Licensees / Open Access Customers at different over-

drawal conditions depending upon the severity of the over-drawal. The concerned utility shall ensure immediate compliance with these directions of SLDC and send a compliance report to SLDC.

(g) All Generating Stations, Distribution Licensees or Open Access Customers shall comply with direction of SLDC and carry out requisite load shedding or backing down of generation in case of congestion in transmission system to ensure safety and reliability of the system. The procedure for application of measures to relieve congestion in real time as well as provisions of withdrawal of congestion shall be in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations.

(h) The measures taken by the Distribution Licensees / Open Access Customers shall not be withdrawn as long as the frequency remains at a level lower than the limits specified or congestion continues, unless specifically permitted by the SLDC. Automatic Load Shedding is excluded in MES due to strategic importance of the load being catered by the Utility.

10. Amendment of Clause no. 22.18

22.18 Users and Transmission Licensees shall provide automatic under-frequency and df/dt Relay / SCADA based load shedding / islanding schemes in their respective systems, wherever applicable, to arrest frequency decline that could result in a collapse/disintegration of the State grid, as per the plan separately finalized in consultation with the NRPC and shall ensure its effective application to prevent cascade tripping of generating units in case of any contingency.

11. Amendment of Clause no. 22.23 (i)

All users and Transmission Licensee shall send information/data including Disturbance Recorder/Sequential Evnt Recorder output etc. to the SLDC for purpose of analysis of any grid disturbance/Event. No User or Transmission Licensee shall block any data/information required by the SLDC for maintaining reliability and security of the State or Regional Grid and for analysis of an event.

12. Amendment of Clause no. 22.23 (ii)

22.23(ii) Users & Transmission licensees shall share analysis reports of all major trippings occurred at Transmission and sub-transmission level within three working days of occurrence of the event.

13. Amendment of Clause no. 22.24

22.24 The SLDC, Users and Transmission Licensees shall make all possible efforts to ensure that the grid voltage always remains within the following operating range:

Voltage- (kV rms)		
Nominal	Maximum	Minimum
400kV	420	380
220kv	245	198

217 4/12-4

66kV	72	60
33kV	36	30
11kV	11.4	10.6

14. Amendment of Clause no. 26.2.2

26.2.2 Users shall, immediately following an Event on its system, inform the SLDC, in case the State Grid may or will, experience an operational effect following the Event, and give details of what happened in the Event but need not give the reasons for the same. The operations between the users (especially between Distribution Licensees' system) shall not be carried out without notice and advise of SLDC. SLDC shall develop operational strategy in this regard till the designated date of segregation of feeders by Distribution Licensee or the actual segregation whichever the earlier.

26.3 Operations and Events on Users between two Distribution Licensees.

26.3.1 Before any Operation is carried out on system between two Users, the concerned User shall inform the SLDC, in case the State Grid may or will, experience an operational effect, and shall give details of the operation to be carried out.

15. Amendment of Clause no. 27.1

27.1 (i) All Users and Transmission Licensees shall provide the SLDC with their proposed outage programmes in writing for the next financial year by 30th November of each year. These shall contain identification of each Generating Unit/Transmission Line/Interconnecting Transformer for which outage is being planned, reasons for outage, the preferred date for each outage and its duration and where there is flexibility, the earliest start date and latest finishing date.

27.1(ii) All Users and Transmission Licensees shall provide the SLDC their proposed outage programmes in writing for the succeeding month by 25th of every month. These shall contain identification of each Generating Unit/Transmission Line/Interconnecting Transformer for which outage is being planned, reasons for outage, the preferred date for each outage and its duration and where there is flexibility, the earliest start date and latest finishing date.

(iii) All Users and Transmission Licensees shall post the outage plan in the internet website of the respective Licensees by the designated date.

(iv) The users shall plan outages in such a manner that it does not clash with the STU outage plan. In case of a clash, the issue shall to be resolved in Operational Coordination Committee.

16. Amendment of Clause no. 31.1

31.1 The SLDC shall develop, document and maintain detailed procedure in consultation with the in-State Generating Stations and the Distribution Licensees incorporating processes and operating instructions for Scheduling and Dispatch under the Intra- State ABT regime keeping in view the relevant orders of the Commission.

The procedure shall but not be limited to the following :-

1. Scheduling Procedure for Intra State ABT
2. Scheduling Procedure for Consumer Open Access
3. Scheduling Procedure for Inter DISCOMs Transfer(Long term) and Ex Bilateral Inter DISCOMs Transfer (Short Term)
4. Scheduling Procedure for Generating Power Stations of Solar, Wind, Bio Gas etc shall be as per CERC stipulations mentioned in Indian Electricity Grid Code.

17. Amendment of Clause no. 33.4

33.7 STU shall prepare Metering Procedure including the following:

- (a) Location and installation of meters
- (b) Specifications and accuracy limits for the meters;
- (c) Rights, responsibilities and procedures related to recording, collection, transfer, processing and storage of data collected from meters;
- (d) Ownership of metering data;
- (e) Calibration to be carried out by each concerned agency to ensure conformance to the above accuracy limits;
- (f) Maintenance of the meters in proper functioning state, safety of meters, testing of the new or replacement meters, sealing of meters and inspection of meters;
- (g) Right of access to the meters;
- (h) To address metering discrepancies, defective equipment's and meter failures;
- (i) For resolution of disputes on matters related to metering; and
- (j) Procedure for Periodic testing of CT, PT & Energy Meters installed at exchange points - Once every year
- (k) any other aspect considered appropriate, for inclusion in the Metering Procedure, by the STU or the Commission.

18. Amendment of Clause no. 34.3

34.3 In case of persistent non-compliance with the provisions of DGC and/ or with the procedures developed under such provisions, such matter shall be reported to the Commission. STU shall publish all non-compliance through quarterly reports by 15th of every quarter (June, September, December & March) and also submit the same to the Commission.

In case of any discrepancies pertaining to provisions contained in between the Hindi and English version of these regulations, the English text shall prevail.

These regulations shall come into force with effect from 20/1/2012.

JAYSHREE RAGHURAMAN, Secy.